मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

नवंबर 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर–1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 5
- भूगोल 7
- भारतीय विरासत और संस्कृति 10

सामान्य अध्ययन पेपर–2 12

- राजनीति और शासन 12
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 17
- सामाजिक न्याय 20

सामान्य अध्ययन पेपर–3 23

- अर्थव्यवस्था 23
- आंतरिक सुरक्षा 28
- जैवविविधता और पर्यावरण 30
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 31
- आपदा प्रबंधन 32

सामान्य अध्ययन पेपर–4 34

- केस स्टडी 34
- सैद्धांतिक प्रश्न 43

निबंध 53

The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : "प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण त्वरित बदलाव ला दिया, जिसने आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता दोनों को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रथम विश्व युद्ध की अवधि और इसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा करते हुए परिचय प्रस्तुत कीजिये।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययनकीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंधों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये, जिसके परिणामस्वरूप **गहन आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसने अंततः देश की स्वतंत्रता** के लिये आधार तैयार किया।

मुख्य भाग:

प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के संबंधों पर प्रभाव:

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **युद्ध व्यय में वृद्धि:** युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिये, **ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की और नए शुल्क लगाए,** जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई।
    - युद्ध व्यय के कारण भारतीय करदाताओं पर दबाव बढ़ गया और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि हुई, **जिसके परिणामस्वरूप आम जनता में गरीबी और बढ़ गई।**
  - **आपूर्ति शृंखला में व्यवधान:** युद्ध ने व्यापार मार्गों और कृषि उत्पादन को बाधित कर दिया, जिससे **खाद्यान्न की कमी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई,** जिससे औपनिवेशिक नीतियों से संबंधित अर्थव्यवस्था की कमज़ोरियाँ उजागर हुईं।
  - **भारतीय उद्योगों का उदय:** युद्ध प्रयासों के कारण युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पड़ी, जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से **वस्त्र और युद्ध सामग्री के क्षेत्र में विकास हुआ।**
    - इस औद्योगिक विस्तार ने **मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में बदलाव को चिह्नित किया और एक नवजात पूंजीवादी वर्ग के उदय की शुरुआत की,** जिसने बाद में राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन किया।
  - **आर्थिक राष्ट्रवाद:** युद्ध के अनुभव और आर्थिक कठिनाइयों ने आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया।
    - भारतीय व्यापारिक समुदायों को **आत्मनिर्भरता के महत्त्व का अहसास होने लगा और उन्होंने भारत में निर्मित वस्तुओं का समर्थन करना शुरू किया, जिससे** स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई।
- **राजनीतिक जागृति:**
  - **सैन्य भर्ती और अपेक्षाएँ:** युद्ध के दौरान **1.3 मिलियन से अधिक भारतीय सैनिकों ने** ब्रिटिश सेना में सेवा की।
    - उनके योगदान ने **उनकी सेवा के बदले में राजनीतिक रियायतों की अपेक्षाएँ उत्पन्न कीं।** हालाँकि युद्ध के बाद की अवधि में निराशा का सामना करना पड़ा जब ब्रिटिश सरकार ने वादे के अनुसार सुधार करने में विफलता दिखाई।
  - **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919):** बढ़ते असंतोष के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने ऐसे सुधारों को प्रस्तुत किया, **जिनका उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था।**
    - हालाँकि **सुधारों की सीमित प्रकृति के कारण व्यापक मोहभंग हुआ,** जिससे अधिक स्वशासन की इच्छा और अधिक बढ़ गई।
  - **जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919): अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का** क्रूर दमन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव था।
    - इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत को प्रेरित किया तथा औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय समाज के विभिन्न गुटों को एकजुट किया।
- **राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय:**
  - **नए राजनीतिक गठबंधनों का गठन:** भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC), जिस पर पहले उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, ने **अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया।**
  - **जागरूकता और सक्रियता में वृद्धि:** युद्ध के वर्षों में **राजनीतिक रूप से जागरूक मध्यम वर्ग और छात्र आंदोलनों का उदय हुआ,** जिन्होंने अधिकारों के लिये विरोध प्रदर्शन और समर्थन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

नोट :

- महिलाएँ भी अधिकाधिक अधिकारों और भागीदारी की मांग करते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन में तेज़ी से शामिल होने लगीं।
- वर्ष 1915 में गांधीजी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी और **असहयोग आंदोलन (1920-1922) के दौरान उनका नेतृत्व** कुछ हद तक युद्ध के प्रभाव से प्रभावित था।

निष्कर्ष:

प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में भारत की स्वतंत्रता के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षण था, जिसमें **आर्थिक तनाव, राजनीतिक जागृति और राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ**, जिसने न केवल औपनिवेशिक शासन की कमियों को उजागर किया, बल्कि एक **सामूहिक चेतना को भी बढ़ावा दिया**, जो अंततः स्वतंत्रता की खोज में परिणत हुई।

प्रश्न : क्या 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बौद्धिक नींव तैयार की? टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- 19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बौद्धिक नींव रखी, इसके लिये तर्क दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में **औपनिवेशिक संघर्ष, सामाजिक स्थिरता** और **कठोर जातिगत एवं धार्मिक प्रथाओं** के प्रतिक्रियास्वरूप उभरे।

- **राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फुले व अन्य** सुधारकों ने सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करने और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया, इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के लिये एक बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आधार तैयार हुआ।

मुख्य भाग:

19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार: भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण

- **बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा:** सुधारकों ने **तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित किया,** अंधविश्वासों और अंध धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी, जो अंततः भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्रबिंदु बन गया।
  - **उदाहरण : राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज** के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया और **एकेश्वरवाद को बढ़ावा देकर** एक बौद्धिक ढाँचा स्थापित किया।
- **जातिगत पदानुक्रम और सामाजिक असमानताओं को चुनौती: ज्योतिराव फुले** और **स्वामी दयानंद सरस्वती** जैसे सुधारकों ने जाति-आधारित भेदभाव का विरोध किया तथा समानता को बढ़ावा दिया, जिससे एकता एवं एकजुटता की भावना को बल मिला।
  - **उदाहरण :** शिक्षा को बढ़ावा देने और निम्न जाति के व्यक्तियों के उत्थान के माध्यम से, **सत्यशोधक समाज के साथ ज्योतिराव फुले** के प्रयासों ने जागरूकता बढ़ाने और सीमांत समुदायों को संगठित करने में मदद की, जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण थी।
- **महिला अधिकारों की उन्नति: इन सुधारकों ने बाल विवाह, सती प्रथा और महिला निरक्षरता** जैसी दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया तथा महिला सशक्तीकरण का समर्थन किया, जिससे राष्ट्रवादी भागीदारी का आधार विस्तृत हुआ।
  - **उदाहरण : विधवा पुनर्विवाह** और **बालिका शिक्षा** के लिये **ईश्वर चंद्र विद्यासागर** के अभियान ने महिलाओं को सशक्त बनाया।
- **गौरवशाली भारतीय अतीत से प्रेरणा: स्वामी विवेकानंद** जैसे सुधारकों ने भारत के प्राचीन गौरव और दार्शनिक विरासत पर बल दिया, जिससे भारतीयों में गर्व तथा आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई।
  - **उदाहरण :** विवेकानंद के भाषणों, **विशेषकर शिकागो विश्व धर्म संसद में उनके संबोधन ने भारत की महानता** में विश्वास को सुदृढ़ किया तथा एक **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा** दिया जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबद्ध था।
- **स्थानीय भाषाओं और साहित्य का पुनरुद्धार:** सामाजिक-धार्मिक नेताओं ने **स्थानीय साहित्य और भाषा को बढ़ावा** दिया, जिससे जनता सुधारवादी विचारों तथा उत्तरोत्तर राष्ट्रवादी आदर्शों से जुड़ने में सक्षम हुई।
  - **उदाहरण : बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय** का **'आनंदमठ'** जिसमें **'वंदे मातरम्'** गीत शामिल है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक नारा बन गया, जो राष्ट्रीय पहचान के साथ सांस्कृतिक गौरव के सम्मिलन का प्रतीक है।
- **धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण:** सुधार आंदोलनों ने **सार्वभौमिक मानवतावाद पर ज़ोर दिया,** जो राष्ट्रीय आंदोलन के समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप था।
  - **उदाहरण : प्रार्थना समाज द्वारा अंतर-जातीय विवाह और सांप्रदायिक सद्भाव** पर बल देने से राष्ट्रीय आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा।
- **सुधारवादी संगठनों का गठन:** सुधार आंदोलनों ने ऐसे संगठनों की स्थापना की, जिन्होंने **सार्वजनिक वाद-विवाद, राजनीतिक जागरूकता** और **सुधारों की आवश्यकता** को बढ़ावा दिया,

नोट :

जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी के लिये आधार तैयार किया।

- **उदाहरण :** स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित **आर्य समाज ने वैदिक मूल्यों** पर बल देकर एक राष्ट्रवादी संदेश दिया।

निष्कर्ष:

19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने वास्तव में **बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना की नींव** रखी, **सामाजिक बुराइयों को चुनौती** दी तथा एक **समावेशी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा** दिया। इस परिवर्तन ने सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना प्रदान किया जिसने **भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आधार** प्रदान किया, जिसने अंतत: उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न समूहों को एकजुट किया।

प्रश्न : "18वीं शताब्दी में, क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों का उदय मुगल साम्राज्य के पतन का द्योतक होने के साथ-साथ राज्य-निर्माण की नई अवधारणाओं और स्वरूपों के विकास का भी परिचायक था।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विखंडन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को चिह्नित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों को मुगल पतन के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिये।
- राज्य-निर्माण के नए रूपों के उद्भव पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का विखंडन हुआ तथा **मराठों, बंगाल के नवाबों, हैदराबाद के निज़ाम** आदि जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ।

- यद्यपि इसे **मुगल पतन के लक्षण** के रूप में देखा जाता है, यह काल राज्य निर्माण में एक परिवर्तनकारी चरण का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों और आकांक्षाओं के अनुकूल नए प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैन्य संरचना को अपनाया गया।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय शक्ति: केंद्र मुगल पतन का प्रतिबिंब

- **केंद्रीय नियंत्रण का विघटन:** शाही वित्त की कमज़ोरी, **विशाल क्षेत्रों का प्रबंधन करने में असमर्थता** और आंतरिक विद्रोहों ने मुगल शासन क्षमता को कम कर दिया।
  - क्षेत्रीय अभिजात वर्ग, जिनमें **गवर्नर (सूबेदार) और ज़मींदार** शामिल थे, ने स्वायत्तता पर बल दिया।
- **सैन्य सत्ता का विखंडन:** मुगल सैन्य पतन ने **मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों** को क्षेत्रीय विस्तार का अवसर प्रदान किया।
- **प्रशासनिक नेटवर्क का पतन:** राजस्व संग्रह तंत्र में गिरावट और **भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्रीय शक्तियों ने स्थानीय शासन** संरचनाओं का निर्माण किया।

राज्य-निर्माण के नए रूपों का उदय:

- **स्थानीय शासन:** मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने **अष्टप्रधान** प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन को अपनाया।
  - **बंगाल और अवध के नवाबों ने** स्थानीय कृषि स्थितियों के अनुकूल व्यावहारिक राजस्व संग्रह पर बल दिया।
- **राजस्व प्रणालियाँ:** मराठों ने विशाल क्षेत्रों में राजस्व वसूलने के लिये **चौथ और सरदेशमुखी प्रणालियाँ विकसित कीं।**
- **व्यापार और वाणिज्य:** क्षेत्रीय राज्यों ने यूरोपीय कंपनियों के साथ वाणिज्यिक नेटवर्क और व्यापारिक संबंध को बढ़ावा दिया।
  - **मुर्शिद कुली खान** के अधीन बंगाल, वस्त्र उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया।
- **व्यावसायिक सेनाएँ:** कई राज्य **सामंती सैन्य टुकड़ियों से स्थायी सेनाओं की ओर चले गए,** जैसे कि मराठा हल्की घुड़सवार सेना या **हैदर अली** और **टीपू सुल्तान के अधीन मैसूरी सेनाएँ।**

निष्कर्ष:

18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्ति केंद्रों का उदय **मुगल पतन का लक्षण मात्र नहीं** था। यह रचनात्मक **राज्य निर्माण का एक चरण था, जिसकी विशेषता प्रशासनिक व्यावहारिकता, आर्थिक नवाचार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान** थी। इस अवधि ने आधुनिक राज्य प्रणालियों के लिये आधार तैयार किया और बदलती परिस्थितियों के समक्ष भारतीय राजनीतिक संरचनाओं की अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया।

भारतीय समाज

प्रश्न : भारत के विविध सांस्कृतिक लाभों को राष्ट्रीय विकास के लिये उपयोग करने में क्षेत्रीय असमानताएँ किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती हैं? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में क्षेत्रीय असमानताओं और सांस्कृतिक विविधता को परिभाषित कीजिये।
- भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालिये।
- क्षेत्रीय असमानताओं और क्षेत्रीय क्षमता पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिये।
- असमानताओं को पाटने और विविधता का दोहन करने के लिये कदम सुझाते हुए निष्कर्ष निकालिये।

नोट :

परिचय:

क्षेत्रीय असमानता का तात्पर्य किसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संसाधनों, अवसरों और विकास के असमान वितरण से है। इसके विपरीत, विविधता विभिन्न क्षेत्रों के बीच संस्कृति, भाषा, जातीयता और सामाजिक प्रथाओं में निहित अंतरों का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ भारत की समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिये अपनी विविधता का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

मुख्य भाग:

भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता:

- **पर्यटन:** भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत प्रतिवर्ष लाखों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो सकल घरेलू उत्पाद एवं रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
  - उदाहरणों में राजस्थान के महल, केरल के सांस्कृतिक उत्सव और वाराणसी की आध्यात्मिक विरासत शामिल हैं।
- **रचनात्मक उद्योग:** हस्तशिल्प, बनारसी रेशम जैसे पारंपरिक वस्त्र एवं कथक व भरतनाट्यम जैसी प्रदर्शन कलाएँ भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती हैं तथा स्थानीय और वैश्विक दोनों बाज़ारों का सृजन करती हैं।
- **नवाचार और सॉफ्ट पावर:** समुदायों के बीच विचारों और परंपराओं का आदान-प्रदान रचनात्मकता को बढ़ावा देता है तथा योग, बॉलीवुड व भारतीय व्यंजनों के माध्यम से भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है।
- **आर्थिक विकास:** सांस्कृतिक उद्योग और विरासत पर्यटन रोज़गार का सृजन करते हैं तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ परंपराएँ समृद्ध हैं लेकिन औद्योगिक बुनियादी अवसंरचना सीमित है।
  - भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 56 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटाना तथा पर्यटन क्षेत्र में लगभग 140 मिलियन नौकरियों का सृजन करना है।

क्षेत्रीय असमानताएँ और सांस्कृतिक क्षमता पर उनका प्रभाव:

- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राय: सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिये संसाधनों की कमी होती है।
  - उदाहरण के लिये, **वारली चित्रकला** और **गोंड कला जैसे जनजातीय कला रूप** अपर्याप्त वित्तपोषण एवं सीमित प्रदर्शन के कारण संघर्ष कर रहे हैं।
- **स्मारकों की उपेक्षा:** अविकसित क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्थल, जैसे **प्राचीन नालंदा के खंडहर,** संरक्षण में अपर्याप्त निवेश के कारण प्राय: उपेक्षा का सामना करते हैं।
- **बाज़ार तक पहुँच: मधुबनी पेंटिंग** या **चन्नपटना खिलौने** जैसे पारंपरिक शिल्पों को निम्न स्तरीय बुनियादी अवसंरचना और विपणन समर्थन की कमी के कारण बाज़ार तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यटन अंतराल:** समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाले लेकिन अपर्याप्त कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र, जैसे कि **छत्तीसगढ़** के जनजातीय क्षेत्र, पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहते हैं, जिससे आर्थिक लाभ सीमित हो जाता है।
- **प्रवासन:** कम विकसित क्षेत्रों से लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं के प्रसार में गिरावट आती है।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये उठाए गए कदम:

- **समान संसाधन आवंटन:** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जैसी नीतियों को पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** जैसे कार्यक्रम अंतर-क्षेत्रीय सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देते हैं तथा मतभेदों को दूर करते हैं।
  - **सांस्कृतिक उद्योगों के लिये समर्थन:** सरकारी और निजी पहलों के माध्यम से स्थानीय शिल्प, प्रदर्शन कला तथा परंपराओं को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये, इंडिया **हैंडमेड बाज़ार जैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म** कारीगरों को बाज़ार तक पहुँच बनाने में मदद करते हैं।
- **समावेशी विकास कार्यक्रम:** सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करना।
  - पिछड़ा **क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)** एक कार्यक्रम है जो विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये देश के सभी राज्यों में **272 चिह्नित पिछड़े ज़िलों में क्रियान्वित** किया गया है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, क्षेत्रीय विकास के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर क्षेत्र, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, राष्ट्र की सामूहिक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। आने वाले वर्षों में समावेशी, संधारणीय और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत की सांस्कृतिक विविधता की पूरी क्षमता का दोहन करना महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

भूगोल

प्रश्न : विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऑटोमोबाइल उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की तुलना भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ऑटोमोबाइल उद्योग के पूंजी-प्रधान क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए उत्तर लिखिये।
- विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऑटोमोबाइल उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करते हुए तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- सामान्य कारकों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ऑटोमोबाइल **उद्योग**, एक **पूंजी-प्रधान क्षेत्र है, जो इष्टतम स्थान के लिये कई कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक परिपक्वता, बुनियादी ढाँचे, श्रम गतिशीलता और बाज़ार विशेषताओं** में भिन्नता के कारण, ये कारक विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच महत्त्वपूर्ण भिन्नता उत्पन्न करते हैं।

मुख्य भाग:

विकसित अर्थव्यवस्थाएँ (उदाहरण- अमेरिका, जर्मनी, जापान)

- **ऐतिहासिक विकास और औद्योगिक विरासत:** इन क्षेत्रों में ऑटोमोटिव विनिर्माण की एक दीर्घकालिक स्थापित परंपरा रही है।
  - उदाहरण के लिये, **संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट वैश्विक ऑटोमोटिव राजधानी** बन गया, क्योंकि 1900 के दशक के प्रारंभ में **फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी अग्रणी कंपनियों ने** वहाँ अपना आधार स्थापित किया था।
  - मौजूदा औद्योगिक बुनियादी ढाँचे और कुशल कार्यबल की उपस्थिति **पारंपरिक स्थानों में नए ऑटोमोटिव निवेश को प्रभावित करती रहती है।**
- **उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्र:** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी केंद्रों से निकटता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - उदाहरण के लिये, **जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की उत्पादन सुविधा को** क्षेत्र के तकनीकी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के साथ सहयोग से लाभ मिलता है।
  - **उन्नत रोबोटिक्स, स्वचालन और उद्योग 4.0 क्षमताओं** की उपस्थिति, उच्च परिचालन लागत के बावजूद इन स्थानों को आकर्षक बनाती है।
- **उच्च कुशल श्रम बल:** उच्च कुशल इंजीनियरों, तकनीशियनों और विशेषज्ञ श्रमिकों तक पहुँच एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
  - **टोयोटा सिटी में जापान का ऑटोमोटिव क्लस्टर** कई पीढ़ियों के कुशल श्रमिकों और उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित होता है।
  - इसमें श्रम लागत लाभ की अपेक्षा गुणवत्ता और परिशुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- **परिष्कृत आपूर्ति शृंखला नेटवर्क:** स्थापित आपूर्तिकर्त्ता नेटवर्क और प्रभावी **समय पर डिलीवरी प्रणाली** स्थान चयन संबंधी निर्णयों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
  - **उदाहरण के लिये, जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग** में ऑटोमोटिव क्लस्टर में 2000 से अधिक विशिष्ट आपूर्तिकर्त्ता हैं जो प्रमुख निर्माताओं को सेवा प्रदान करते हैं।
  - उन्नत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और घटक निर्माताओं से निकटता परिचालन लागत को कम करती है।

उभरती अर्थव्यवस्थाएँ (उदाहरण- भारत)

- **विस्तृत और बढ़ता हुआ घरेलू बाज़ार:** एक विशाल संभावित बाज़ार की उपस्थिति एक महत्त्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिये, मारुति सुज़ुकी ने भारत के बढ़ते मध्यवर्गीय बाज़ार का लाभ उठाने हेतु गुरुग्राम को अपना विनिर्माण केंद्र चुना।
  - **बढ़ती व्यय योग्य आय** और निजी वाहनों की बढ़ती मांग स्थान संबंधी निर्णय को प्रभावित करती है।
- **लागत लाभ:** कम श्रम लागत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिये, **चेन्नई में हुंडई के प्लांट को विकसित देशों की तुलना में** लगभग **एक तिहाई लागत पर कुशल श्रम का लाभ मिलता है।**
  - कम भूमि अधिग्रहण लागत और विभिन्न राज्य स्तरीय प्रोत्साहन निर्माताओं को आकर्षित करते हैं।
- **सरकारी नीतियाँ और प्रोत्साहन:** विशेष आर्थिक क्षेत्र, कर लाभ और औद्योगिक गलियारे स्थान के चयन को प्रभावित करते हैं।
  - **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे ने** बुनियादी ढाँचे के विकास और नीतिगत समर्थन के कारण कई मोटर वाहन निर्माताओं को आकर्षित किया है।
  - विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्द्धा स्थान संबंधी निर्णयों को आकार देती है।
- **निर्यात संभावना:** निर्यात बाज़ारों के लिये रणनीतिक तटीय स्थान महत्त्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिये, चेन्नई में फोर्ड के पूर्व संयंत्र को आंशिक रूप से निर्यात के लिये बंदरगाह सुविधाओं के निकटता के कारण चुना गया था।

नोट :

- कई निर्माता लागत लाभ के कारण उभरती अर्थव्यवस्था वाले स्थानों को निर्यात केंद्र के रूप में उपयोग करते हैं।

- **बढ़ता आपूर्तिकर्त्ता पारिस्थितिकी तंत्र:** स्थानीय ऑटो घटक निर्माताओं का विकास चयन स्थान संबंधी निर्णयों को प्रभावित करता है।
  - **भारत के पुणे में ऑटोमोटिव क्लस्टर** निर्माताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं दोनों की उपस्थिति के कारण विकसित हुआ है।
  - **प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर कच्चे माल और बुनियादी घटकों** की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** परिवहन नेटवर्क और बिजली आपूर्ति में सुधार स्थान के चयन को प्रभावित करता है।
  - भारत में स्वर्णिम **चतुर्भुज राजमार्ग** परियोजना ने आंतरिक स्थानों को ऑटोमोटिव विनिर्माण के लिये अधिक सुलभ बना दिया है।
  - हालाँकि बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है।

दोनों के लिये सामान्य कारक:

- **बाज़ार पहुँच:** लक्षित बाज़ारों की निकटता दोनों संदर्भों में महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, हालाँकि बाज़ारों की प्रकृति भिन्न हो सकती है **(जैसे- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रीमियम खंड और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर बाज़ार)।**
- **ऊर्जा सुरक्षा:** विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और ऊर्जा लागत दोनों संदर्भों में स्थान निर्धारण को प्रभावित करती है, हालाँकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य तौर पर अधिक स्थिर बुनियादी ढाँचा होता है।

निष्कर्ष:

विकसित और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक रुझानों, जैसे कि **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं, के जवाब में अपनी रणनीतियों को लगातार अनुकूलित कर रही हैं,** जो विश्व में ऑटोमोबाइल क्षेत्र की विकासशील प्रकृति को दर्शाती है।

प्रश्न : कोरिऑलिस बल न केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में बल्कि उनके मार्ग, गति और संरचना को प्रभावित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कोरिऑलिस बल को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार और विशेषताओं को निर्धारित करने में कोरिऑलिस बल की भूमिका बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कोरिऑलिस बल एक **प्रत्यक्ष बल** है जो **पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न** होता है, जिसके कारण गतिशील वस्तुएँ, जैसे **वायु राशियाँ या जल धाराएँ, उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर** तथा **दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर विक्षेपित** हो जाती हैं।

- यह बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण पैटर्न को आकार देने में महत्त्वपूर्ण है तथा **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों** जैसी मौसम प्रणालियों की गति को प्रभावित करता है।

मुख्य भाग:

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के व्यवहार और विशेषताओं को निर्धारित करने में कोरिऑलिस बल की भूमिका:

चक्रवात निर्माण में भूमिका:

- **घूर्णन का प्रारंभ:** कोरिऑलिस बल **चक्रवातों के निर्माण के लिये आवश्यक घूर्णन** प्रदान करता है।
  - इसके बिना, **निम्न दाब वाले क्षेत्रों के निकट बहने वाली पवनें सीधे केंद्र की ओर प्रवाहित** होंगी, जिससे घूर्णनशील चक्रवात तंत्र का विकास बाधित होगा।
  - उदाहरण के लिये, उष्णकटिबंधीय चक्रवात **भूमध्य रेखा के समीप** (5° अक्षांश के भीतर) **नहीं बनते** हैं, जहाँ **कोरिऑलिस बल नगण्य** है, क्योंकि चक्रवात निर्माण के लिये स्पिन/प्रचक्रण अपर्याप्त होता है।
- **चक्रवात की संरचना और घूर्णन**
  - **पवनों का विक्षेपण:** कोरिऑलिस प्रभाव **निम्न-दाब केंद्र के चारों ओर पवनों को विक्षेपित करता है, जिससे उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त घूर्णन** तथा **दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त घूर्णन** उत्पन्न होता है।

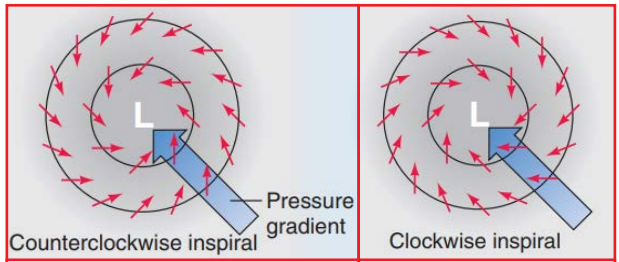

- **चक्रवात की तीव्रता और हवा की गति पर प्रभाव:**
  - **वायु परिसंचरण गति:** कोरिऑलिस बल चक्रवात के केंद्र के चारों ओर घूर्णी प्रवाह को बनाए रखकर **उच्च वायु गति को बनाए रखने में सहायता** करता है।

नोट :

- **ऊर्जा संतुलन पर प्रभाव:** कोरिऑलिस प्रभाव **केंद्राभिमुख बलों को संतुलित करने में मदद करता है**, जो तंत्र को गर्म महासागरीय जल से कुशलतापूर्वक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति देता है, जिससे चक्रवात तीव्र हो जाता है।

- **चक्रवात विघटन पर प्रभाव:**
  - **उष्णकटिबंधीय अतिरिक्त संक्रमण:** जैसे-जैसे चक्रवात उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, कोरिऑलिस बल बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राय: **संरचनात्मक परिवर्तन** होते हैं, **क्योंकि चक्रवात उष्णकटिबंधीय अतिरिक्त तंत्रों में संक्रमण** करते हैं।
  - इस प्रक्रिया के कारण चक्रवात विघटित हो जाते हैं या अपनी विशिष्ट उष्णकटिबंधीय विशेषताएँ खो देते हैं।

निष्कर्ष:

कोरिऑलिस बल **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण, व्यवहार और विक्षेपण पथ के लिये महत्त्वपूर्ण** है, जो उन्हें प्रारंभ से लेकर क्षय होने तक प्रभावित करता है। **घूर्णन प्रारंभ करके, पथों को नियंत्रित करके और हवा की गतिशीलता को प्रभावित करके,** यह इन शक्तिशाली तूफानों के चक्र तथा विशेषताओं को आकार देता है।

प्रश्न : "तटीय कटाव और निक्षेपण की प्रक्रिया विभिन्न भू-आकृतियों का निर्माण करती है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- तटीय अपरदन और निक्षेपण को परिभाषित करते हुए परिचय दीजिये।
- तटीय अपरदन और निक्षेपण को प्रभावित करने वाले कारक बताइये ।
- तटीय अपरदन से निर्मित भू-आकृतियों का विश्लेषण कीजिये।
- तटीय निक्षेपण द्वारा निर्मित भू-आकृतियों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

तटीय प्रक्रियाएँ, जिनमें **अपरदन और निक्षेपण** शामिल हैं, गतिशील शक्तियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के भू-आकृतियों को निर्मित कर समुद्र तट को आकार देती हैं।

- तरंगों, ज्वार-भाटे और धाराओं द्वारा प्रेरित **अपरदन** से **समुद्र या नदी तट के चट्टान, मिट्टी/रेत नष्ट हो जाती है या प्रवाहित हो जाती है, जबकि निक्षेपण** तब होता है **जब जल द्वारा प्रवाहित निक्षेप/तलछट नीचे जमा हो जाते हैं।**
- ये प्रक्रियाएँ मिलकर विशिष्ट तटीय परिदृश्यों का निर्माण करती हैं जो **भू-विज्ञान, जलवायु और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं।**

मुख्य भाग:

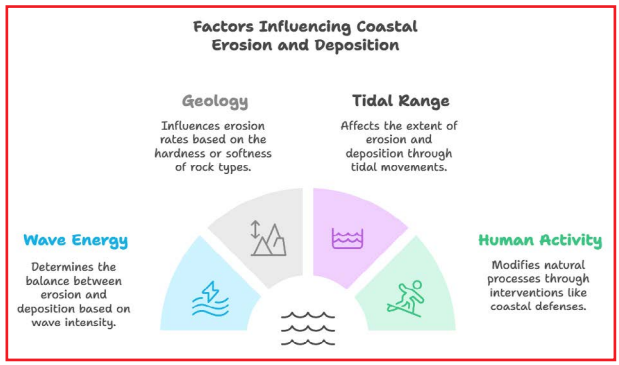

तटीय अपरदन से निर्मित भू-आकृतियाँ:

अपरदन से मुख्यत: ऊबड़-खाबड़ और विभिन्न भू-आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि:

- **भृगु और तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म (Cliffs and Wave-Cut Platforms):** लहरें तटीय चट्टान के आधार को नष्ट कर देती हैं, जिससे खड़ी/मंद ढाल वाले भृगु बन जाते हैं।
  - **बार-बार होने वाले अपरदन से भृगु के आधार पर** एक समतल मंच बन जाता है, जिसे वेव-कट प्लेटफॉर्म अथवा **तरंग घर्षित वेदिकाओं** के रूप में जाना जाता है। (उदाहरण: इंग्लैंड में क्लिफ्स ऑफ डोवर)
- **समुद्री मेहराब और समुद्री स्टैक (Sea Arches and Sea Stacks):** निरंतर लहरों की क्रिया के कारण भृगु के आधार में बने रिक्त स्थानों में **कंदराएँ** बन जाती हैं, जो **बाद में स्टैक के रूप में विकसित** हो जाती हैं।
  - कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग-थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग-थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे, समुद्री स्टैक कहलाते हैं। (**उदाहरण:** द ट्वेल्व अपॉस्ल, ऑस्ट्रेलिया)
- **छोटी खाड़ियाँ और खाड़ियाँ (Coves and Bays):** नरम चट्टानें कठोर चट्टानों की तुलना में तेज़ी से नष्ट होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप छोटी खाड़ियाँ और खाड़ियाँ बनती हैं। (**उदाहरण:** लुलवर्थ कोव, यू.के.)
- **ब्लोहोल्स (Blowholes):** लहरें जल को दरारों में धकेलती हैं, जिससे **ऊपरी दाब बनता है जो ऊर्ध्वाधर शाफ्ट या ब्लोहोल्स** बनाता है। (**उदाहरण:** कियामा ब्लोहोल, ऑस्ट्रेलिया)

तटीय निक्षेपण द्वारा निर्मित भू-आकृतियाँ:

निक्षेपण से कोमल, अधिक स्थिर भू-आकृतियाँ बनती हैं:

- **पुलिन (Beaches):** समुद्र तट के किनारे **रेत, कंकड़ और अन्य तलछट के संचय से निर्मित।**

नोट :

- **रेत रोधिकाएँ और रोध द्वीप (Sandbars and Barrier Islands):** रेत रोधिकाएँ लहरों के कारण समुद्र तट से दूर बनती हैं, जबकि **रोध द्वीप** बड़े, लंबे आकार के होते हैं जो तटों को लहरों के तीव्र प्रवाह से बचाते हैं।
- **स्पिट्स और टोम्बोलो (Spits and Tombolos):** अपतटीय रोध व रोधिकाएँ प्राय: या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों के सम्मुख बनती हैं। कई बार रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पिट कहते है। शीर्षस्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। जब स्पिट मुख्य भूमि को किसी द्वीप से जोड़ता है, तो यह **टोम्बोलो** बनाता है।
- **डेल्टा: नदी के मुहाने** पर निर्मित निक्षेपणीय आकृतियाँ, जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाया गया तलछट धीमी गति से बहने वाले जल निकायों से मिलते समय जमा हो जाता है। (**उदाहरण: सुंदरबन डेल्टा, भारत**)

निष्कर्ष:

तटीय अपरदन और निक्षेपण के परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप **भृगु और स्टैक** से लेकर **पुलिन तथा डेल्टाओं** तक की **विशिष्ट भू-आकृतियाँ** बनती हैं। **ये प्रक्रियाएँ तटीय रेखाओं की गतिशील प्रकृति को समझने** और जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिये संधारणीय तटीय प्रबंधन की आवश्यकता को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : कला, साहित्य और वास्तुकला के प्रति अकबर के संरक्षण ने एक विशिष्ट इंडो-इस्लामिक सांस्कृतिक संकलन को बढ़ावा दिया। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सम्राट अकबर के शासनकाल के संक्षिप्त विवरण से उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिये।
- कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में अकबर की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- एक विशिष्ट भारतीय-इस्लामी सांस्कृतिक संकलन को आयाम देने में अकबर की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सम्राट अकबर (सन् 1556-1605) को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सांस्कृतिक समावेशिता के माध्यम से अपने विशाल साम्राज्य को एकीकृत करने के प्रयासों के लिये जाना जाता है। उसके शासनकाल ने कलात्मक और बौद्धिक उत्कर्ष के स्वर्ण युग को चिह्नित किया, जिसने एक विशिष्ट इंडो-इस्लामिक सांस्कृतिक संकलन को बढ़ावा दिया जिसमें फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं का मिश्रण था।

मुख्य भाग:

कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षण:

- **कला:**
  - **मुगल लघु चित्रकला का विकास:** उसने लघु चित्रकला में फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के मिश्रण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उसके दरबार में फारस के साथ-साथ भारत के प्रतिभाशाली कलाकारों को नियुक्त किया गया, जिससे एक अनूठी कलात्मक शैली का विकास हुआ।
    - **दसवंत: रज़्मनामा** के प्रमुख चित्रकार, जटिल और कल्पनाशील कार्य के लिये विख्यात।
    - **बसावन:** यथार्थवाद तथा विस्तार के स्वामी, **अकबरनामा** और अन्य पांडुलिपियों में योगदान दिया।
  - **वस्त्र कला और शिल्प:** अकबर ने वस्त्र और हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहन दिया, जहाँ पुष्प डिज़ाइन जैसे फारसी रूपांकनों को भारतीय डिज़ाइनों, जैसे मोर एवं कमल के साथ सम्मिलित किया गया।
- **साहित्य:**
  - **अनुवाद परियोजनाएँ:** अकबर ने फारसी को आधिकारिक दरबारी भाषा बनाया, लेकिन भारतीय कार्यों के अनुवाद का भी समर्थन किया, जिससे विभिन्न संस्कृतियों में ज्ञान सुलभ हो गया।
    - रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिससे विद्वानों को भारतीय दार्शनिक तथा साहित्यिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिला।
  - **उल्लेखनीय विद्वान:** अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फज़ल ने **अकबरनामा** और **आइन-ए-अकबरी की रचना की,** जिसमें अकबर की नीतियों का दस्तावेज़ीकरण किया गया तथा फारसी गद्य को भारतीय साहित्य के साथ संकलित किया गया।
- **वास्तुकला:**
  - **फतेहपुर सीकरी:** अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी शहर इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का प्रमाण है।
    - **बुलंद दरवाज़ा** और **दीवान-ए-खास** जैसी इमारतों में फारसी मेहराब, भारतीय छत्र (गुंबददार मंडप) एवं स्थानीय परंपराओं से प्रेरित जटिल नक्काशी प्रदर्शित होती है।

नोट :

- **सांस्कृतिक संकलन**
  - **एक समन्वयात्मक धर्म का निर्माण: दीन-ए-इलाही,** जिसका अर्थ है "ईश्वर का धर्म", अकबर द्वारा एक नया, सार्वभौमिक विश्वास बनाने का प्रयास था, जिसने विभिन्न धार्मिक परंपराओं– मुख्य रूप से **इस्लाम, हिंदू धर्म** और **पारसी धर्म** - के तत्त्वों को एक ही मत की विचारधारा में एकीकृत किया।
- **धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा:** अकबर की **सुलह-ए-कुल** (सभी के साथ शांति) की नीति ने विविध परंपराओं के सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित किया।
- **अंतर-धार्मिक दार्शनिक संवाद:** अकबर की बौद्धिक जिज्ञासा ने **इबादतखाना** वाद-विवाद को जन्म दिया, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान विचारों का आदान-प्रदान करते थे।

निष्कर्ष:

अकबर द्वारा शुरू किये गए इंडो-इस्लामिक संकलन ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया और समकालीन कला, साहित्य एवं वास्तुकला को प्रभावित करना जारी रखा। उनके समावेशी दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान दिया और एक विविध समाज में सांस्कृतिक समामेलन की क्षमता को उजागर किया।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : संसद की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस संस्था को सशक्त बनाने के लिये आप कौन-कौन से सुधार सुझाएंगे? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अध्यक्ष के कार्यालय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए उसका परिचय दीजिये।
- संसद की कार्यप्रणाली को सुचारु और प्रभावी बनाने में अध्यक्ष की क्या भूमिका है?
- स्पीकर की संस्था को सशक्त बनाने हेतु सुधार बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत के निचले सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में **लोकसभा अध्यक्ष** संसदीय लोकतंत्र की स्थिरता बनाए रखने और प्रभावी विधायी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल** से व्युत्पन्न यह स्थिति संवैधानिक और प्रक्रियात्मक दोनों कार्यों को शामिल करता है जो विधायी प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक शासन को प्रभावित करती है।

मुख्य भाग:

प्रभावी संसदीय कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका

- **संसदीय कार्य का संचालन:** अध्यक्ष का प्राथमिक कर्त्तव्य संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता करना और सदन में व्यवस्था बनाए रखना है।
  - **सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों को समान अवसर** प्रदान करके, अध्यक्ष संवेदनशील चर्चा को प्रोत्साहित कर सकते हैं और व्यवधान को कम कर सकते हैं।
- **धन विधेयक का प्रमाणन: संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रामाणित करने का विशेष अधिकार** अध्यक्ष के पास होता है, जो वित्तीय विधान पर राज्यसभा के प्रभाव को सीमित करता है।
  - हालाँकि इस शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाओं (जैसे, **आधार अधिनियम** को धन विधेयक के रूप में पारित करना) को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप तटस्थता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- **दलबदल पर निर्णय (दसवीं अनुसूची):** अध्यक्ष **दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेता है,** जो पार्टी अनुशासन बनाए रखने और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिये आवश्यक है।
- **विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना: विधेयकों को** विस्तृत जाँच के लिये **स्थायी या प्रवर समितियों को भेजने** में अध्यक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
  - हालाँकि हाल के वर्षों में समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2009-2014 के बीच लगभग **71% विधेयक समितियों को भेजे गए; हालाँकि, वर्ष 2019-2024 में** यह आँकड़ा घटकर केवल 16% रह गया।
- **अनुशासन बनाए रखना और सदस्यों का निलंबन:** अध्यक्ष सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिये **अनियंत्रित व्यवहार के लिये सदस्यों को निलंबित कर सकता है।**
  - हालाँकि वर्ष **2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर निलंबन** ने इस शक्ति के मनमाने उपयोग पर चिंता व्यक्त की है।

स्पीकर की संस्था को सशक्त करने हेतु सुधार

- **तटस्थता और स्वतंत्रता को संस्थागत बनाना:** निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु, एक ऐसी परंपरा स्थापित की जा सकती है, जिसमें अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद वे अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें, ताकि उनका कार्य पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष हो सके।
- यह प्रथा ब्रिटेन सहित कुछ देशों में अपनाई जाती है और इससे **अध्यक्ष के कार्यों पर राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।**
- **दलबदल विरोधी मामलों के लिये पारदर्शी तंत्र: दलबदल मामलों पर निर्णय लेने के लिये** एक **समयबद्ध तंत्र** दसवीं अनुसूची की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करेगा।
- एक **स्वतंत्र पैनल या समिति** दलबदल के मामलों का आकलन करने में अध्यक्ष की सहायता कर सकती है, जिससे पक्षपात की धारणा कम हो जाएगी।
- **संसदीय समितियों की भूमिका को पुनर्जीवित करना:** विधायी जाँच को सशक्त करने हेतु, अध्यक्ष के लिये कुछ श्रेणियों के विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना अनिवार्य किया जाना चाहिये, जैसे कि जो **मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं या महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े होते हैं।**

नोट :

- इस कदम से विधायी प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **धन विधेयक के प्रमाणन की शक्ति को सीमित करना:** एक स्वतंत्र पैनल **धन विधेयक के अध्यक्ष के प्रमाणन की समीक्षा कर सकता है**, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस शक्ति का दुरुपयोग राज्यसभा की जाँच को दरकिनार करने के लिये न किया जाए।
- यह सुधार द्विसदनीय विधायी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करेगा।
- **निलंबन शक्तियों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश:** अव्यवस्थित आचरण के लिये सदस्यों को निलंबित करने की अध्यक्ष की शक्ति का **प्रयोग संयम और निरंतरता के साथ किया जाना चाहिये।**
- **निलंबन पर पारदर्शी दिशा-निर्देश** स्थापित करने से सदस्यों के अधिकारों के साथ अनुशासन को संतुलित करने में मदद मिलेगी तथा सदन में विपक्ष की आवाज़ को संरक्षित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

भारत की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों वाली विधानसभा का प्रबंधन करने और प्रतिद्वंद्वी हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तटस्थता सुनिश्चित करने, विधायी समीक्षा को सशक्त बनाने और अनुशासन बनाए रखने के लिये सुधार लागू करने से इस संस्था को महत्त्वपूर्ण मज़बूती मिल सकती है, जिससे संसदीय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सशक्त बन सकती है।

प्रश्न : "लोक अदालतों का विकास भारत में न्यायिक प्रणाली के वैकल्पिक विवाद समाधान के सफल अनुकूलन को कैसे प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जनता के न्यायालय के रूप में लोक अदालत के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- ज्ञात कीजिये कि समय के साथ लोक अदालतें किस प्रकार विकसित हुई हैं?
- ए.डी.आर. तंत्र के सफल अनुकूलन के तौर पर लोक अदालतों के संदर्भ में तर्क दीजिये।
- इससे संबंधित चुनौतियों पर गहन विचार करते हुए आगे की राह बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक अदालत या **'पीपुल्स कोर्ट'** भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अभिनव रूप है, जिसे **त्वरित, लागत प्रभावी और सौहार्दपूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये स्थापित** किया गया है। विवाद निपटान के वैकल्पिक तरीके के रूप में 'लोक अदालत' के प्रयोग को भारत में **व्यवहार्य, आर्थिक, कुशल** और **अनौपचारिक** के रूप में स्वीकार किया गया है।

मुख्य भाग:

लोक अदालतों का विकास:

- **स्वतंत्रता-पूर्व जड़ें:** ग्राम-आधारित न्यायाधिकरण **न्याय पंचायतों से प्रेरित होकर,** समुदाय के वरिष्ठ जनों/बुज़ुर्गों पर भरोसा करते हुए अनौपचारिक रूप से विवादों का समाधान किया करते थे।
  - इन प्रणालियों में भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप **सामंजस्य तथा सद्भाव पर** ज़ोर दिया गया।
- **स्वतंत्रता उपरांत गिरावट और पुनरुद्धार:**
  - **स्वतंत्रता के बाद न्याय पंचायतों को औपचारिक रूप** दिया गया, लेकिन **प्रक्रियागत जटिलताओं** और **सीमित शक्तियों के कारण** वे **असफल** रहीं।
  - अनौपचारिक न्याय की आवश्यकता पुन: महसूस हुई, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश एन.एच. भगवती की वर्ष 1976 की रिपोर्ट के बाद, जिसमें सामाजिक न्याय के तंत्र के रूप में **निशुल्क कानूनी सहायता** और **जनहित याचिका पर बल** दिया गया।
- **लोक अदालतों का आधुनिक युग:**
  - **1970 के दशक के अंत में गुजरात में पहली बार औपचारिक लोक अदालतों** का आयोजन किया गया। उनकी सफलता से उत्साहित होकर अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया।
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** ने लोक अदालतों को **वैधानिक मान्यता** प्रदान की, जिससे वे लंबित और मुकदमे-पूर्व मामलों की सुनवाई कर सकें तथा बाध्यकारी, गैर-अपीलीय निर्णय जारी कर सकें।
  - **सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्ष 1999 के संशोधन** द्वारा **धारा 89 की शुरुआत** की गई, जिससे अदालतों को लोक अदालतों सहित ADR के लिये मामलों को संदर्भित करने का अधिकार मिल गया।
  - **वर्ष 2002 के संशोधन** द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता विवादों के लिये **स्थायी लोक अदालतों की स्थापना** की गई, जिससे उन्हें आपसी **समझौते के बिना भी मामलों का निर्णय करने की शक्ति** प्रदान की गई।

ए.डी.आर. तंत्र के सफल अनुकूलन के रूप में लोक अदालतें:

- **सुगम्यता और लागत प्रभावशीलता:** लोक अदालतें **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों** और **सीमांत समुदाय के लोगों** के लिये **न्याय तक पहुँच** सुनिश्चित करती हैं।

नोट :

- औपचारिक अदालतों की तुलना में **अनौपचारिक कार्यवाहियों में लागत और समय कम** लगता है।

- **लंबित मामलों में कमी:** विवादों का शीघ्र निपटारा करके, लोक अदालतों ने **औपचारिक अदालतों पर बोझ** कम करने में मदद की है। (**तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत- 2024 के दौरान 1.14 करोड़ से अधिक** मामलों का निपटारा किया गया)
- **सुलह/समझौते पर ज़ोर: समाधान समझौते के माध्यम से प्राप्त** किया जाता है, **सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा** दिया जाता है और लंबे समय तक चलने वाले प्रतिकूल मुकदमेबाज़ी से बचा जाता है।
- **विस्तृत क्षेत्राधिकार:** लोक अदालतें विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निपटान करती हैं, जिनमें दीवानी मामले, पारिवारिक मामले, वित्तीय विवाद और **समझौता योग्य आपराधिक अपराध** शामिल हैं, जो उन्हें बहुमुखी बनाता है।
- **पुरस्कारों की बाध्यकारी प्रकृति:** जारी किये गए पुरस्कार **कानूनी रूप से बाध्यकारी** और **लागू करने योग्य** होते हैं, जिससे अपील की रोकथाम होती है व अंतिमता/निश्चयात्मकता सुनिश्चित होती है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

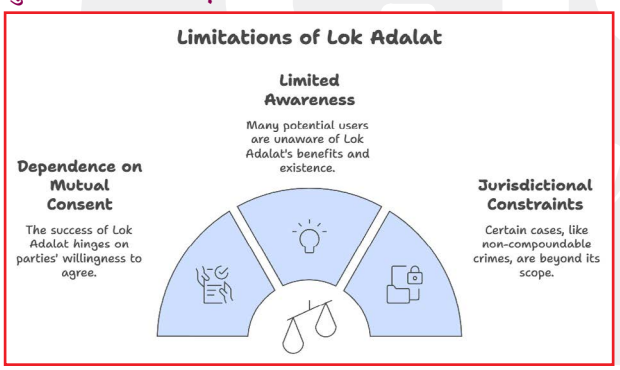

आगे की राह:

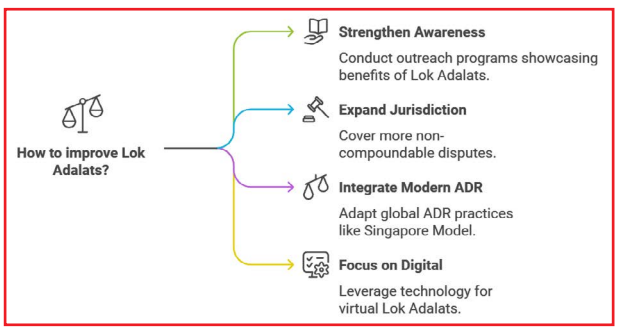

निष्कर्ष:

लोक अदालत प्रणाली भारत की न्याय प्रणाली के भीतर **ए.डी.आर. के सफल अनुकूलन का प्रतीक** है, जो औपचारिक **न्यायिक प्रक्रियाओं** और **लोगों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच के अंतर को समाप्त करती है।** पारंपरिक पद्धतियों को वैधानिक समर्थन के साथ मिलाकर, लोक अदालतें विवाद समाधान के लिये एक सामंजस्यपूर्ण और लागत प्रभावी मंच प्रदान करती हैं, जो **न्याय तक समान पहुँच के संवैधानिक जनादेश को बढ़ावा** देती हैं।

प्रश्न : 42वें संविधान संशोधन को अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है। मूल संवैधानिक ढाँचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की पृष्ठभूमि और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डालिये।
- संवैधानिक ढाँचे पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिये।
- बाद में हुए उलटफेर और संशोधनों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन था, **आपातकाल के दौरान अधिनियमित** किया गया था। इसका उद्देश्य **सत्ता को केंद्रीकृत करना, न्यायिक निगरानी को कम करना** और **भारतीय संविधान में कई बदलाव** करना था। इस संशोधन को प्राय: **'मिनी-संविधान'** के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका **भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव** पड़ा।

मुख्य भाग:

42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख परिवर्तन:

- **सत्ता का केंद्रीकरण:**
  - **निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) को सुदृढ़ किया गया:** संघर्ष के मामलों में DPSP को मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ बनाया गया।
  - **न्यायपालिका पर प्रतिबंध: अनुच्छेद 32, 131, 226** और 368 में संशोधनों ने कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के अधिकार को सीमित कर दिया, जिससे **विधायी मामलों में न्यायिक भागीदारी सीमित** हो गई।
  - **केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि:** इसने **शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण तथा माप-तौल** जैसे प्रमुख विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया।

नोट :

- **संसद की भूमिका को सुदृढ़ बनाना:**
  - **संसद और राज्य विधानसभाओं का विस्तारित कार्यकाल:**
    - कार्यकाल **5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष** कर दिया गया।
    - उदाहरण: पाँचवीं लोकसभा (वर्ष 1971-77) को इस प्रावधान से लाभ मिला।
  - **न्यायिक समीक्षा से कुछ कानूनों का संरक्षण:**
    - **अनुच्छेद 31C** को जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कुछ DPSP को लागू करने के लिये बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- **मौलिक कर्त्तव्यों का परिचय:** संविधान में भाग IVA (अनुच्छेद 51A) जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिये 10 मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल किया गया।
- **प्रस्तावना संशोधन:** प्रस्तावना में **'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष'** और **'अखंडता'** शब्द जोड़े गए।
- **संस्थागत परिवर्तन:** इसके परिणामस्वरूप नियमित न्यायालयों के बाहर सेवा विवादों को निपटाने के लिये **प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन** किया गया।

संवैधानिक संरचना पर प्रभाव:

- **सकारात्मक:**
  - **मौलिक कर्त्तव्यों की मान्यता:** मौलिक कर्त्तव्यों की शुरुआत ने **नागरिकों में ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा** दिया और उनके अधिकारों को बढ़ाया।
  - **प्रस्तावना संवर्द्धन:** 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' को जोड़ने से **समावेशी, समतापूर्ण तथा एकजुट भारत** की संवैधानिक दृष्टि स्पष्ट हुई।
  - **प्रशासनिक दक्षता:** प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के निर्माण से **नियमित न्यायालयों पर बोझ कम करने में मदद** मिली, जिससे सेवा विवादों के तेज़ी से समाधान को बढ़ावा मिला।
- **नकारात्मक:**
  - **संघवाद का परिवर्तन:** संघवाद के परिवर्तन से राज्य की **स्वायत्तता कम** हो गई, जिससे भारत **एकात्मक पूर्वाग्रह की ओर** बढ़ गया।
    - **शिक्षा** जैसे राज्य-विषयों पर **केंद्र के प्रभुत्व ने सहकारी संघवाद को कमज़ोर** कर दिया।
  - **मौलिक अधिकारों का कमज़ोर होना:** न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की भूमिका कमज़ोर हो गई।
    - **केशवानंद भारती मामले (वर्ष 1973)** को **आंशिक रूप से रद्द** कर दिया गया था, जिसे बाद में संशोधनों द्वारा बहाल कर दिया गया।
  - **राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की बढ़ी हुई भूमिका: शहरी भूमि सीमा अधिनियम (वर्ष 1976)** जैसे कानूनों को **अनुच्छेद 31C के तहत संरक्षण** दिया गया।

निष्कर्ष:

42वाँ संशोधन, हालाँकि अपने दायरे में महत्त्वाकांक्षी था, लेकिन संविधान के लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र को कमज़ोर करने के कारण इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालाँकि **मौलिक कर्त्तव्यों और कल्याणकारी राज्य पर ज़ोर जैसे कुछ प्रावधान प्रभावशाली** बने हुए हैं, लेकिन बाद में 44वें संशोधन ने संतुलन बहाल किया।

प्रश्न : ई-गवर्नेंस केवल तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम है। विश्लेषण कीजिये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार नागरिकों और राज्य के संबंधों को पुनर्निर्मित तथा सशक्त बना सकते हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ई-गवर्नेंस को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- नागरिक-राज्य संबंधों के लिये परिवर्तनकारी उपागम के रूप में ई-गवर्नेंस के समर्थन में तर्क दीजिये।
- नागरिक-राज्य संबंधों को नया आयाम देने में चुनौतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ई-गवर्नेंस एक परिवर्तनकारी उपागम है जो **शासन को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। यह न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है बल्कि सत्ता की गतिशीलता में बदलाव,** नागरिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता और बेहतर सेवा वितरण को बढ़ावा देता है। इस परिवर्तन के गहरे सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थ हैं, जो **नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को नया रूप देते हैं।**

मुख्य भाग:

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक-राज्य संबंधों में परिवर्तन:

- **बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही**
  - **भ्रष्टाचार में कमी: GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस)** और **पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्यवर्ती को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त लेन-देन सुनिश्चित होता है।
  - **नागरिक निगरानी: RTI ऑनलाइन पोर्टल** जैसे उपकरण नागरिकों को सरकारी कार्यों की जाँच करने में सक्षम बनाते हैं।

नोट :

- **ओपन डेटा पहल:** प्लेटफॉर्म **डेटासेट तक सार्वजनिक पहुँच को सक्षम करते हैं** तथा डैशबोर्ड के माध्यम से **स्मार्ट सिटी** जैसी परियोजनाओं की रियल टाइम प्रगति तक पहुँच जैसी सूचित नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं।

- **भागीदारी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना**
  - **क्राउडसोर्सिंग नीतियाँ:** MyGov प्लेटफॉर्म **मन की बात पहल** और सहभागी बजट के साथ-साथ नीति-निर्माण के लिये नागरिक सुझाव आमंत्रित करता है।
  - **रियल टाइम फीडबैक तंत्र: स्वच्छता ऐप** जैसे ऐप शिकायत निवारण और फीडबैक लूप को सक्षम करते हैं।
  - **चुनाव और लोकतंत्र: डिजिटल मतदाता पंजीकरण और वोटर हेल्पलाइन** जैसे ऐप्स के माध्यम से निगरानी चुनावी भागीदारी को बढ़ाती है।

- **बेहतर सेवा वितरण और समावेशन**
  - **वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म: उमंग** जैसे पोर्टल कई सेवाओं को एकीकृत करते हैं, जिससे नागरिकों का समय और प्रयास कम होता है।
    - **ई-कोर्ट, डिजीलॉकर और राष्ट्रीय AI प्लेटफॉर्म** सेवा वितरण में क्रांति ला रहे हैं।
  - **वित्तीय समावेशन:** आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियाँ बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करती हैं। (वर्ष 2023 तक, लगभग **6.26 करोड़ PMJDY खाताधारकों** को सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा)।
  - **स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: ई-संजीवनी और दीक्षा** जैसे प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा अंतराल को कम करते हैं।

नागरिक-राज्य संबंधों को पुन: आकार देने में चुनौतियाँ:

- **डिजिटल डिवाइड**
  - **ग्रामीण कनेक्टिविटी का अंतर:** ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट अभिगम ई-गवर्नेंस की पहुँच को सीमित करती है। (भारत में केवल 35% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है)
  - **लैंगिक विभाजन:** महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन तक पहुँच में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **पुरुषों (94.7%) की तुलना में महिलाओं में डिजिटल साक्षरता कम (89.8%) है।**
  - **कमज़ोर समूहों का अपवर्जन:** वृद्ध जनों और दिव्यांगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा**
  - **डेटा उल्लंघन:** कमज़ोर साइबर सुरक्षा उपायों के कारण डेटा उल्लंघन होते हैं, जिससे विश्वास कम होता है। (CoWIN प्लेटफॉर्म में हाल ही में डेटा लीक)।
  - **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह:** स्वचालित प्रणालियाँ सीमांत समुदायों के विरुद्ध भेदभाव कर सकती हैं। (आधार प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण महाराष्ट्र में **राशन लाभ से इनकार**)

- **परिवर्तन का विरोध**
  - **नौकरशाही संदेह:** नए कार्यप्रवाह को अपनाने में अनिच्छा डिजिटल शासन में बाधा उत्पन्न करती है।
  - **राजनैतिक इच्छाशक्ति:** ई-गवर्नेंस की सफलता राज्य सरकारों की भिन्न प्राथमिकताओं और निवेश के कारण भिन्न होती है।

आगे की राह:

- **डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना: ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिये भारतनेट में** तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

- **साइबर सुरक्षा और विधिक संरचना को मज़बूत करना: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को** तेज़ी से लागू किया जाना चाहिये।
  - उल्लंघनों को रोकने और विश्वास में सुधार करने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्मों का नियमित ऑडिट।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे प्रमुख शासन क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है।
  - लोक कल्याण लक्ष्यों के साथ जवाबदेही और संरेखण सुनिश्चित करने के लिये PPP परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिये।

- **डेटा-संचालित शासन:** साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के लिये **बड़े डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विश्वास का निर्माण करने और नागरिक डेटा का ज़िम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिये **सुदृढ़ डेटा गोपनीयता विनियम** स्थापित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल शासन के साधन नहीं हैं, बल्कि **सामाजिक-राजनीतिक बदलाव के साधन** भी हैं। ये **पारदर्शिता, समावेश और भागीदारी को बढ़ाने** के साथ ही **नागरिक-राज्य संबंधों को नया आयाम** देते हैं।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उजागर करने और उनका समाधान करने में ब्रिक्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ब्रिक्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करते हुए परिचय दीजिये।
- वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को दूर करने में ब्रिक्स की भूमिका बताइये।
- प्रमुख चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये।
- आगे का रास्ता सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात) वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को संबोधित करता है।

- वर्ष 2009 में स्थापित ब्रिक्स, प**श्चिमी प्रभुत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के संतुलन** के लिये और विकासशील देशों के आर्थिक लचीलेपन से लेकर सतत् विकास तक के महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिये कार्य करता है।

मुख्य भाग:

वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को दूर करने में ब्रिक्स की भूमिका:

- **एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन: हाल ही में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** में, कज़ान घोषणा-पत्र में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये **IMF में सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया** तथा एक निष्पक्ष वित्तीय प्रणाली के लिये ब्रिक्स का समर्थन किया गया।
  - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता की बात करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैश्विक दक्षिण की चिंताओं पर विचार किया जाए।
- **बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना:** ब्रिक्स **राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन** के आधार पर **शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान को बढ़ावा देता है।**
  - **कज़ान घोषणा-पत्र** में, ब्रिक्स ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया, रूस-यूक्रेन संघर्ष के कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और फिलिस्तीन में हो रहे मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की।
- **डॉलर-विमुक्ति के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता को मज़बूत बनाना:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता की अस्थिरता को समझते हुए, **ब्रिक्स** ने स्वतंत्र वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से डॉलर-विमुक्ति की पहल को आगे बढ़ाया है।
  - हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में **स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये समझौते हुए** और **स्वर्ण-समर्थित ब्रिक्स डिजिटल मुद्रा पर चर्चा हुई।**
- **सतत् विकास और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना:** ब्रिक्स उभरते देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप सतत् विकास पहलों को प्राथमिकता देता है, जिसमें **स्वास्थ्य, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में सहयोगी कार्यक्रम शामिल हैं।**
  - कज़ान घोषणा-पत्र में **ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज की स्थापना का समर्थन किया गया,** जिसका उद्देश्य कुशल अनाज व्यापार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है।
- **स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी पहलों के लिये समर्थन:** ब्रिक्स ने स्वास्थ्य संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया है, जिनसे वैश्विक दक्षिण को विशेष लाभ मिल रहा है, मुख्यत: महामारी से निपटने की तैयारियों और वैक्सीन अनुसंधान के क्षेत्र में।
  - ब्रिक्स **अनुसंधान एवं विकास वैक्सीन केंद्र और संक्रामक रोगों के लिये एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली,** स्वास्थ्य सुरक्षा पर ब्लॉक के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।
- **आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार: ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने** वाली पहलों के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाता है।
  - **ब्रिक्स पे** परियोजना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच निर्बाध लेन-देन को सुविधाजनक बनाना, लेन-देन लागत को कम करना और **वैश्विक दक्षिण देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।**

वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को संबोधित करने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **आंतरिक मतभेद:** विभिन्न राष्ट्रीय हित, विशेष रूप से चीन और **भारत के बीच के मतभेद,** कभी-कभी एक समेकित समूह के रूप में ब्रिक्स की प्रभावकारिता को कमज़ोर कर देते हैं।
  - ये आंतरिक गतिशीलता कभी-कभी **वैश्विक मुद्दों के समाधान में एकीकृत कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है।**
- **सीमित वैश्विक प्रभाव:** अपनी क्षमता के बावजूद, **ब्रिक्स में औपचारिक व्यापार और निवेश समझौतों का अभाव है।**
  - इसका प्रभाव अक्सर **आम सहमति बनाने और कूटनीतिक समर्थन पर निर्भर करता है,** जो वैश्विक नीति पर इसके प्रभाव को सीमित कर सकता है।

नोट :

- **सदस्यों के बीच आर्थिक असमानताएँ: ब्रिक्स सदस्यों, विशेषकर चीन और शेष देशों** के बीच आर्थिक असमानताएँ, चीन के प्रभुत्व पर चिंता उत्पन्न करती हैं, जो **वैश्विक दक्षिण के लिये एक वास्तविक प्रतिनिधि निकाय के रूप में इस समूह की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।**

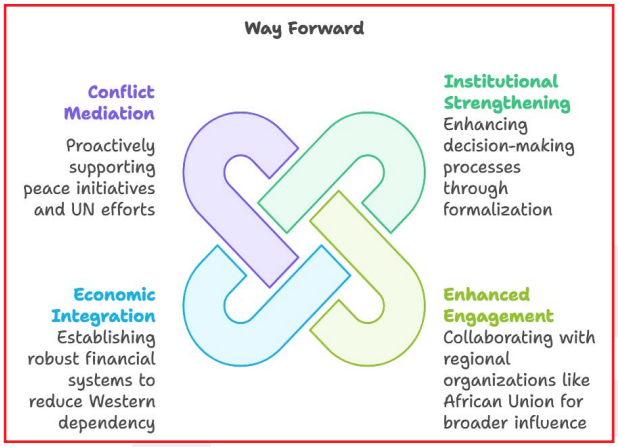

निष्कर्ष:

ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को प्रमुखता से उठाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच साबित हुआ है, जिसकी प्रमुख पहलें वित्तीय स्वतंत्रता, बहुपक्षीय सुधार और सतत् विकास पर केंद्रित हैं। ब्रिक्स को अपनी भूमिका को और सशक्त बनाने के लिये, **उसे अपनी संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना होगा,** गहरे आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना होगा और **वैश्विक संघर्षों में खुद को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना होगा,** जिससे वैश्विक शासन तथा वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं पर इसका प्रभाव बढ़ेगा।

प्रश्न : "भारत का आरसीईपी से बाहर रहने का निर्णय अन्य व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में आर्थिक हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच किस प्रकार एक रणनीतिक संतुलन को प्रतिबिंबित करता है?" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आर.सी.ई.पी. पर हस्ताक्षर करने तथा भारत के इससे बाहर रहने के निर्णय का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- आर.सी.ई.पी. से बाहर निकलने के कारण बताइये।
- द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों को आगे बढ़ाने की भारत की रणनीति पर प्रकाश डालिये।
- भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के लाभ और चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- संतुलित तरीके से उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नवंबर 2019 में, भारत ने **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** से बाहर रहने का विकल्प चुन, जो एक व्यापार समझौता है जिसमें **15 देश**, जिनकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% हिस्सेदारी है, शामिल हैं।

- यह निर्णय **भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं** को **सुरक्षा चिंताओं** के साथ, विशेष रूप से इसके **व्यापार घाटे, चीन के उदय** और **मज़बूत घरेलू उद्योगों की आवश्यकता** के मद्देनज़र संतुलित करने के **सामरिक दृष्टिकोण** को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

RCEP से बाहर निकलने के कारण

- **व्यापार घाटे की चिंताएँ:** RCEP देशों, विशेषकर चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी अधिक रहा है।
  - RCEP में शामिल होने से यह **असंतुलन और बढ़ सकता था,** जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता था।
  - **वर्ष 2024 की पहली छमाही** में, **चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 41.9 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया, जो इसमें शामिल **आर्थिक जोखिमों को उजागर** करता है।
- **घरेलू उद्योगों का संरक्षण:** ऐसी आशंका थी कि RCEP से **सस्ते माल का प्रवाह बढ़ेगा**, जिससे **कृषि** और **विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ेगा।
  - उदाहरण के लिये, डेयरी उद्योग को **न्यूज़ीलैंड जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा का भय** था, जिसका स्थानीय किसानों पर प्रभाव पड़ सकता था।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ और बाज़ार अभिगम:** भारत ने अपने सेवा क्षेत्र के लिये गैर-टैरिफ बाधाओं और अधिक बाज़ार अभिगम पर आश्वासन मांगा, जिसे **RCEP वार्ता में पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया** गया था।
  - भारत के सेवा निर्यात के लिये **अनुकूल फ्रेमवर्क का अभाव** एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय था।
- **भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौता:** मार्च 2024 में, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ **(EFTA) के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर** किये।
  - इस समझौते में EFTA सदस्यों द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने तथा दस लाख नौकरियाँ सृजित करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौतों को आगे बढ़ाने की भारत की रणनीति:

- **व्यापार समझौतों का विविधीकरण:** भारत ने **जापान, ऑस्ट्रेलिया** और **यूरोपीय संघ** जैसे देशों के साथ छोटे, अधिक

नोट :

प्रबंधनीय समझौतों के माध्यम से **व्यापार संबंधों को मज़बूत करने पर ध्यान** केंद्रित किया है।

- **उदाहरण: मार्च 2024 में, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)** के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - CAPE कार्यान्वयन के बाद वित्त वर्ष 23 में **UAE को भारत का निर्यात** 11.8% **बढ़कर 31.3 बिलियन डॉलर** तक पहुँच गया।

- **हिंद-प्रशांत और सुरक्षा साझेदारी पर जोर:** अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ **चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (Quad)** में भारत की भागीदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के साथ आर्थिक सहयोग को संतुलित करने वाली साझेदारी के लिये इसकी प्राथमिकता को दर्शाती है।
  - **भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा** (IPEF), जिसमें भारत शामिल हुआ, चीन के प्रभाव से बाहर के देशों के साथ आर्थिक संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुरक्षा के प्रति सजग व्यापार नीतियों के लिये भारत की इच्छा को मज़बूत करता है।
- **घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना:** सरकार ने भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने, **आयात पर निर्भरता कम** करने और घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर **अनुकूल आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण** करने के लिये **आत्मनिर्भर भारत जैसे कई कार्यक्रम** शुरू किये हैं।

भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के लाभ और चुनौतियाँ:

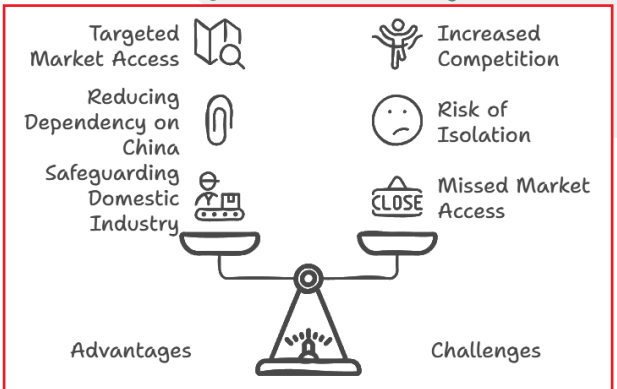

Balancing India's Strategic Trade-offs

निष्कर्ष:

RCEP से बाहर रहने का भारत का निर्णय एक **सूक्ष्म रणनीति** को दर्शाता है जो **घरेलू आर्थिक अनुकूलन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता** देता है। भारत का उद्देश्य चुनिंदा व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाकर और आत्मनिर्भर क्षमताओं का निर्माण करके अपनी **आर्थिक संप्रभुता पर नियंत्रण बनाए रखते हुए वैश्वीकरण के लाभ** प्राप्त करना है।

प्रश्न : भारत ने अपने बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नया आकार देने में G20 मंच का किस प्रकार प्रभावी उपयोग किया है? विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- G20 और भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये भारत द्वारा G20 मंच के उपयोग के पक्ष में तर्क दीजिये।
- वैश्विक आर्थिक ढाँचे को नया आयाम देने में भारत की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला G20 **आर्थिक सहयोग तथा वैश्विक शासन के लिये एक प्रमुख मंच** है।

- भारत ने वर्ष **2023 में G20 के अध्यक्ष के रूप में, समावेशी विकास, जलवायु कार्रवाई और ग्लोबल साउथ एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करते हुए,** अपने बहुपक्षीय हितों को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक रूप से इस मंच का लाभ उठाया।
- भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारत ने बहुपक्षवाद पर ज़ोर देते हुए **नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमति हासिल की।**

मुख्य भाग:

बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये भारत द्वारा G20 मंच का उपयोग:

- **ग्लोबल साउथ का समर्थन**
  - **ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की आवाज़: विकासशील देशों के लिये 1.8 ट्रिलियन डॉलर के जलवायु वित्त अंतर** पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने ऋण पुनर्गठन, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी अंतरण में विकासशील देशों के हितों का समर्थन किया।
  - **अफ्रीकी संघ में समावेश:** भारत ने **G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता के लिये** ज़ोर दिया, जिससे ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ गया।

नोट :

- **प्रौद्योगिकी-संचालित विकास को आगे बढ़ाना**
  - **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** भारत ने व्यापक, समावेशी डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने के लिये UPI, **आधार** और **कोविन** के साथ अपनी सफलता का प्रदर्शन किया।
    - ज्ञान साझा करने के लिये **वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार** की शुरुआत की गई।
- **सतत् विकास और हरित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना**
  - **जलवायु कार्रवाई:** भारत ने संधारणीय उपभोग को बढ़ावा देने के लिये **पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) सिद्धांतों पर बल दिया।**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण: One Sun, One World, One Grid vision** (एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दृष्टिकोण) और **वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** के माध्यम से सौर ऊर्जा के विस्तार के लिये प्रस्तावित पहल।
- **क्षेत्रीय संपर्क: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), जिसका अनावरण भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान** किया गया, **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के लिये एक रणनीतिक विकल्प** के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार मार्ग पारगमन समय में संभावित 40% की कमी में योगदान देता है।

वैश्विक आर्थिक ढाँचे को नया आकार देने में भारत की भूमिका

- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** भारत ने निर्णय लेने वाले निकायों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया।
- **कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिये ऋण राहत: श्रीलंका** जैसी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में ऋण पुनर्गठन के लिये ढाँचे का समर्थन किया।
- **आपदा आघातसहनीयता और जलवायु वित्तपोषण में नेतृत्व:** भारत ने द्वीपीय देशों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने की पहल का आह्वान किया।
  - G20 में **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) पर प्रकाश डाला गया।**
- **डिजिटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर:** भारत के UPI ने **भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर** और **अन्य देशों** में पहल के साथ वैश्विक गति प्राप्त की है और यह डिजिटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

G20 की अध्यक्षता में भारत ने **वैश्विक चर्चाओं को समानता, समावेशिता और स्थिरता की ओर ले जाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ग्लोबल साउथ का समर्थन** करके और वैश्विक वित्तीय संरचनाओं में सुधारों का समर्थन करके, भारत ने बहुपक्षीय सहयोग के भविष्य को आयाम देने में स्वयं को एक नेतृत्वकार के रूप में स्थापित किया है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत अपने जनांकिकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग किस प्रकार कर सकता है? साथ ही, कौशल विकास और रोज़गार सृजन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं? हाल की सरकारी पहलों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- जनांकिकीय लाभांश पर डेटा प्रस्तुत करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- भारत के जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के अवसरों की व्याख्या कीजिये।
- कौशल विकास और रोज़गार सृजन में चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारी पहलों पर प्रकाश डालिये।
- कौशल विकास और रोज़गार सृजन के साथ-साथ जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत ने सत्र 2005-06 में अपनी जनांकिकीय लाभांश अवधि में प्रवेश किया, जो **सत्र 2055-56 तक** चलेगी। यह **आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक अवसर** प्रदान करता है। **हालाँकि इस क्षमता का दोहन करने के लिये कौशल विकास** और **रोज़गार सृजन** में चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

भारत के जनांकिकीय लाभांश के अवसर:

- **युवा कार्यबल:** भारत की **50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की** है तथा **65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की** है।

नोट :

- **आर्थिक प्रभाव:** विश्व बैंक के अनुसार, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में एक वर्ष की वृद्धि से देश की **GDP वृद्धि में 0.37% की वृद्धि** हो सकती है।
  - इससे घरेलू खपत, बचत और **विनिर्माण** एवं **सेवाओं की उत्पादकता में भी वृद्धि** हो सकती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** लागत प्रभावी, कुशल श्रम की उपलब्धता भारत को उद्योगों के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

कौशल विकास और रोज़गार सृजन में चुनौतियाँ

- **कौशल विकास चुनौतियाँ**
  - **औपचारिक प्रशिक्षण का निम्न प्रसार:** कार्यबल का केवल **4.7% ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है (2022)।**
  - **रोज़गार योग्यता अंतर:** भारत कौशल रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि **48.7% युवाओं में नौकरी के लिये उपयुक्त कौशल का अभाव** है।
    - केवल **45% इंजीनियरिंग स्नातक** ही उद्योग मानकों पर खरे उतरते हैं।
- **अभिगम असमानताएँ:**
  - **लैंगिक अंतराल:** व्यावसायिक प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी कम (18-59 वर्ष की आयु की 18.6% महिलाएँ) बनी हुई है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।
    - **आर्थिक बाधाएँ:** गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की उच्च लागत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये अभिगम को सीमित करती है।
- **रोज़गार सृजन की चुनौतियाँ**
  - **बेरोज़गारी के आँकड़े:** कुल बेरोज़गारी दर: 8.1% (CMIE, अप्रैल 2024)। युवा बेरोज़गारी: **23.2%।** (विश्व बैंक)
    - महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी अभी भी कम उपयोग में लाई जाती है।
  - **संरचनात्मक मुद्दे: 90% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में** है, जहाँ वेतन और नौकरी की सुरक्षा कम है।
    - **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन** (GDP में मात्र 14% का योगदान) कार्यबल वृद्धि से पीछे है।
    - **गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन** जनांकिकीय लाभांश आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता।
  - **क्षेत्रीय असमानताएँ:** रोज़गार के अवसर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में ही केंद्रित रहते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारी पहल:

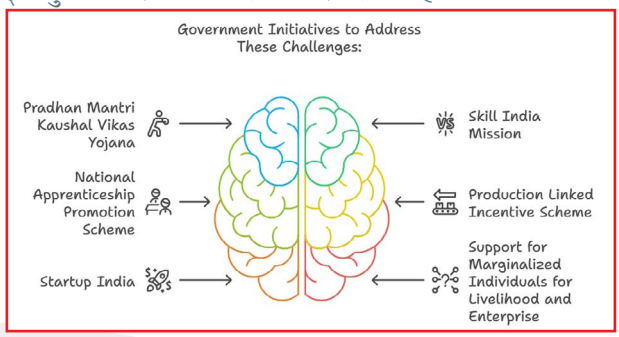

कौशल विकास और रोज़गार सृजन के साथ-साथ जनांकिकीय लाभांश का उपयोग:

- **कौशल एवं शिक्षा सुधार:** शिक्षा को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है:
  - स्कूलों और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **AI और रोबोटिक्स** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिये पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाना चाहिये।।
  - **उदाहरण:** NEP- 2020 का फोकस अनुभवात्मक शिक्षा और इंटर्नशिप पर है।
- **डिजिटल और हरित कौशल प्रशिक्षण का विस्तार: चौथी औद्योगिक क्रांति** के लिये कार्यबल तैयार करने हेतु डिजिटल साक्षरता और हरित अर्थव्यवस्था कौशल को एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
  - **स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म** और **नैसकॉम फ्यूचरस्किल्स** जैसी पहलों का लाभ उठाना चाहिये।
- **औपचारिक क्षेत्र के अवसरों को बढ़ावा देना: औपचारिक रोज़गार सृजन के लिये व्यापार में आसानी संबंधी** सुधारों और कर प्रोत्साहनों के माध्यम से कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)** के अंतर्गत अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिये नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **MSME विकास को बढ़ावा देना:** MSME के लिये वित्तीय और रसद सहायता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो **62% कार्यबल को रोज़गार** प्रदान करते हैं।
  - ऋण गारंटी योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ कौशल आधारित सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिये।

नोट :

- **क्षेत्र-विशिष्ट विकास को बढ़ावा देना:** विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - **रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये PLI योजनाओं में** अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **ग्रामीण उद्यमिता:** क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में **कृषि आधारित और हस्तशिल्प उद्यमों को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।
  - मार्गदर्शन और वित्तपोषण सहायता के साथ **ग्रामीण उद्यमिता केंद्रों की** स्थापना की जानी चाहिये।
- **आकांक्षी ज़िलों को लक्षित करना:** अविकसित क्षेत्रों में कौशल केंद्रों और औद्योगिक समूहों के निर्माण के लिये **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का विस्तार** करने की आवश्यकता है।
  - **पिछड़े राज्यों में रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन** प्रदान करके क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का जनांकिकीय लाभांश **आर्थिक विकास को गति देने का अवसर** प्रदान करता है। लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करके, **रोज़गार सृजन को बढ़ावा देकर** तथा **व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा को एकीकृत करके,** भारत अपनी युवा आबादी की क्षमता का दोहन कर सकता है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर हासिल करने के बावजूद, भारत मानव विकास सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है। इस विसंगति के कारणों का विश्लेषण कीजिये और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की मज़बूत GDP वृद्धि और मानव विकास सूचकांकों के बीच असमानता को उजागर करते हुए इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है।
- GDP वृद्धि और मानव विकास के बीच विसंगति के कारण बताइये।
- समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की 7.6% की मज़बूत वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी रही, जिससे वह तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई।

- **हालाँकि यह आर्थिक प्रगति मानव विकास के क्षेत्र में समान रूप से परिलक्षित नहीं हुई है, जो मानव विकास सूचकांक (HDI) 2023-24** में भारत की रैंकिंग से स्पष्ट है, **193 देशों में से भारत 134वें स्थान पर है।**

मुख्य भाग:

GDP वृद्धि और मानव विकास के बीच विसंगति के कारण

- **धन का असमान वितरण और क्षेत्रीय असंतुलन**
  - **धन संकेंद्रण:** ऑक्सफैम वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल **5% भारतीयों के पास देश की 60 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है,** जिससे आय में भारी असमानता उत्पन्न हो रही है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा तक समान पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है।
  - **शहरी-ग्रामीण विभाजन:** जबकि शहरी क्षेत्रों में सेवाओं तक बेहतर पहुँच है, **ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों से वंचित हैं,** वहाँ बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का अभाव है।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना**
  - **कम स्वास्थ्य व्यय: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार,** भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.1% है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित हो गई है और लोगों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य व्यय पर खर्च करना पड़ता है।
  - **खराब स्वास्थ्य परिणाम: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5)** के अनुसार, **देश में कुपोषण और बाल बौनेपन की दर 35.5% है,** जो अधिक प्रभावी तथा लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **शैक्षिक असमानताएँ और गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ**
  - **पहुँच और गुणवत्ता में अंतर:** हालाँकि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर उच्च है, लेकिन सीखने के परिणामों में अभी भी उल्लेखनीय कमियाँ बनी हुई हैं।
    - **ASER 2022 रिपोर्ट के अनुसार,** पाँचवीं कक्षा के केवल **42.8% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं,** जो बच्चों के पढ़ने के कौशल में गिरावट का संकेत देता है।
  - **कौशल विसंगति: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार, **भारत के केवल 51.25% स्नातक ही** रोज़गार योग्य हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- **सीमित सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार के अवसर**
  - **रोज़गार संबंधी मुद्दे:** उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोज़गार सृजन नहीं हुआ है।
    - अप्रैल 2023 में बेरोज़गारी दर, विशेष रूप से युवाओं में, **8.11% तक पहुँच गई (CMIE डेटा)**, जो विकास और आजीविका के बीच असंतुलन को दर्शाती है।
  - **सामाजिक सुरक्षा घाटा:** वर्तमान में **400 मिलियन कार्यबल में से केवल लगभग 35 मिलियन लोगों के पास** वृद्धावस्था आय संरक्षण के रूप में औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच है, जिससे एक बड़ा वर्ग आर्थिक समस्याओं के प्रति असुरक्षित रहता है।
- **पर्यावरण और पारिस्थितिकी चुनौतियाँ**
  - **प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव:** IQAir के अनुसार, भारत **विश्व में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है,** जिसके 42 शहर प्रदूषण के मामले में दुनिया के 50 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** जलवायु संबंधी चुनौतियाँ, जैसे **अत्यधिक गर्म लहरें और अचानक सूखा**, कृषि को प्रभावित करती हैं तथा विस्थापन का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आजीविका एवं मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उपाय:

- **स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि**
  - **स्वास्थ्य बजट में वृद्धि:** प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल व्यय को **सकल घरेलू उत्पाद के 4-5% तक बढ़ाने से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सकता है और असमानता कम हो सकती है।**
  - **शिक्षा सुधार:** कौशल अंतर को पाटने और रोज़गार क्षमता में सुधार के लिये **व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा तथा क्षेत्रीय भाषा निर्देश** पर **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों को केंद्रित करना है।**
- **लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से असमानताओं को दूर करना**
  - **सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सशक्त करना: आयुष्मान भारत** और **प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करने से** हाशिये पर पड़े समूहों के लिये वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** कल्याणकारी लाभों के समय पर और प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिये DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली में सुधार करके कमज़ोर वर्गों को सशक्त किया जा सकता है, जिससे गरीबी में कमी तथा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।
- **रोज़गार और कौशल विकास को बढ़ावा देना**
  - **कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम: उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को नया रूप देने से,** विशेष रूप से AI और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में, रोज़गार सृजन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
  - **MSME क्षेत्र को समर्थन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** के लिये लक्षित सहायता, जो रोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **सतत् एवं हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करना**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश: भारत की COP26 प्रतिबद्धताओं** के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थायी रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकता है और पर्यावरणीय क्षरण को कम कर सकता है।
  - **जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसे कार्यक्रमों को** ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिये जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **डेटा संग्रह और नीति कार्यान्वयन में सुधार**
  - **वास्तविक समय डेटा निगरानी: स्वास्थ्य, रोज़गार और गरीबी पर निगरानी रखने के लिये वास्तविक समय डेटा का लाभ उठाने से** सामाजिक कार्यक्रमों के लक्षित वितरण में सुधार हो सकता है।
  - **विकेंद्रीकृत शासन:** स्थानीय शासन को सशक्त करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाएँ ज़मीनी स्तर तक, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

निष्कर्ष:

केवल उच्च GDP वृद्धि हासिल करना भारत के सामने मौजूद जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। मानव संसाधन में निवेश, **क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चितता से भारत एक अधिक समावेशी तथा संतुलित विकास मॉडल** प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न : भारत में श्रम बल की अनौपचारिक संरचना समावेशी विकास की दिशा में क्या चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है? कमज़ोर श्रमिकों की सुरक्षा करते हुए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिये संभावित समाधान सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अनौपचारिक कार्यबल के प्रभुत्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- समावेशी विकास पर अनौपचारिक कार्यबल का प्रभाव बताइये।
- अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और कमज़ोर श्रमिकों की सुरक्षा के लिये संभावित समाधान सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

भारत का कार्यबल मुख्य रूप से अनौपचारिक है, जिसमें **90% से अधिक कर्मचारी अनौपचारिक रोज़गार में संलग्न** हैं। यह व्यापक अनौपचारिकता **समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिये चुनौतियाँ** पेश करती है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्राय: **नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुँच और उत्पादकता में कमी** आती है।

मुख्य भाग:

समावेशी विकास पर अनौपचारिक कार्यबल का प्रभाव

- **सीमित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ:** अनौपचारिक श्रमिकों के पास प्राय: **आवश्यक कल्याणकारी उपायों,** जैसे कि भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ तक पहुँच नहीं होती है, जिससे उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, **भारत के केवल 24% कार्यबल के पास सामाजिक सुरक्षा कवरेज** है, जो सामाजिक हाशिये पर जाने और आर्थिक असमानता को बढ़ाता है।
- **आय अस्थिरता और गरीबी:** अनौपचारिक श्रमिकों की आय औसतन **औपचारिक श्रमिकों की तुलना में 19% कम** है (विश्व बैंक) और उन्हें **अप्रत्याशित आय का सामना** करना पड़ता है और **नौकरी की सुरक्षा का अभाव** होता है, जिससे गरीबी से बचना तथा निरंतर आर्थिक विकास में योगदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **रोज़गार में लैंगिक असमानता:** महिला श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा **प्राय: कम वेतन वाले, अनियमित नौकरियों** में, मातृत्व लाभ या कार्यस्थल सुरक्षा के बिना **अनौपचारिक रोज़गार** में लगा हुआ है।
  - **भारत में महिलाओं का 81.8% रोज़गार** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में केंद्रित (ILO) है।
- **कर राजस्व और संसाधन आवंटन में कमी:** अनौपचारिक क्षेत्र **बड़े पैमाने पर कर के दायरे से बाहर** काम करता है, जिसके कारण सरकार का राजस्व कम होता है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय को बाधित करता है।
  - अनुमान है कि **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50%** अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे विकास के लिये संभावित कर संग्रह और राजकोषीय संसाधनों में पर्याप्त अंतर उत्पन्न होता है।
- **ऋण और वित्तीय समावेशन तक सीमित पहुँच:** अनौपचारिक श्रमिकों और उद्यमों के पास **प्राय: औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड का अभाव** होता है, जिससे औपचारिक बैंकिंग चैनलों से ऋण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जो उनके व्यवसाय के विकास एवं परिसंपत्ति निर्माण को सीमित करता है।

अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और कमज़ोर श्रमिकों की सुरक्षा के लिये संभावित समाधान

- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PMSYM)** और **आयुष्मान भारत** का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि **अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक रूप से कवर** किया जा सके तथा उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य बीमा एवं आय सहायता तक पहुँच प्रदान की जा सके।
  - इसके लिये सभी श्रमिकों के लिये सुलभ एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पोर्टल बनाने हेतु **केंद्र और राज्य सरकारों** के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।
- **कर और नीति समर्थन के माध्यम से औपचारिक रोज़गार को प्रोत्साहन:** सरकार उन **कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी** दे सकती है जो अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक रोज़गार में स्थानांतरित करती हैं, विशेष रूप से वस्त्र एवं निर्माण जैसे **श्रम-गहन क्षेत्रों में।**
- **कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को **अनौपचारिक श्रमिकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता** देनी चाहिये, तथा उन्हें ऐसे कौशल से सुसज्जित करना चाहिये जिससे औपचारिक रोज़गार प्राप्त करना आसान हो सके।
- **अनुपालन को सरल बनाना और विनियामक बोझ को कम करना:** श्रम संहिताओं को सरल बनाना और छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन लागत को कम करना अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक रूप से पंजीकरण एवं संचालन के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
  - **वेतन संहिता** और **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता** को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन और औपचारिक ऋण सुलभता को बढ़ावा देना: जन धन-आधार-मोबाइल (JAM)** ट्रिनिटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का विस्तार अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने में सक्षम बना सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी एवं बचत को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिये भारत के **अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाना आवश्यक** है। **सहायक नीतियों** को लागू करके, **वित्तीय समावेशन** को बढ़ाकर और **सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करके, भारत एक अधिक न्यायसंगत एवं उत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले।

नोट :

प्रश्न : "भारत, कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उसका स्तर वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस तथ्य पर आँकड़े बताते हुए परिचय दीजिये कि भारत कृषि उत्पादन में किस प्रकार विश्व स्तर पर अग्रणी है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में बहुत पीछे है।
- खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व बताइये।
- खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहलों से संबंधित जानकारी दीजिये।
- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिये समाधान सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्विक कृषि सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में भारत का योगदान 11.9% है। इसके बावजूद, इसकी केवल **10-15% उपज का ही प्रसंस्करण** हो पाता है। **यह अंतर भारत की कृषि क्षमता के कम उपयोग** को उजागर करता है, जिसके कारण फसल कटाई के बाद नुकसान, किसानों की आय में कमी और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में कमी होती है।

मुख्य भाग:

खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व:

- **मूल्य संवर्द्धन:** इसके तहत कच्चे कृषि उत्पादों को लंबे समय तक उपयोग में लाने वाले उत्पादों में बदल दिया जाता है, जिससे उनका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। **उदाहरण:** आमों को गूदे में बदलने से उनका मूल्य **3-4 गुना** बढ़ जाता है।
- **फसल-उपरांत नुकसान में कमी:** भारत को खाद्य बर्बादी के कारण प्रतिवर्ष लगभग **92,651 करोड़ रुपए का नुकसान** होता है, यदि इस धन का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाए तो यह धन बच सकता था।
- **रोज़गार सृजन:** इस क्षेत्र में **1.93 मिलियन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है** तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें तेज़ी से वृद्धि की संभावना है।
- **निर्यात को बढ़ावा: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत के कुल निर्यात** में केवल 13% का योगदान देता है, जोकि विशाल अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है।

खाद्य प्रसंस्करण के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली चुनौतियाँ:

- **अवसंरचनात्मक अंतराल:** वर्तमान कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना भारत की कुल शीघ्र खराब होने वाली **उपज का केवल 11% ही संग्रहीत** कर सकती है।
  - **फलों और सब्ज़ियों जैसे बागवानी उत्पादों की बर्बादी 30-40%** तक होती है।
- **तकनीकी और नवाचार संबंधी कमियाँ: आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में कमी से अकुशलताएँ** उत्पन्न होती हैं, जैसे- फसलों की छँटाई और श्रेणीकरण के लिये **मशीनीकरण की कमी।**
- **किसान-केंद्रित बाधाएँ:** 86% से अधिक **किसान** छोटे या सीमांत हैं, जिससे खाद्य **प्रसंस्करण के लिये एकत्रीकरण कठिन** हो जाता है।
  - किसानों को **मूल्य संवर्द्धन और बाज़ार की मांग के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नहीं** दी जाती है।
- **नीतिगत एवं विनियामक अड़चनें:** जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ निजी क्षेत्र के निवेश को बाधित करती हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने से वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
  - **सिंगापुर और हांगकांग ने हाल ही में एथिलीन ऑक्साइड संदूषण** की चिंताओं का हवाला देते हुए **MDH प्राइवेट** और **एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट** जैसी अन्य भारतीय मसाला ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **मध्यवर्त्तियों की कमी:** सरकार द्वारा संकटग्रस्त MSME को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिये कई उपायों की घोषणा के बावजूद, **भारत में लगभग 80% MSME के पास पारंपरिक ऋण चैनलों तक पहुँच नहीं है।**

वर्तमान की सरकारी पहलें:

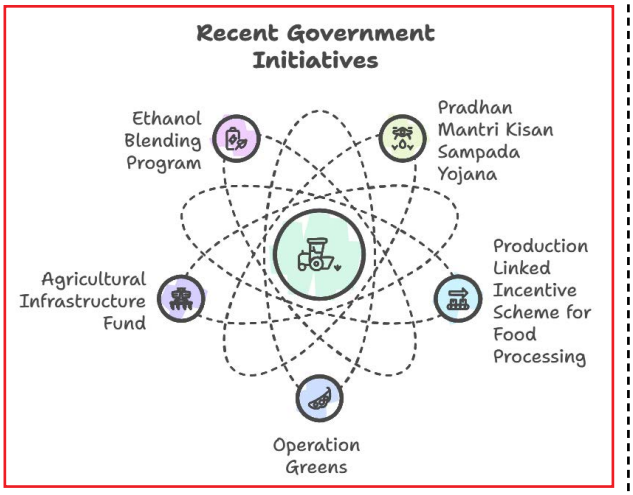

नोट :

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने हेतु समाधान:

- **बुनियादी अवसंरचना का विकास:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपव्यय को कम करने के लिये एकीकृत शीत भंडारण प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - परिवहन घाटे को कम करने के लिये **उत्पादन क्षेत्रों के निकट कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर** विकसित किये जाने चाहिये।
- **तकनीकी उन्नयन: मांग के पूर्वानुमान** के लिये AI और **खराब होने वाली वस्तुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग** के लिये IoT का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - **कर्नाटक की कृषि नीति में** शीत भंडारण समाधानों को एकीकृत किया गया है।
- **मशीनीकरण को बढ़ावा देना: छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग** में स्वचालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **नीतिगत सुधार:** अधिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिये **खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित** की जानी चाहिये।
- **किसान सशक्तीकरण: किसान उत्पादक संगठनों** को उपज एकत्र करने और बेहतर कीमतों पर सौदाकारी करने में सहायता की जानी चाहिये।
  - eNAM जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
- **निजी क्षेत्र की सहभागिता:** कोल्ड चेन नेटवर्क और मेगा फूड पार्कों के निर्माण के लिये **पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में **किसानों की आय बढ़ाने, बर्बादी कम करने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अपार संभावनाएँ** हैं। बुनियादी अवसंरचना, नीति सरलीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण इस अंतर को कम कर सकता है, जिससे भारत एक कृषि महाशक्ति से प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है।

प्रश्न : डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) भारत में समावेशी आर्थिक विकास और वित्तीय परिवर्तन को कैसे सक्षम बना सकती है? इसकी संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- DPI की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सहायक उदाहरणों के साथ DPI की क्षमता बताइये।
- DPI की सीमाओं की व्याख्या कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की G20 अध्यक्षता ने **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** को समावेशी आर्थिक विकास और वित्तीय परिवर्तन के लिये एक परिवर्तनकारी प्रवर्तक के रूप में रेखांकित किया।

- DPI **अपने खुलेपन, अंतर-संचालनीयता और मापनीयता की विशेषता के कारण,** डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी क्षेत्रीय पहलों के साथ **आधार तथा UPI** जैसी आधारभूत प्रणालियों को एकीकृत करता है।

मुख्य भाग:

DPI की क्षमता:

- **समावेशी आर्थिक विकास:**
  - **वित्तीय समावेशन:** आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों और UPI ने सीमांत समूहों के लिये औपचारिक बैंकिंग तक अभिगम का विस्तार किया है, जिससे मासिक 10 बिलियन से अधिक UPI लेन-देन होते हैं।
  - **आर्थिक मूल्य:** नैसकॉम (Nasscom) के अनुमान के अनुसार, DPI वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में 4.2% का योगदान कर सकता है, जिससे भारत की 8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता बढ़ जाएगी।
  - **एमएसएमई का सशक्तीकरण:** ONDC जैसे प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाते हैं तथा समान बाज़ार अभिगम को बढ़ावा देते हैं।
- **बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण:**
  - **ई-गवर्नेंस:** CoWIN जैसे प्लेटफॉर्मों ने 2.2 बिलियन वैक्सीन प्रशासन की सुविधा प्रदान की, जिससे निर्बाध सार्वजनिक सेवा वितरण का प्रदर्शन हुआ।
  - **डेटा सशक्तीकरण: डिजिलॉकर और DEPA** गोपनीयता को बनाए रखते हुए सुरक्षित डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
- **नवप्रवर्तन के लिये उत्प्रेरक:**
  - डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, तथा फिनटेक विकास के लिये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जैसे उपकरणों का लाभ उठाते हैं।

नोट :

DPI की सीमाएँ:

- **डिजिटल डिवाइड:** वर्ष 2022 तक, भारत में इंटरनेट की पहुँच **केवल 52%** थी, **ग्रामीण क्षेत्र शहरी केंद्रों से काफी पीछे हैं,** जिससे UPI और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल सेवाओं तक पहुँच सीमित है।
- **डिजिटल निरक्षरता: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान** जैसी पहलों के बावजूद, एक बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से निरक्षर बना हुआ है, जिससे डिजिटल भुगतान (UPI) जैसी सेवाओं के अंगीकरण पर असर पड़ रहा है।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** भारत को **प्रत्येक सप्ताह 3,000 से अधिक साइबर हमलों का सामना** करना पड़ता है, जिसमें वर्ष 2023 में हुए **एम्स दिल्ली रैनसमवेयर अटैक** जैसी घटनाएँ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना में कमियों को उजागर करती हैं।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** अभी भी लागू किया जा रहा है। **वर्ष 2018 में आधार लीक** जैसी पिछली घटनाओं ने डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उजागर किया है।
- **डिजिटल संप्रभुता: भुगतान डेटा को स्थानीय स्तर पर संग्रहीत करने के लिये RBI के आदेश** जैसी नीतियाँ वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिये चुनौती हैं और सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रभावित करती हैं।

आगे की राह:

- **सार्वभौमिक कनेक्टिविटी का विस्तार: ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट कवरेज** के विस्तार के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। राष्ट्रव्यापी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये **भारतनेट जैसी पहलों का लाभ** उठाने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** डिजिटल कौशल को बेहतर बनाने के लिये **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान** जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। **स्कूल के पाठ्यक्रम और सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों में डिजिटल साक्षरता को एकीकृत** किया जाना चाहिये।
  - महिलाओं और सीमांत समुदायों की डिजिटल शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- **साइबर सुरक्षा ढाँचे का सुदृढ़ीकरण: महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा के लिये** एक व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना:** व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023** को लागू किये जाने की आवश्यकता है। क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो सुनिश्चित करते हुए डेटा स्थानीयकरण के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किये जाने चाहिये।
- **भाषा समावेशिता को बढ़ाना: भारत की भाषाई विविधता को** ध्यान में रखते हुए बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट को बढ़ावा देने के लिये BHASHINI जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल संप्रभुता को कायम रखना: डेटा स्थानीयकरण** से जुड़े कानूनों को सुदृढ़ बनाने के साथ ही **राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी सुनिश्चित** की जानी चाहिये। डेटा सुरक्षा चिंताओं के साथ वैश्विक तकनीकी सहयोग को संतुलित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

DPI में **सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने और वित्तीय परिवर्तन को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता है, लेकिन डिजिटल असमानता, गोपनीयता जोखिम एवं विनियामक विखंडन** जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये। इन उपायों को अपनाकर, भारत DPI को समावेशी विकास की आधारशिला के रूप में सुदृढ़ कर सकता है, एक ऐसे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है जो अभिनव, न्यायसंगत एवं आघातसह हो।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : भारत के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक हाशिये पर होने, शासन की कमी और कट्टरपंथी विचारधाराओं के उदय के बीच परस्पर जटिल संबंधों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक रूप से हाशिये पर होने, शासन की कमी और कट्टरपंथी विचारधाराओं के उदय के बीच परस्पर क्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- तीन कारकों, जिसमें प्रत्येक कारक एक दूसरे को प्रभावित करता है, को युग्मों में विभाजित करके जटिल अंतर्संबंध को समझाइये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आर्थिक सीमांतता, शासन की कमी एवं कट्टरपंथी विचारधाराएँ, **विशेषकर भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों** जैसे: **मध्य भारत, पूर्वोत्तर** तथा **जम्मू और कश्मीर** में एक **आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र** बनाती हैं। इनके परस्पर प्रभाव से सामाजिक-राजनीतिक तनाव बढ़ता है और हिंसा बढ़ती है।

नोट :

मुख्य भाग:

तीन कारकों के बीच जटिल अंतर्संबंध

- **आर्थिक सीमांतता और शासन की कमी**
  - **बेरोज़गारी और गरीबी:** आर्थिक अपवर्जन सीमांत समूहों में असंतोष को बढ़ावा देता है।
    - उदाहरण के लिये, **झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदायों को खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ता है**, लेकिन उन्हें अपर्याप्त पुनर्वास मिलता है।
  - **अकुशल कल्याणकारी वितरण:** मनरेगा जैसी **कल्याणकारी योजनाओं का खराब कार्यान्वयन** और **भ्रष्टाचार** गरीबों को अलग-थलग कर देता है, जिससे वे राज्य-विरोधी आख्यानों के शिकार हो जाते हैं।
- **आर्थिक सीमांतता से कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा**
  - **पुनर्वितरण का वादा:** मध्य भारत में माओवादियों जैसे समूह आर्थिक शिकायतों का लाभ उठाकर सीमांत युवाओं की भर्ती करते हैं और **संसाधनों के पुनर्वितरण का वादा** करते हैं।
    - माओवादी विद्रोह की **जड़ें जनजातीय समुदायों को वन अधिकारों** और **संसाधनों तक अभिगम से वंचित करने में** निहित हैं।
  - **राष्ट्रीय विकास से बहिष्कृत: बस्तर** जैसे क्षेत्र प्रमुख मानव विकास सूचकांक (HDI) संकेतकों में पिछड़े हुए हैं, जिससे वे कट्टरपंथी विचारधाराओं के गढ़ बन गए हैं।
- **शासन की कमी से कट्टरपंथ को बढ़ावा**
  - **सुरक्षा शून्यता: वर्ष 2023 की जातीय हिंसा के दौरान मणिपुर** जैसे क्षेत्रों में कमज़ोर कानून प्रवर्तन से विद्रोही समूहों को तनाव का फायदा उठाने और सदस्यों की भर्ती करने का अवसर मिला।
  - **संवाद की उपेक्षा:** शिकायतों को कूटनीतिक रूप से दूर करने में शासन की विफलता (जैसे- **पूर्वोत्तर भारत में छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने में विलंब**) सीमांत समूहों को उग्रवाद के लिये उत्प्रेरित करती है।
- **शासन और आर्थिक अंतराल का फायदा उठा रही कट्टरपंथी विचारधाराएँ**
  - **समानांतर शासन का निर्माण:** कट्टरपंथी समूह (उदाहरण के लिये, **छत्तीसगढ़ में माओवादी-नियंत्रित क्षेत्र**) प्राय: शासन की कमियों को पूरा करने के लिये आगे आते हैं, बुनियादी सेवाएँ, न्याय और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - **पहचान और शिकायतों को हथियार बनाना: जम्मू और कश्मीर** में व्याप्त कट्टरपंथी विचारधाराएँ अलगाववादी भावनाओं को भड़काने के लिये सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार का फायदा उठाती हैं।
    - **जम्मू-कश्मीर में बेरोज़गारी दर 18% से अधिक** है, जो **राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक** है, जिससे कट्टरपंथी विचार पनप सकते हैं।
    - **अनुच्छेद 370 के निरस्त** होने से प्रशासनिक सुधार तो हुए, लेकिन इससे **गहरे आर्थिक अलगाव को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया जा सका,** जिसके कारण निरंतर अशांति बनी रही और चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती की गई।

आगे की राह:

- **समावेशी विकास:** क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से रोज़गार के अवसरों (जैसे- **कौशल भारत को संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों तक विस्तारित करना**) में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- **शासन को सुदृढ़ बनाना:** योजनाओं के अंतिम छोर तक वितरण में सुधार करने तथा डिजिटल शासन (जैसे- **JAM ट्रिनिटी**) के माध्यम से भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है।
- **कट्टरपंथ से मुक्ति कार्यक्रम:** शिक्षा, परामर्श और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के माध्यम से समुदायों को शामिल किया जाना चाहिये, जैसा कि **कट्टरपंथ से मुकाबला करने के लिये केरल के मॉडल में देखा गया है।**
- **समावेशी विकास: बेहतर प्रशासन के माध्यम से विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी वितरण को सुदृढ़** किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये, जनजातीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाने के लिये **PM वन धन योजना की सफलता** का विस्तार किया जा सकता है।
- **संघर्ष समाधान तंत्र:** लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समाधान के लिये संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जैसा कि **नगा शांति समझौते (वर्ष 2015)** में देखा गया है।
  - भारत **सिंगापुर के समुदाय-संचालित दृष्टिकोण** से लाभ उठा सकता है, जबकि स्केलेबिलिटी एवं व्यक्तिगत आकलन में यूके और सऊदी अरब की कमियों से सीख सकता है।

निष्कर्ष:

आर्थिक सीमांतता, शासन की कमी और कट्टरपंथी विचारधाराओं के बीच के अंतर्संबंध को बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। **शासन संबंधी अंतराल को कम करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और पहचान आधारित शिकायतों का समाधान करना इस चक्र को तोड़ने के लिये आवश्यक है।** जैसा कि **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** से स्पष्ट है, विकास और सुशासन को मिलाकर लक्षित प्रयास भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में शांति एवं प्रगति का मार्ग प्रदान कर सकते हैं।

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : स्टॉकहोम सम्मेलन- 1972 के बाद से भारत ने पर्यावरण शासन में क्या प्रगति की है और जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- स्टॉकहोम सम्मेलन- 1972 के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- स्टॉकहोम सम्मेलन- 1972 के बाद पर्यावरण शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण का विकास, जैव विविधता संरक्षण पर विकासशील शासन के प्रभावों पर प्रकाश डालिये।
- स्थायी मुद्दों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

स्टॉकहोम सम्मेलन- 1972 ने वैश्विक पर्यावरण शासन में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने भारत की पर्यावरण नीतियों को आयाम दिया तथा **सतत् विकास एवं जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता** दी।

- पिछले दशकों में, भारत का पर्यावरण शासन **आधारभूत कानूनों की स्थापना** से लेकर **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, सामुदायिक भागीदारी** और **नवीन संरक्षण रणनीतियों** को शामिल करने तक आगे बढ़ा है।

मुख्य भाग:

पर्यावरण शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण का विकास —

- **1970-1980 का दशक: पर्यावरण कानून की नींव**
  - जल **(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ने** जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की।
  - वन **संरक्षण अधिनियम, 1980** ने निर्वनीकरण (वनों की कटाई) और वन भूमि के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **1990 का दशक: वैधानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण**
  - भोपाल गैस त्रासदी के बाद, **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** ने सरकार को वायु, जल और भूमि में प्रदूषण को विनियमित करने का अधिकार दिया।
  - वन्यजीव **संरक्षण संशोधन, 1991** ने संरक्षित प्रजातियों की सूची का विस्तार किया तथा अवैध शिकार के लिये दंड में वृद्धि की।
- **2000 का दशक: अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का एकीकरण**
  - जैव **विविधता अधिनियम, 2002** जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करता है तथा स्थानीय समुदायों के साथ लाभ-साझाकरण को बढ़ावा देता है।
  - **वन अधिकार अधिनियम, 2006** ने वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी, जिससे संरक्षण प्रयासों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), 2008** में जैव विविधता संरक्षण के लिये ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहल शामिल थी।
- **2010 का दशक: समुदाय-केंद्रित शासन**
  - राष्ट्रीय **हरित अधिकरण (NGT), 2010** ने पर्यावरण संबंधी शिकायतों के समाधान और पर्यावरण संरक्षण कानूनों को लागू करने के लिये एक मंच प्रदान किया।
- **2020 का दशक: नवीन, जलवायु-अनुकूल रणनीतियाँ**
  - CAMPA, 2020 ने निर्वनीकरण (वनों की कटाई) के परमिट से प्राप्त धनराशि को वनीकरण प्रयासों की ओर निर्देशित किया।
  - **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय मिशन** का ध्यान हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने पर केंद्रित है।
  - **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023** वन संरक्षण के दायरे का विस्तार करता है, विकास और सुरक्षा परियोजनाओं के लिये छूट प्रदान करता है, तथा **इको-टूरिज़्म एवं वन्यजीव पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त** बनाता है।

जैव विविधता संरक्षण पर विकासशील शासन का प्रभाव:

- **संरक्षित क्षेत्रों और जैव विविधता हॉटस्पॉट का विस्तार:** भारत ने अपने संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया है और अब **संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 998 है,** जो **देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.28%** है।
  - **उदाहरण: पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थापित** करने से स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि हुई है।
- **सफल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम** भारत के प्रमुख संरक्षण कार्यक्रमों ने बाघों, हाथियों और गैंडों जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी को पुनर्जीवित करने में मदद की है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 1973 में शुरू की गई **प्रोजेक्ट टाइगर** के कारण बाघों की जीवसंख्या में वृद्धि हुई और अब भारत में **विश्व के 70% से अधिक वन्य बाघ निवास** करते हैं।

नोट :

- **पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक संरक्षण को बढ़ावा देना:** जैव विविधता प्रशासन ने संरक्षण प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी को तेज़ी से एकीकृत किया है।
  - **उदाहरण: नागोया प्रोटोकॉल** प्रतिबद्धताएँ और **जन जैव विविधता रजिस्टर** स्थानीय समुदायों को स्वदेशी जैव विविधता का दस्तावेज़ीकरण एवं संरक्षण करने के लिये सशक्त बनाते हैं, तथा औषधीय पौधों व स्थानीय वनस्पतियों के संधारणीय उपयोग का समर्थन करते हैं।
- **जलवायु-अनुकूल जैव विविधता रणनीतियाँ:** जलवायु संबंधी चिंताओं को जैव विविधता संरक्षण में एकीकृत करने से भारत जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिक प्रभावों का समाधान करने में सक्षम हुआ है।
  - **उदाहरण: हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन** ने बढ़ते तापमान से प्रभावित उच्च तुंगता पर निवास करने वाली प्रजातियों के लिये अनुकूली संरक्षण तकनीकें शुरू की हैं।
- **बेहतर पर्यावरण अनुपालन और प्रवर्तन तंत्र:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण के माध्यम से पर्यावरण अनुपालन में सुधार हुआ है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर सुरक्षा संभव हुई है।
  - **उदाहरण: NGT के हस्तक्षेप** से अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगने के कारण **राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, जो विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का आवास है,** की सुरक्षा बढ़ी है।

हालाँकि, इन प्रगतियों के बावजूद, निम्नांकित मुद्दे बने हुए हैं:

- हाल ही में पारित **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023** जैव विविधता को खतरा पहुँचाने वाली बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को छूट प्रदान करता है।
- **जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2021** लाभ साझाकरण प्रावधानों को निर्धारित करने में स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भूमिका को प्रतिबंधित करता है और संरक्षण में स्थानीय शासन को कमज़ोर करता है।
- **चार धाम राजमार्ग** और **हसदेव अरण्य में खनन** जैसी परियोजनाओं के कारण आवास का नुकसान हुआ है जिससे प्रजातियाँ खतरे में पड़ गई हैं।

निष्कर्ष:

स्टॉकहोम सम्मेलन- 1972 के बाद से **भारत का पर्यावरण शासन काफी विकसित** हुआ है। इस विकास ने जैव विविधता संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालाँकि, दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये भारत को **उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों**, विशेष रूप से **जलवायु परिवर्तन** और **आवास ह्रास से उत्पन्न चुनौतियों** का सामना करने के लिये अपनी नीतियों को अनुकूलित करना जारी रखना चाहिये।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : mRNA तकनीक पारंपरिक वैक्सीन दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? उभरती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में इसके लाभ और सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- mRNA प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद, में इसकी भूमिका स्पष्ट करते हुए इसका परिचय दीजिये।
- क्रियाविधि और उत्पादन के संदर्भ में mRNA टीकों की तुलना पारंपरिक टीकों से कीजिये।
- mRNA प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिये।
- भंडारण, लागत और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार कीजिये।
- वर्तमान सीमाओं को स्वीकार करते हुए mRNA की क्षमता पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

मैसेंजर RNA (mRNA) वैक्सीनीकरण तकनीक, जिसे फाइज़र-बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा कोविड-19 टीकों के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया गया, हाल के वर्षों में व्यापक चर्चा एवं ध्यान का केंद्र बनी हुई है।

- पारंपरिक टीकों के विपरीत, जो **रोगजनकों के कमज़ोर या निष्क्रिय रूपों का उपयोग करते हैं,** mRNA टीके **सिंथेटिक आनुवंशिक सामग्री प्रदान करते हैं जो कोशिकाओं को विशिष्ट एंटीजन का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं,** जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है।

मुख्य भाग:

mRNA तकनीक और पारंपरिक टीकों के बीच अंतर

- **कार्रवाई की प्रणाली:**
  - **पारंपरिक टीके:** आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिये **कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस या प्रोटीन सबयूनिट का उपयोग किया जाता है। उदाहरणों में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन** और **खसरा-कंठमाला-रूबेला (MMR) वैक्सीन शामिल हैं।**

नोट :

- **mRNA टीके**: इसमें **mRNA विशिष्ट एंटीजन (जैसे- कोविड-19 के लिये स्पाइक प्रोटीन)** को एनकोड करता है, जिसे शरीर की कोशिकाएँ इन प्रोटीनों का उत्पादन करने के लिये उपयोग करती हैं, जिससे वास्तविक रोगजनक का उपयोग किये बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है।

- **उत्पादन समय:**
  - पारंपरिक टीकों के लिये लंबी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें **वायरस संवर्द्धन और प्रोटीन शुद्धिकरण शामिल है**, जिसके विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं।
  - mRNA टीकों को **कुछ ही सप्ताहों में डिज़ाइन और निर्मित किया जा सकता है,** जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था।

वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में mRNA प्रौद्योगिकी के लाभ

- **उच्च प्रभावकारिता और लचीलापन**: mRNA टीकों ने उच्च प्रभावकारिता दिखाई है, **फाइज़र-बायोएनटेक ने** प्रारंभिक रूप से कोविड-19 के खिलाफ 90% से अधिक प्रभावशीलता की रिपोर्ट दी है।
  - **इसके अतिरिक्त, mRNA अनुक्रम में परिवर्तन करके** mRNA प्लेटफॉर्म को विभिन्न रोगजनकों के लिये तेज़ी से अनुकूलित किया जा सकता है।
- **स्केलेबल विनिर्माण**: mRNA टीकों के उत्पादन के लिये **रोगाणु संवर्द्धन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती,** जिससे उत्पादन प्रक्रिया सरल हो जाती है और बायोरिएक्टरों तथा अन्य जटिल बुनियादी ढाँचे की लागत में कमी आती है।
- **जटिल उपचार योग्य बीमारियों को लक्षित करना**: शोधकर्त्ता **HIV, मलेरिया और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे रोगों के लिये mRNA टीकों का विकास कर रहे** हैं, जहाँ पारंपरिक उपचार विधियाँ सीमित साबित हुई हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य में mRNA प्रौद्योगिकी की सीमाएँ:

- **भंडारण और वितरण चुनौतियाँ**: mRNA टीके तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें अति-शीत भंडारण **(फाइज़र के लिये -70 से -80 डिग्री सेल्सियस) की आवश्यकता होती है,** जिससे उन क्षेत्रों में वितरण में कठिनाई होती है जहाँ कोल्ड-चेन बुनियादी ढाँचा सीमित है।
  - इन आवश्यकताओं के कारण, कई **निम्न और मध्यम आय वाले देशों को mRNA टीकों की आपूर्ति में देरी और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा।**
- **अल्पकालिक प्रतिरक्षा और बूस्टर की आवश्यकता**: कुछ पारंपरिक टीकों के विपरीत जो दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं (जैसे- **खसरा, कंठमाला और रूबेला (MMR) टीकाकरण**), कोविड-19 के लिये वर्तमान MRNA टीकों में प्रतिरक्षा स्तर कुछ महीनों में घटता देखा गया, जिसके कारण बूस्टर डोज़ की आवश्यकता महसूस हुई।
  - इससे दीर्घकालिक स्थिरता और सार्वजनिक अनुपालन के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **उच्च लागत और बौद्धिक संपदा संबंधी मुद्दे**: mRNA टीकों की प्रारंभिक लागत पारंपरिक विकल्पों की तुलना में काफी अधिक थी, जिससे **निम्न आय वाले क्षेत्रों में सामर्थ्य प्रभावित हुआ।**
  - बौद्धिक संपदा (IP) बाधाओं ने भी स्थानीय उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **प्रतिकूल घटनाएँ और सार्वजनिक धारणा**: हालाँकि दुर्लभ, प्रतिकूल घटनाओं (जैसे- mRNA कोविड-19 टीकाकरण के बाद **युवा पुरुषों में मायोकार्डिटिस**) के मामले सामने आए हैं, जो सार्वजनिक धारणा और टीकाकरण की दर को प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से जब सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित होती है।

निष्कर्ष:

mRNA तकनीक आधुनिक वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचार के रूप में उभर कर सामने आई है, जो विभिन्न रोगों के लिये गति, अनुकूलन क्षमता और संभावित प्रभाव के दायरे में महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। भंडारण समाधान और लागत में कमी के साथ, इस तकनीक में और अधिक प्रगति के साथ, mRNA टीके न केवल संक्रामक रोगों के खिलाफ, बल्कि कैंसर तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को नई दिशा दे सकते हैं।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : "भारतीय शहर आपदाओं के बढ़ते जोखिम का सामना कर रहे हैं, लेकिन शहरी आपदा प्रबंधन की तैयारियों में अभी भी अनेक कमियाँ हैं। मौजूदा कानूनी ढाँचे के तहत, आपदा प्रतिरोध के संवर्द्धन हेतु कौन-सी रणनीतियाँ और सुधार किये जा सकते हैं?" (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आपदाओं के प्रति भारतीय शहरों की संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- शहरी आपदा प्रबंधन में चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

भारतीय शहर अपनी **बढ़ती आबादी, तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और विस्तारित हो रहे बुनियादी अवसंरचना के कारण** विभिन्न आपदाओं- **प्राकृतिक (बाढ़, भूकंप, चक्रवात)** तथा मानव निर्मित **(आगजनी, इमारतों का ढहना, औद्योगिक दुर्घटनाएँ)** के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं।

- आपदा प्रबंधन में अनेक प्रगति के बावजूद, शहरी आपदा अनुकूलता अभी भी अपर्याप्त है, जिसका मुख्य कारण खंडित शासन, अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और प्रभावी योजना का अभाव है।

मुख्य भाग:

शहरी आपदा प्रबंधन में चुनौतियाँ:

- **तीव्र शहरीकरण: अनियमित विस्तार से** बाढ़ के मैदानों (वर्ष **2023 में बंगलूरू बाढ़**) और भूकंपीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण होता है।
- **कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन: भवन संहिताओं और ज़ोनिंग** विनियमों का निम्नस्तरीय क्रियान्वयन।
- **अपर्याप्त शहरी नियोजन:** शहर विकास योजनाओं में **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** के एकीकरण का अभाव। **(वर्ष 2022 में गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना)**
- **अपर्याप्त पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** आपदा चेतावनियों की सीमित पहुँच, विशेष रूप से सीमांत समूहों के लिये। **(केदारनाथ आकस्मिक बाढ़- वर्ष 2013)**
- **जन-जागरूकता में कमी:** तैयारी उपायों में समुदाय की कम भागीदारी।

आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय:

- **एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:** शहरी आपदा प्रबंधन के लिये विभिन्न एजेंसियों (**NDRF, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय नगर निकाय** और **आपातकालीन सेवाएँ**) के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **शहरी जोखिम और भेद्यता मानचित्रण: जोखिमों के आधार पर शहर-विशिष्ट भेद्यता मानचित्र** विकसित करने के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों का** उपयोग किये जा सकते हैं।
  - इन मानचित्रों में खतरा-प्रवण क्षेत्र (बाढ़ के मैदान, भूकंपीय क्षेत्र, आदि), असुरक्षित आबादी (झुग्गी-झोपड़ियाँ, अनौपचारिक बस्तियाँ) और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे (अस्पताल, बिजली ग्रिड) को शामिल किया जाना चाहिये।
- **शहरी स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ: शहरों को आपदा प्रबंधन अधिनियम** के तहत अनिवार्य रूप से विशिष्ट, स्थानीयकृत आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे **भीड़भाड़, परिवहन बाधाओं और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं** जैसी शहर-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान कर सकें।
- **शहरी विकास में तन्यकता को शामिल करना:** शहरी नियोजन कानूनों में संशोधन, जैसे **मॉडल बिल्डिंग उप-नियम, 2016, शहरों के लिये आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना, भूकंप-प्रतिरोधी इमारतों, बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों** और **सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों को एकीकृत करना** अनिवार्य बना सकता है।
  - नए भवनों और बुनियादी अवसंरचनाओं के लिये आपदा अनुकूलता का आकलन करने तथा अनुमोदन से पहले उसमें सुधार करने हेतु **अनुकूलन ऑडिट** शुरू की जानी चाहिये।
- **जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** को बाढ़, **हीट-वेव्स** और **अनावृष्टि जैसी जलवायु-जनित आपदाओं** से निपटने के लिये शहर स्तर पर लागू किया जाना चाहिये।
  - शहरी स्थानीय निकायों को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना (जैसे- **सतत् जल निकासी प्रणाली, हरित छत और नवीकरणीय ऊर्जा समाधान**) को शामिल करने के लिये अनिवार्य किया जा सकता है।
- **आपदा-रोधी आवास:** उच्च घनत्व वाली झुग्गी-झोपड़ियों वाली आबादी वाले शहरों में मौजूदा संरचनाओं के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के माध्यम से सुरक्षित आवास को बढ़ावा** देना चाहिये जिसमें आपदा-रोधी डिज़ाइन एवं सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में शहरी आपदा तन्यकता को बेहतर समन्वय, एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन, उन्नत बुनियादी अवसंरचना और बढ़ी हुई सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से काफी सुदृढ़ किया जा सकता है। आपदा **प्रबंधन अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय भवन संहिता** और **शहरी नियोजन दिशा-निर्देशों सहित मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क का लाभ** उठाकर, अधिक **आपदा-तन्य शहरी वातावरण को बढ़ावा** दिया जा सकता है।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : रवि एक प्रमुख दवा कंपनी में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) विभाग के निदेशक हैं। उनकी कंपनी एक नई दवा लॉन्च करने वाली है, जिसने नैदानिक परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिये हैं। रवि की टीम को अंतिम चरण के परीक्षणों के लिये एक अनुबंध अनुसंधान संगठन (CRO) का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। उन्होंने देखा कि उनकी बहन, जो नैदानिक परीक्षणों में विशेषज्ञता वाली एक CRO चलाती हैं, ने अनुबंध के लिये बोली लगाई है।

हालाँकि रवि जानता है कि उसकी बहन के CRO की अच्छी प्रतिष्ठा है, वह यह भी जानता है कि उसकी कंपनी ने हाल ही में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण अनुबंध प्राप्त करने के लिये कठिनाई का सामना किया है। अपनी बहन की कंपनी का चयन करने से उसे आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, लेकिन भाई-भतीजावाद के बारे में चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं और परीक्षण प्रक्रिया की अखंडता की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। कंपनी का बोर्ड रवि के निर्णय पर भरोसा करता है तथा उसे अंतिम निर्णय लेने की अनुमति देता है।

(क) CRO के साथ रवि के व्यक्तिगत संबंध शोध प्रक्रिया में नैतिक मुद्दों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?

(ख) रवि को कौन-से कदम उठाने चाहिये?

(ग) रवि अपने निर्णय को कैसे उचित ठहरा सकता है?

परिचय:

रवि, **एक प्रमुख दवा कंपनी में अनुसंधान एवं विकास विभाग में निदेशक के रूप में** नैदानिक परीक्षणों की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें संभावित हितों के टकराव से संबंधित एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है: उनकी बहन का CRO एक महत्त्वपूर्ण अनुबंध के लिये बोली लगा रहा है और उनके निर्णय को या तो पक्षपात या पेशेवर निष्पक्षता के रूप में देखा जा सकता है। इस स्थिति में निष्पक्षता, अखंडता और वस्तुनिष्ठता को संतुलित करने के लिये सावधानीपूर्वक नैतिक विचार की आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:

(क) CRO से रवि के व्यक्तिगत संबंध के नैतिक निहितार्थ

- **एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो:**
  - **वित्तीय लाभ:** रवि की बहन की कंपनी को अनुबंध से वित्तीय लाभ होगा। इससे **हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है,** क्योंकि रवि के निर्णय लेने की प्रक्रिया कंपनी और शोध के सर्वोत्तम हितों के बजाय व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित हो सकती है।
  - **व्यावसायिक प्रतिष्ठा:** यदि CRO क्लिनिकल ट्रायल में असफल रहता है, तो इसका रवि की प्रतिष्ठा और कंपनी की **छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे संभावित कानूनी और नैतिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।**
- **पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता:**
  - **पक्षपात:** व्यक्तिगत संबंध **चयन प्रक्रिया में पक्षपात का कारण बन सकते हैं,** भले ही रवि को लगता हो कि वह निष्पक्ष रह सकता है। यह **चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमज़ोर कर सकता है।**
  - **अखंडता से समझौता:** यदि CRO का चयन भाई-भतीजावाद के आधार पर किया जाता है, **तो यह नैदानिक परीक्षण प्रक्रिया की अखंडता से समझौता कर सकता है,** क्योंकि CRO वैज्ञानिक कठोरता की तुलना में वित्तीय लाभ को प्राथमिकता दे सकता है।
- **सार्वजनिक धारणा:**
  - **नकारात्मक प्रचार:** यदि जनता को रवि और CRO के बीच संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, तो **इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है तथा नकारात्मक प्रचार हो सकता है।**
  - **विश्वास की हानि:** कंपनी के हितधारकों, जिनमें मरीज़, निवेशक और नियामक प्राधिकरण शामिल हैं, का कंपनी की नैतिक प्रथाओं में विश्वास क्षीण हो सकता है।
  - **आंतरिक मनोबल पर प्रभाव:** अपनी बहन के CRO का चयन करने से पक्षपात का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जिससे **संभावित रूप से टीम का मनोबल प्रभावित हो सकता है और कर्मचारियों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो सकता है,** जिससे टीम का सामंजस्य और नेतृत्व में विश्वास कमज़ोर हो सकता है।

(ख) रवि के लिये कार्रवाई का तरीका

रवि को एक व्यवस्थित और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हो:

- **हितों के टकराव की घोषणा:** रवि को CRO के साथ अपने संबंधों के बारे में बोर्ड को बताना चाहिये, क्योंकि **विश्वास बनाए रखने के लिये पारदर्शिता का होना आवश्यक है।**

नोट :

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखना:** यदि संभव हो तो, रवि को किसी भी प्रभाव या पूर्वाग्रह से बचने के लिये **CRO चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने से दूर रहना चाहिये।**
- **स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करना:** सुनिश्चित करें कि चयन प्रक्रिया में सुपरिभाषित, वस्तुनिष्ठ मानदंड हों, जो योग्यता और पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक बोली का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की अनुमति देते हों।
- **एक समिति की स्थापना करना:** रवि CRO चयन का मूल्यांकन करने और उसे अंतिम रूप देने के लिये एक **निष्पक्ष समिति बनाने की सिफारिश कर सकता है**, जिसमें आदर्श रूप से बाहरी विशेषज्ञ शामिल हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय किसी भी व्यक्तिगत प्रभाव से नहीं, अपितु स्वतंत्र रूप से लिये जाएंगे।
- **प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण करना: निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूर्ण दस्तावेज़ीकरण** बनाए रखना चाहिये, जिससे बाद में निष्पक्षता या पक्षपात के किसी भी प्रश्न का सरलता से समाधान किया जा सके।
  - यह कॉर्पोरेट नैतिकता की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भी है।
- **तृतीय-पक्ष समीक्षा का अनुरोध करना:** यदि आवश्यक हो, तो **चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को सत्यापित करने के लिये तृतीय-पक्ष ऑडिट को आमंत्रित करें,** जिससे विश्वसनीयता और अधिक बढ़ जाएगी।

(ग) रवि के निर्णय का औचित्य

- **पारदर्शिता और प्रकटीकरण:** अपने हितों के टकराव को स्पष्ट रूप से उजागर करके, रवि **नैतिक पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है** और हितधारकों के हितों की रक्षा होती है।
- **निष्पक्षता और वस्तुपरकता:** निर्णय लेने से स्वयं को अलग रखना **रवि की निष्पक्षता और चयन की अखंडता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।**
  - प्रत्येक बोली की योग्यता के आधार पर निष्पक्ष चयन, **व्यावसायिकता और विश्वास को बनाए रखता है।**
- **सार्वजनिक हित और सत्यनिष्ठा:** एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम CRO का चयन करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि **दवा परीक्षण उच्च मानकों को बनाए रखें**, जिससे जनता को सुरक्षित और प्रभावी दवाएँ उपलब्ध कराने के कंपनी के मिशन को समर्थन मिलता है।
- **दीर्घकालिक विश्वास और प्रतिष्ठा:** पक्षपात की उपस्थिति से बचकर, रवि **न केवल अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी की रक्षा करता है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रखता है तथा** हितधारकों और जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता की रक्षा करता है।

निष्कर्ष:

CRO के साथ रवि का व्यक्तिगत संबंध एक महत्त्वपूर्ण नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है। शोध प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करने और संभावित हितों के टकराव से बचने के लिये, **उन्हें पारदर्शिता, निष्पक्षता और कंपनी तथा रोगियों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देनी चाहिये।** अपने संबंध का पूर्ण रूप से खुलासा करके, निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखते हुए और एक कठोर एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को लागू करके, रवि नैतिक मानकों को बनाए रख सकते हैं तथा कंपनी के भविष्य के लिये सही निर्णय ले सकते हैं।

प्रश्न : आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के एक महत्त्वाकांक्षी ज़िले में ज़िला कलेक्टर का कार्यभार संभाला है। मनरेगा परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान राजेश कुमार ने गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया, जिनमें अधूरी परियोजनाएँ और फर्जी जॉब कार्ड के ज़रिए मज़दूरी में गड़बड़ी शामिल थीं। ज़िला सतर्कता समिति के निरीक्षण के दौरान, राजेश कुमार ने पाया कि समिति के अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, परियोजनाओं को बिना समुचित सत्यापन के मंज़ूरी दे रहे थे। इस बीच, कुछ ग्रामीणों ने पंचायत अधिकारियों और ठेकेदारों से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत गुप्त रूप से प्रस्तुत किये। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कलेक्टर को इसी तरह के मुद्दों की जाँच करने का प्रयास करते समय तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया था और मुख्यमंत्री से निकटता से जुड़े प्रभावशाली विधायक ने सूक्ष्म रूप से सुझाव दिया कि सहयोग राजेश का कार्यकाल और संभावित पुरस्कार सुरक्षित कर सकता है।

राजेश जब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे थे, एक स्थानीय कार्यकर्त्ता समूह ने परियोजनाओं में पाई गई विसंगतियों पर आरटीआई दायर कर दी। उन्होंने इन मुद्दों को सार्वजनिक करने और मीडिया में उजागर करने की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। राजेश एक गंभीर दुविधा में हैं: गहन जाँच से उनकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे उनके कॅरियर पर नकारात्मक प्रभाव और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। हालाँकि, इन अनियमितताओं को नज़रअंदाज़ करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अपनी आजीविका के लिये मनरेगा पर निर्भर रहने वाले कमज़ोर ग्रामीणों का विश्वास भंग होगा।

नोट :

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस स्थिति में राजेश के सामने कौन-से मुख्य नैतिक मुद्दे हैं?
3. इस स्थिति से निपटने के समाधान हेतु राजेश को क्या कदम उठाने चाहिये?

परिचय:

मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ज़िला कलेक्टर **राजेश कुमार** ने मनरेगा परियोजनाओं में **स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अधूरे काम, फर्जी जॉब कार्ड और मज़दूरी में हेराफेरी** सहित बड़े पैमाने पर **भ्रष्टाचार का पर्दाफाश** किया है। जबकि गाँव वाले सबूत पेश करते हैं, एक प्रभावशाली विधायक सुझाव देता है कि इन सब (मिलीभगत) में सहयोग करने से राजेश के कॅरियर को फायदा होगा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप का संकेत देता है। राजेश को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है: भ्रष्टाचार की जाँच करने से राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है और विकास बाधित हो सकता है, जबकि इसे अनदेखा करने से भ्रष्टाचार कायम रहेगा जिससे ग्रामीणों को नुकसान होगा।

मुख्य भाग:

1. शामिल हितधारक

हितधारक	स्थिति में भूमिका/रुचि
राजेश कुमार (आईएएस अधिकारी)	मनरेगा परियोजनाओं में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार निर्णयकर्त्ता
ग्रामीणजन/मनरेगा के लाभार्थी	कमज़ोर समुदाय के सदस्य, जो आजीविका के लिये मनरेगा पर निर्भर हैं और भ्रष्टाचार से सीधे प्रभावित होते हैं।
स्थानीय विधायक और राजनीतिक नेतृत्व	राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक है और वर्तमान व्यवस्था से उन्हें संभावित लाभ मिलता है, जो राजेश को 'सहयोग' करने की सलाह देते हैं।
पंचायत अधिकारी एवं ठेकेदार	कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त, जैसे मज़दूरी में हेराफेरी और मनरेगा के लिये आवंटित धन का दुरुपयोग।
राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री	उच्च राजनीतिक प्राधिकारी, जो विधायक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और संभावित रूप से ज़िला प्रशासन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
ज़िला सतर्कता समिति	मनरेगा की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार विधायक की अध्यक्षता वाली समिति है, लेकिन इसने परियोजना का उचित सत्यापन नहीं किया है।
कार्यकर्त्ता समूह और मीडिया	जो भ्रष्टाचार को उजागर करने, सूचना एकत्र करने के लिये आर.टी.आई. दाखिल करने में रुचि रखते हैं, उनका पंचायत चुनावों से जुड़ा चुनावी उद्देश्य हो सकता है।
पूर्ववर्ती कलेक्टर	जो ज़िले में भ्रष्टाचार की जाँच करने वाले प्रशासकों के समक्ष आने वाले संभावित परिणामों पर पृष्ठभूमि की जानकारी देता है।
आम जनता एवं करदाता	जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना है।

2. राजेश के समक्ष मुख्य नैतिक संघर्ष:

- **कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत और कॅरियर सुरक्षा:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने का राजेश का कर्त्तव्य **प्रभावशाली विधायक से संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ टकराव** करता है। यह दुविधा सार्वजनिक सेवा नैतिकता बनाम व्यक्तिगत कॅरियर सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करती है।
- **लोक कल्याण बनाम राजनीतिक और कॅरियर हित:** भ्रष्टाचार के कारण **कमज़ोर ग्रामीणों का कल्याण खतरे में** है, लेकिन राजनीतिक दबावों का विरोध करने से राजेश का कॅरियर खतरे में पड़ सकता है और विकास बाधित हो सकता है, जो सार्वजनिक हित एवं व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
- **ईमानदारी बनाम व्यावहारिक समझौता:** राजेश को अपनी जवाबदेही का परीक्षण करते हुए, **पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने और** राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण समझौता करने के बीच निर्णय लेना होगा।
- **पारदर्शिता बनाम राजनीतिक दबाव:** विधायक के सहयोग के संकेत राजेश की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को चुनौती देते हैं, जिसमें संभावित राजनीतिक और कॅरियर संबंधी जोखिम शामिल हैं।
- **ग्रामीणों के लिये न्याय बनाम भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार की अनदेखी करने से **मनरेगा पर निर्भर ग्रामीणों के लिये अन्याय जारी रहेगा**, जबकि इसके खिलाफ कार्रवाई करने से विकास बाधित होने और राजनीतिक परिणामों का सामना करने का जोखिम है।

नोट :

- **नैतिक साहस बनाम नैतिक नेतृत्व:** भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये संभावित कॅरियर के नतीजों के बावजूद, राजेश को शासन के लिये एक मिसाल कायम करने और अपनी पेशेवर विरासत को प्रभावित करने के लिये नैतिक साहस की आवश्यकता है।

3. राजेश के लिये कार्रवाई

- **प्रारंभिक जाँच और दस्तावेज़ीकरण:** राजेश को अपने कार्यों को सार्वजनिक किये बिना, अभिलेखों की जाँच करके और डेटा एकत्र करके मनरेगा परियोजनाओं में विसंगतियों की एक **विवेकपूर्ण आंतरिक समीक्षा** शुरू करनी चाहिये।
  - इस दृष्टिकोण से राजेश को **चुपचाप साक्ष्य एकत्र करने**, तत्काल राजनीतिक जोखिम को कम करने और अनावश्यक ध्यान आकर्षित किये बिना भविष्य की कार्रवाई के लिये तैयारी करने की सुविधा मिलती है।
- **ग्रामीणों और मुखबिरों से जुड़ाव:** राजेश को **ग्रामीणों और मुखबिरों को शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से औपचारिक रूप से मुद्दों का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये प्रोत्साहित** करना चाहिये। इससे उनकी गवाही के आधार पर एक ठोस सबूत बनाने में मदद मिलेगी।
  - ग्रामीणों को सशक्त बनाने से जनता का विश्वास बढ़ता है और **राजेश की उनकी चिंताओं को दूर करने के प्रति समर्पण का पता चलता है।** यह भविष्य में किसी भी औपचारिक जाँच के लिये आधार को भी मज़बूत करता है।
- **वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक परामर्श:** राजेश को मनरेगा की अखंडता को बनाए रखने के महत्त्व पर चर्चा करने और संभावित राजनीतिक दबावों के प्रबंधन में उनका सहयोग लेने के लिये **ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव या प्रधान सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श करना चाहिये।**
  - उच्च अधिकारियों को शामिल करने से साझा ज़िम्मेदारी सुनिश्चित होती है, राजनीतिक जोखिम कम होता है तथा यह सुनिश्चित होता है कि मुद्दे का पेशेवर ढंग से प्रबंधन किया जाएगा।
- **आर.टी.आई. और मीडिया का रचनात्मक तरीके से लाभ उठाना:** राजेश को **आर.टी.आई. अनुरोध से प्राप्त प्रारंभिक निष्कर्षों को सक्रिय रूप से साझा करना चाहिये**, विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लेने के बजाय प्रक्रियात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इस दृष्टिकोण से शक्तिशाली हितधारकों के साथ सीधे टकराव से बचा जा सकेगा।
  - पारदर्शिता और सुधार पर ज़ोर देकर, राजेश राजनीतिक प्रतिरोध को कम कर सकते हैं तथा विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित किये बिना प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं।
- **प्रणालीगत सुधारों का कार्यान्वयन:** राजेश को **जॉब कार्ड्स के सत्यापन के लिये सख्त प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिये** और भविष्य में मनरेगा परियोजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने के लिये नियमित निरीक्षण करना चाहिये।
  - इन सुधारों में भ्रष्टाचार के अंतर्निहित कारणों का पता लगा कर किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना शासन में सुधार किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत संघर्षों के बजाय सुधार के प्रति राजेश की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।
- **यदि आवश्यक हो तो मीडिया के साथ नियंत्रित प्रकटीकरण पर विचार करें:** यदि राजनीतिक दबाव बढ़ता है, तो राजेश **प्रणालीगत सुधारों के बारे में मीडिया के साथ कुछ चुनिंदा जानकारी साझा करने पर विचार कर सकते** हैं तथा विशिष्ट आरोपों के बजाय सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
  - यह रणनीति जवाबदेही बनाए रखते हुए राजेश की स्थिति की रक्षा करने में मदद करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तिगत विवादों के बजाय मनरेगा कार्यान्वयन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **दीर्घकालिक दस्तावेज़ीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई:** राजेश को **अभिनिर्धारित किये गए सभी मुद्दों, की गई कार्रवाइयों और लागू किये गए सुधारों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये।** ये रिकॉर्ड भविष्य की जाँच के लिये साक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं, विशेषकर अगर राजनीतिक माहौल बदलता है।
  - व्यापक दस्तावेज़ीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, राजेश को संभावित जाँच से बचाता है तथा नैतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष:

राजेश को पारदर्शिता, राजनीतिक दबाव और जन कल्याण से जुड़ी जटिल नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गहन आंतरिक समीक्षा करके, **ग्रामीणों के साथ जुड़कर, संस्थागत समर्थन का लाभ उठाकर** और सुदृढ़ निगरानी को लागू करके, वह अपनी भूमिका की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं तथा मनरेगा पर निर्भर ग्रामीणों के कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्रश्न : हाल ही में आप टियर-2 शहर के एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, जो आपकी वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा और समर्पण का परिणाम है। अस्पताल को अभी ही अत्याधुनिक कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने के लिये पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुआ है, जो एक महत्त्वपूर्ण विकास है क्योंकि निकटतम कार्डियक सेंटर 200 किलोमीटर दूर स्थित है। चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया के दौरान, आपको यह जानकारी मिलती है कि आपके तत्काल वरिष्ठ, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक

नोट :

ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर, हेरफेर किये गए टेंडरों के माध्यम से उपकरणों की लागत में 40% की वृद्धि की है। अंतर लगभग ₹12 करोड़ की राशि का है, जिसका उपयोग बाल चिकित्सा वार्ड को अपग्रेड करने के लिये किया जा सकता था, जहाँ वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है। जब आप इस मुद्दे को उठाते हैं, तो निदेशक आपको आपकी हाल ही में हुई नियुक्ति और इस तथ्य की याद दिलाता है कि आपके पति या पत्नी, जो एक डॉक्टर भी हैं, को तीन वर्ष के अलगाव के बाद अभी ही इस शहर में स्थानांतरित किया गया था। वह सुझाव देते हैं कि आपके परिवार की स्थिरता के लिये "प्रशासनिक सामंजस्य" बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस बीच, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्त्ता निविदा हेरफेर के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ निजी तौर पर आपके पास आता है। आपको यह जानकारी भी मिलती है कि "सिस्टम को चालू रखने" के लिये आपके पूर्ववर्तियों द्वारा इसी तरह के मुद्दों की अनदेखी की गई है। अब, आप नैतिक दायित्वों और व्यक्तिगत स्थिरता की दुविधा में हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की ज़रूरत है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
3. चिकित्सा अधीक्षक के रूप में आप इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये क्या कदम उठाएंगे?

परिचय:

चिकित्सा अधीक्षक ने **कार्डियक केयर यूनिट परियोजना में उपकरणों की लागत में धोखाधड़ी से की जाने वाली 40% की वृद्धि** का पर्दाफाश किया। 12 करोड़ रुपए की यह अतिरिक्त राशि बाल चिकित्सा वार्ड को अपग्रेड करने के लिये प्रयोग की जा सकती थी। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, कदाचार के बारे में जानते हुए भी, चिकित्सा अधीक्षक पर इस मुद्दे को अनदेखा करने का दबाव डालते हैं, जिससे प्रशासनिक सामंजस्य का महत्त्व पता चलता है, विशेषकर जब व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिरता दाँव पर लगी हो। इससे नैतिक दायित्वों और व्यक्तिगत विचारों के बीच असंगतता उत्पन्न होती है।

मुख्य भाग:

1. शामिल हितधारक:

हितधारक	परिस्थिति में रुचि/भूमिका
चिकित्सा अधीक्षक (मुख्य)	सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, हृदय देखभाल इकाई की स्थापना करना तथा नैतिक शासन को बनाए रखना।
स्वास्थ्य सेवा निदेशक	अनैतिक कार्यों में संलिप्त होना, सार्वजनिक कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना।
ठेकेदार	बढ़ी हुई लागतों से लाभ उठाना, प्रणाली में भ्रष्टाचार को कायम रखना।
अस्पताल के मरीज़	विशेषकर हृदय और बाल रोगी, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं।
हॉस्पिटल कर्मचारी	जो प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये बेहतर बुनियादी ढाँचे पर निर्भर करते हैं।
प्रतिष्ठित चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्त्ता	कदाचार के साक्ष्य प्रस्तुत करना और निष्पक्ष खरीद प्रथाओं की वकालत करना।
जीवनसाथी और परिवार	संभावित संघर्ष और प्रशासनिक नतीजों से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित।
बड़े पैमाने पर समाज	स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिये सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग की अपेक्षा की जाती है।

2. केस स्टडी में नैतिक मुद्दे:

- **लोक कल्याण बनाम व्यक्तिगत स्थिरता:** महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकास को पारिवारिक सद्भाव की सुरक्षा के साथ संतुलित करना, विशेष रूप से जब व्यक्तिगत और व्यावसायिक दबाव एक दूसरे से जुड़े हों।
- **ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार:** खरीद प्रक्रियाओं में नैतिक ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखना बनाम **भ्रष्ट प्रथाओं को सहन करना** जो व्यक्तिगत या प्रशासनिक सुविधा के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को कमज़ोर करती हैं।
- **रोगी कल्याण बनाम वित्तीय कुप्रबंधन:** वित्तीय कुप्रबंधन और अत्यधिक निविदा लागत के कारण होने वाले संसाधनों के दुरुपयोग की तुलना में रोगियों, विशेषकर **बच्चों के स्वास्थ्य** और **सुरक्षा को प्राथमिकता** देना।
- **व्हिसल-ब्लोइंग बनाम नौकरी की सुरक्षा: अनैतिक प्रथाओं** (व्हिसल-ब्लोइंग) की रिपोर्ट करने का निर्णय बनाम **कॅरियर की संभावनाओं को खतरे में डालने** और प्रतिशोध या पेशेवर परिणामों का सामना करने का जोखिम।
- **जवाबदेही बनाम निष्क्रियता:** संस्था को उसके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराने की नैतिक ज़िम्मेदारी बनाम सुचारू कार्य वातावरण बनाए रखने के लिये अनैतिक प्रथाओं को नज़रअंदाज़ करने का प्रलोभन।

नोट :

- **सार्वजनिक विश्वास बनाम व्यक्तिगत दबाव:** यह सुनिश्चित करना कि **सार्वजनिक धन का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिये किया जाए** तथा **संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखना,** न कि वरिष्ठों या पारिवारिक चिंताओं के कारण **व्यक्तिगत दबाव के आगे झुक जाना।**

3. कार्रवाई के दौरान:

तत्काल:

- **वस्तुस्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करें:** स्वीकार किया जाना चाहिये कि प्रणालीगत भ्रष्टाचार से सीधे उलझने की बजाय सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता हो सकती है।
  - **उपकरण आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य** और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों को एकत्रित करें एवं सुरक्षित रूप से संग्रहीत करें।
- **विवेकपूर्ण संवाद में शामिल हों**
  - **निदेशक से चतुराई से बात करें:** निदेशक के साथ निजी, पेशेवर संवाद करें।
    - बढ़ी हुई लागतों के बारे में चिंता व्यक्त करें और धन के पुनर्आवंटन का प्रस्ताव करें (उदाहरण के लिये, **बाल चिकित्सा उन्नयन के लिये बढ़ी हुई लागतों को आंशिक रूप से वापस लेने का सुझाव दें**)।
  - **समझौता वार्ता करें:** यदि निदेशक **"प्रशासनिक सामंजस्य"** पर ज़ोर देते हैं, तो बीच का रास्ता अपनाएँ- **अधिशेष निधि का कुछ हिस्सा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाए जाएँ,** जिससे मरीज़ों को कुछ लाभ मिल सके।
- **खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना**
  - **अंतिम निर्णय में विलंब: "तकनीकी मुद्दों"** या अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता का हवाला देते हुए निविदाओं के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करें, ताकि तत्काल टकराव के बिना कदाचार को दूर करने के लिये **समय मिल सके।**
  - **तटस्थ लेखा परीक्षकों को शामिल करें: निविदाओं की समीक्षा के लिये तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों या समितियों को शामिल करने का समर्थन** करें, जिससे किसी भी व्यक्ति पर सीधे दोषारोपण के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके।

लघु अवधि:

- **प्रतिशोध के लिये तैयार रहें: जीवनसाथी के साथ खुली चर्चा** करें, संभावित परिणामों के बारे में बताएँ और लिये गए निर्णयों के लिये आपसी सहयोग मांगें।
- **वार्ता विफल होने की स्थिति में नैतिक रिपोर्टिंग में संतुलन बनाए रखें: यदि वार्ता विफल हो जाती है, तो उच्च अधिकारी (जैसे- स्वास्थ्य सचिव)** को **साक्ष्य के साथ** कदाचार की रिपोर्ट करें, लेकिन प्रतिक्रिया को कम करने के लिये शुरू में सार्वजनिक रूप से मुखबिरी करने से बचें।

दीर्घकालिक:

- **बाल चिकित्सा वार्ड को प्राथमिकता दें:** सार्वजनिक धन का रचनात्मक रूप से लाभ उठाते हुए बाल चिकित्सा वार्ड को उन्नत करने पर समानांतर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें (उदाहरण के लिये, **CSR फंडिंग, स्थानीय गैर सरकारी संगठन**)।

निष्कर्ष:

इस स्थिति से निपटते हुए, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि **व्यक्तिगत और प्रशासनिक संघर्ष को कम करते हुए तत्काल सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सतर्क वार्ता, वृद्धिशील सुधार और नैतिक निर्णय के** मिश्रण से, अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए एवं व्यक्तिगत स्थिरता की रक्षा करते हुए प्रणालीगत भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है।

प्रश्न : आप एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) हैं, जहाँ निकाय चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। चुनाव से कुछ दिन पूर्व, एक प्रमुख उम्मीदवार का डीपफेक वीडियो सामने आता है, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से शेयर किया जाता है, जिससे व्यापक गलत सूचनाएँ फैलती हैं, स्थानीय समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है और कई हिंसक विरोध प्रदर्शन होते हैं। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिये संघर्ष कर रही है और चुनाव अधिकारी इस मुद्दे के समाधान हेतु भारी दबाव में हैं।

डीईओ के रूप में, आपको स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का काम सौंपा गया है। आपको वीडियो के प्रसार को रोकने और ज़िले में शांति स्थापित करने के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन, सोशल मीडिया कंपनियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिये क्या कानून हैं?
3. डीप फेक वीडियो के प्रसार को रोकने और स्थिति को नियंत्रितत करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

नोट :

परिचय:

राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को उस समय संकट का सामना करना पड़ता है जब एक प्रमुख उम्मीदवार द्वारा विवादित टिप्पणी करने का एक **डीप फेक वीडियो** वायरल हो जाता है, जिससे हिंसा और अशांति फैल जाती है। DEO को वीडियो के प्रसार को रोकने के लिये कानून प्रवर्तन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना चाहिये। स्थिति नियंत्रण के साथ शांति बहाल करने, चुनाव प्रक्रिया को बाधित न होने देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है।

मुख्य भाग:

1. शामिल हितधारक

हितधारक	स्थिति में भूमिका
ज़िला प्रशासन	गलत सूचना से निपटने के लिये सभी हितधारकों के साथ शांति और समन्वय सुनिश्चित करना।
कानून प्रवर्तन एजेंसी	कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करना, हिंसा के लिये ज़िम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ना एवं कार्रवाई करना।
निर्वाचन आयोग (ECI)	चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करना तथा गहन नियंत्रण के लिये दिशा-निर्देश जारी करना।
सोशल मीडिया कंपनियाँ	वीडियो को तुरंत हटाना तथा तथ्य-जाँच तंत्र के माध्यम से इसके प्रसार पर रोक लगाना।
साइबर अपराध इकाई	डीपफेक के स्रोत की जाँच करना और इसके प्रसार को रोकना।
स्थानीय समुदाय के नेता	तनाव को शांत करने में सहायता करना और जनता के साथ संचार सुनिश्चित करना।
मीडिया हाउस	गलत सूचना का मुकाबला करने के लिये तथ्यात्मक का प्रसार करना।
नागरिक समाज समूह	प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से निपटने के लिये जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

2. डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिये कानून और विधिक संरचना

- **IT अधिनियम, 2000:**
  - **धारा 66E:** यह डीपफेक अपराधों पर भी लागू होती है जिसमें किसी व्यक्ति की छवियों को अनधिकृत रूप से कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल होता है, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है।
  - **धारा 69A:** सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कंटेंट तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:**
  - **धारा 125: चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता** को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर रोक लगाती है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:**
  - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा** के प्रसंस्करण को विनियमित करना, विशिष्ट उद्देश्यों और संबंधित मामलों के लिये वैध प्रसंस्करण की आवश्यकता के साथ अपने डेटा की सुरक्षा हेतु व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करना।
- **अन्य:**
  - **डिजिटल इंडिया अधिनियम (ड्राफ्ट)** जैसी आगामी पहल, **AI-जनरेटेड कंटेंट** के लिये सख्त नियमों का प्रस्ताव करती है।

3. स्थिति को प्रबंधित करने के लिये उठाए जाने वाले कदम

- **तत्काल उपाय:**
  - **सोशल मीडिया कंपनियों के साथ समन्वय:** IT अधिनियम के तहत प्लेटफॉर्मों को वीडियो को तुरंत हटाने के लिये सूचित किया जाना चाहिये।
    - वीडियो को गलत साबित करने के लिये **तथ्य-जाँच तंत्र** का उपयोग किया जाना चाहिये और प्रति-कथन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - **कानून प्रवर्तन कार्रवाई:** आगे की हिंसा को रोकने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की जानी चाहिये।
    - डीपफेक के निर्माता/वितरक की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिये साइबर अपराध इकाई को सक्रिय किया जाना चाहिये।
  - **सामुदायिक पहुँच:** तनाव को शांत करने और प्रभावित समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिये सामुदायिक नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाना चाहिये।
    - नागरिकों को निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया का आश्वासन देने के लिये सार्वजनिक ब्रीफिंग आयोजित किया जाना चाहिये।
- **मध्यम अवधि के उपाय:**
  - **चुनाव की अखंडता को मज़बूत करना: ECI की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति** के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिये।

नोट :

- गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिये मतदाता जागरूकता अभियान का प्रसार किया जाना चाहिये।

- **कानून प्रवर्तन के लिये क्षमता निर्माण:** डीपफेक से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पुलिस और साइबर अपराध इकाइयों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिये।
- **मीडिया के साथ सहयोग: मीडिया हाउस को सत्यापित समाचार प्रकाशित करने** और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिये प्रोत्साहित करें।

- **दीर्घकालिक उपाय:**
  - **निवारक प्रौद्योगिकी का उपयोग:** तकनीकी फर्मों के सहयोग से डीपफेक पहचान उपकरणों, जैसे कि **AI-संचालित तथ्य-जाँच एल्गोरिदम, में निवेश** किया जाना चाहिये।
  - **जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता:** नागरिकों को डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करने के लिये कार्यक्रम चलाए जाने चाहिये।
  - **नीति सुदृढ़ीकरण:** सख्त विषय-वस्तु विनियमन के लिये डिजिटल इंडिया अधिनियम के शीघ्र पारित होने और कार्यान्वयन का समर्थन किया जाना चाहिये।
  - **सहयोगात्मक रूपरेखा:** गलत सूचनाओं से सक्रिय रूप से निपटने के लिये **सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों** और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

डीपफेक संकट से निपटने के लिये **बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वीडियो को तत्काल हटाना, कानून और व्यवस्था को बहाल करना तथा चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल है।** प्रौद्योगिकी में निवेश, विधिक संरचना को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक जागरूकता का निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को कम किया जाए तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा की जाए।

प्रश्न : आप एक तेज़ी से विकसित हो रहे शहर के नगर आयुक्त हैं, जो भूजल स्तर में गिरावट और जल आपूर्ति बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके समाधान हेतु, राज्य सरकार ने सभी घरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक जलाशय निर्माण और पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना की एक निर्धारित समय-सीमा है क्योंकि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसे 18 महीने के भीतर पूरा करना है। हालाँकि जलाशय के लिये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, क्षेत्र में निवास करने वाले कई आदिवासी परिवारों ने विरोध किया, उनका कहना है कि उनसे पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया था और उनकी पारंपरिक आजीविका खतरे में है। इसके साथ ही, एक पर्यावरणीय संगठन ने न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह परियोजना एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे को नष्ट कर देगी। पाइपलाइन निर्माण में शामिल ठेकेदार भी भुगतान में देरी की शिकायत करते हैं, जिससे प्रगति धीमी हो रही है। मीडिया ने इस परियोजना को विफलता के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है और जनता का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको इन समस्याओं का समाधान करने, सभी हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

1. इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं?
3. मुद्दों का समाधान करने और हितधारकों के सहयोग को सुनिश्चित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करने के लिये आपकी कार्यवाही क्या होगी?

परिचय:

शहर में जल की गंभीर समस्या है, जिसके कारण जलाशय और पाइपलाइन नेटवर्क बनाने के लिये राज्य समर्थित महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। हालाँकि इस परियोजना के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिसमें **भूमि अधिग्रहण को लेकर जनजातीय परिवारों का विरोध, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ, ठेकेदारों को भुगतान में विलंब** और **मीडिया की बढ़ती आलोचना** शामिल है। **नगर आयुक्त को** इन मुद्दों से निपटना है और साथ ही 18 महीने की समय-सीमा के भीतर परियोजना को समय पर पूरा करना होगा।

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक

हितधारक	चिंताएँ/रुचियाँ
नगर आयुक्त	जल परियोजना का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना, हितधारकों की चिंताओं का प्रबंधन करना तथा जन दबाव का समाधान करना।

नोट :

राज्य सरकार	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सभी को जल उपलब्ध कराने के लिये परियोजना को 18 महीने के भीतर पूरा करना।
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी	यह सुनिश्चित करना कि परियोजना समय पर और बजट के भीतर पूरी हो।
जनजातीय परिवार	पारंपरिक आजीविका का संरक्षण, उचित परामर्श और उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करना।
पर्यावरण समूह/नागरिक समाज/ NGO	वन्यजीव गलियारे की सुरक्षा करना और पर्यावरण क्षरण को रोकना, जनजातीय चिंताओं को लेकर मध्यस्थता में सहायता करना।
ठेकेदार	परियोजना में विलंब से बचने के लिये विलंबित भुगतान और समय पर पारिश्रमिक की मांग करना।
मीडिया	परियोजना की प्रगति को शामिल करना तथा कथित विफलताओं के लिये प्राधिकारियों को जवाबदेह ठहराना।
जनता	स्वच्छ एवं सतत् जल की उपलब्धता, परियोजना की व्यवहार्यता एवं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएँ।
न्यायतंत्र	विकासात्मक और पारिस्थितिकीय चिंताओं में संतुलन रखते हुए पर्यावरण याचिका की सुनवाई तथा समाधान करना।

इसमें शामिल नैतिक मुद्दे:

- **जनजातीय अधिकार बनाम विकास:** जनजातीय परिवारों का परामर्श और अपनी आजीविका के संरक्षण का अधिकार बनाम जलाशय निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता।
  - व्यापक सार्वजनिक हित के लिये जल संकट को हल करने की तत्काल आवश्यकता बनाम प्रभावित समुदायों के अधिकारों, पर्यावरण और कल्याण की सुरक्षा।
- **पर्यावरण संरक्षण बनाम बुनियादी अवसंरचना का विकास:** आनुपातिकता के सिद्धांत को पारित करने और वन्यजीव गलियारे की रक्षा करने की नैतिक ज़िम्मेदारी बनाम शहर के जल संकट को दूर करने के लिये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण की तात्कालिकता।
- **सामाजिक न्याय बनाम परियोजना की समय-सीमा:** प्रभावित जनजातीय परिवारों के लिये उचित मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित करना बनाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा निर्धारित 18 महीने की सख्त समय-सीमा को पूरा करना।
- **ठेकेदार की निष्पक्षता बनाम सरकारी दक्षता:** ठेकेदारों का समय पर भुगतान पाने का अधिकार बनाम सरकार पर परियोजना लागत का प्रबंधन करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने का दबाव।
- **सार्वजनिक विश्वास बनाम मीडिया प्रतिनिधित्व:** परियोजना की प्रगति पर पारदर्शिता और सटीक रिपोर्टिंग बनाए रखने की आवश्यकता बनाम मीडिया द्वारा परियोजना को विफलता के रूप में चित्रित करना।

मुद्दों को हल करने के लिये कार्यवाही:

- **गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिये तत्काल कदम**
  - **हितधारक परामर्श तंत्र: निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिये जनजातीय और पर्यावरणीय वार्ता के लिये तटस्थ मध्यस्थ सहित जनजातीय प्रतिनिधियों, पर्यावरण समूहों,** ठेकेदारों एवं स्थानीय अधिकारियों सहित बहु-हितधारक बैठक बुलाना।
  - **भूमि अधिग्रहण और जनजातीय चिंताएँ:** जनजातीय परिवारों पर विस्थापन और आजीविका के प्रभाव का आकलन करने के लिये त्वरित **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) का संचालन करना।**
    - भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत **उचित प्रतिकर** प्रदान करना।
  - **पर्यावरणीय मुद्दे: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** का त्वरित संचालन करने के लिये पर्यावरण समूहों और पारिस्थितिकी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना।
  - **प्रतिपूरक वनरोपण, वन्यजीव गलियारों का निर्माण, प्रभावित वन्यजीवों के लिये आवास पुनर्वास कार्यक्रम** और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली योजनाओं जैसे शमन उपायों का प्रस्ताव करना।
  - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करना।

परिचालन चुनौतियों का समाधान

- **ठेकेदार भुगतान:** वित्त विभाग के साथ समन्वय करके लंबित भुगतानों की प्रक्रिया को त्वरित किया जाना चाहिये।
  - भविष्य में विलंब से बचने के लिये एक समर्पित **भुगतान ट्रैकिंग तंत्र** बनाए जाने की आवश्यकता है।
  - स्थिर प्रगति सुनिश्चित करने के लिये ठेकेदारों को **आंशिक अग्रिम भुगतान या प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये।

नोट :

- **परियोजना निगरानी और निष्पादन:** परियोजना के समय पर निष्पादन की निगरानी के लिये एक **विशेष परियोजना कार्य बल का गठन** किया जाना चाहिये।
  - निर्माण गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये **भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS)** और **परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर** जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - बाधाओं से बचने के लिये अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

सार्वजनिक सहभागिता और धारणा प्रबंधन

- **मीडिया और सार्वजनिक संचार:** प्रगति के संदर्भ में जनता को अद्यतन करने और पारदर्शी तरीके से चिंताओं का समाधान करने के लिये नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया जाना चाहिये।
  - **परियोजना के दीर्घकालिक लाभों** पर प्रकाश डाला जाना चाहिये, जिसमें जल की बढ़ी हुई उपलब्धता और सतत् विकास शामिल है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** वृक्षारोपण अभियान, इकोटूरिज़्म गाइड और होमस्टे संचालकों तथा अन्य पारिस्थितिकी बहाली गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये **जनजातीय नेताओं को निर्णय लेने वाली समितियों का हिस्सा बनने के लिये** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

दीर्घकालिक उपाय

- **जल संसाधन स्थिरता:** भविष्य में संकटों को रोकने के लिये शहर में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को शामिल करते हुए **जल संरक्षण योजना** विकसित किया जाना चाहिये।
  - जल संरक्षण प्रथाओं पर नागरिक जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **संस्थागत सुधार: इस परियोजना के साथ-साथ** विस्थापन या पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ी भविष्य की परियोजनाओं के लिये शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किये जाने चाहिये।
  - भुगतान में विलंब को रोकने और ठेकेदारों के साथ विश्वास बढ़ाने के लिये वित्तीय तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

व्यावहारिक, समावेशी और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर, सभी हितधारकों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकता है। जनजातीय और पर्यावरणीय चिंताओं का सक्रिय समाधान संघर्षों को कम करेगा और कुशल निष्पादन रणनीतियों से जनता का पुन: विश्वास स्थापित होगा। विकास और स्थिरता के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन भविष्य की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये एक सकारात्मक मिसाल कायम करेगा।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : "नैतिक व्यवहार न केवल सिखाया जा सकता है, बल्कि इसे सीखा भी जा सकता है।" परिवारों में रोल मॉडलिंग और नैतिक विकास पर इसके प्रभाव के आलोक में इस विचार का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न में प्रयुक्त कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- परिवारों का नैतिक व्यवहार सिखाने में अहम स्थान होता है, स्पष्ट कीजिये।
- परिवारों में नैतिक व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

"नैतिक व्यवहार न केवल सिखाया जा सकता है, बल्कि इसे सीखा भी जा सकता है", यह सुझाव देता है कि नैतिक मूल्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश के द्वारा सिखाया जा सकता है, लेकिन उन्हें **अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।** परिवार इस दोहरी प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शिक्षण और अचेतन भूमिका मॉडलिंग के माध्यम से एक व्यक्ति के नैतिक ढाँचे को आकार देता है।

मुख्य भाग:

नैतिक व्यवहार सिखाने में परिवार की भूमिका:

- **निर्देश और बातचीत के माध्यम से प्रत्यक्ष शिक्षण:** माता-पिता **ईमानदारी, दयालुता तथा ज़िम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों के महत्त्व को समझाते हुए इनका प्रत्यक्ष रूप से संचार** करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, जब माता-पिता बड़ों का सम्मान करने पर ज़ोर देते हैं, तो वे एक **नैतिक आधार स्थापित करते हैं।**
- **कहानियों और सांस्कृतिक आख्यानों का प्रयोग:** कई परिवार नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिये पारंपरिक कहानियाँ सुनाते हैं या प्रचलित कहावतों का इस्तेमाल करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **महाभारत या रामायण जैसे भारतीय महाकाव्य** कर्त्तव्य, सत्य और निष्ठा का ज्ञान कराते हैं, जो बच्चों को नैतिक मानदंडों को समझने तथा आत्मसात करने में मदद करते हैं।

नोट :

रोल मॉडलिंग- परिवारों में नैतिक व्यवहार कैसे अपनाया जाता है:

- **अवलोकनात्मक कार्यों का प्रभाव:** जब बच्चे **अपने माता-पिता को दैनिक जीवन में सहानुभूति, धैर्य या ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं,** तो वे स्वाभाविक रूप से इन मूल्यों को ग्रहण कर लेते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **किसी माता-पिता को पड़ोसी की मदद करते हुए** या कठिन परिस्थितियों में भी सत्य बोलते हुए देखना नैतिकता का मौन शिक्षा का उदाहरण होता है।
- **पारिवारिक संस्कृति के माध्यम से अचेतन सीख: पारिवारिक परंपराएँ, जैसे भोजन साझा करना या आपसी सम्मान के साथ त्योहार मनाना, अपनेपन, विश्वास और देखभाल** की भावना को बढ़ावा देती हैं।
  - ये अनुभव **सहयोग को बढ़ावा देते हैं**, जो नैतिक व्यवहार का मूल घटक है।
  - पारिवारिक संवाद के दौरान बच्चे **भावनाओं के प्रबंधन, सहानुभूति और आत्म-नियंत्रण जैसे नैतिक गुण विकसित करते हैं**, जो उनके नैतिक आचरण का आधार बनते हैं।

निष्कर्ष:

नैतिक विकास के लिये **सीखने और सिखाने की प्रक्रिया** दोनों अनिवार्य हैं। स्पष्ट शिक्षण बच्चों को मूल्यों की एक व्यवस्थित समझ प्रदान करता है, जबकि **रोल मॉडलिंग इन मूल्यों को अनुभव के माध्यम से आत्मसात करने में मदद करती है।** परिवार इस प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नैतिकता की पहली **"शिक्षा संस्थान"** के रूप में कार्य करते हुए। बचपन में स्थापित ये नैतिक आधार व्यक्ति के पूरे जीवन को दिशा देने का काम करते हैं।

प्रश्न : मानवीय अंत:क्रियाओं में नैतिक व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? चर्चा कीजिये कि इन कारकों की समझ सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करने में कैसे सहायक हो सकती है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- "मानवीय अंत:क्रियाओं में नैतिक व्यवहार" के संदर्भ में उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- मानवीय अंत:क्रियाओं में नैतिक व्यवहार के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालिये।
- कारकों को समझकर सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिये।
- उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

मानवीय अंत:क्रियाओं में नैतिक व्यवहार **व्यक्तिगत मूल्यों, सामाजिक मानदंडों और परिस्थितिजन्य कारकों** के परस्पर प्रभाव से प्रभावित होता है। **सार्वजनिक सेवा में, जहाँ कार्य सीधे तौर पर सार्वजनिक कल्याण को प्रभावित करते हैं, इन निर्धारकों को समझना अधिकारियों को ज़िम्मेदार, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की** दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है।

मुख्य भाग:

मानवीय अंत:क्रियाओं में नैतिक व्यवहार के प्रमुख निर्धारक:

- **व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता:** व्यक्ति के नैतिक निर्णयों को **परिवार, शिक्षा और संस्कृति द्वारा निर्मित विश्वास प्रणाली** गहराई से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिये, **ईमानदारी की मज़बूत भावना वाला एक सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध करने की संभावना रखता है।**
- **सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ नैतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिये, सामूहिक समाजों में, सहयोग और बड़ों के प्रति सम्मान** जैसे मूल्यों पर ज़ोर दिया जाता है, जो पारस्परिक आचरण को प्रभावित करता है।
- **कानूनी और संस्थागत ढाँचे:** कानून, विनियमन और संस्थागत आचार संहिता स्वीकार्य व्यवहार के लिये सीमाएँ प्रदान करते हैं।
  - सार्वजनिक सेवा में, **सिविल सेवा आचरण नियम जैसे नियमों का पालन** स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करके नैतिक व्यवहार को सुदृढ़ करता है।
- **परिस्थितिजन्य कारक और वातावरण:** बाह्य कारक, जैसे **सहकर्मी व्यवहार, कार्य संस्कृति और नेतृत्व,** नैतिक व्यवहार को आकार देते हैं।
  - पारदर्शिता और निष्ठा को महत्त्व देने वाला वातावरण कर्मचारियों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- **रोल मॉडल और मेंटरशिप:** नेता और मेंटर नैतिक मानकों को प्रभावित करते हैं। जब **वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारी ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं,** तो यह एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है, दूसरों को नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये प्रेरित करता है, जैसे- **भारत के मेट्रो मैन ई. श्रीधरन** ने उदाहरण प्रस्तुत किया।

सार्वजनिक सेवा में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना:

- **नैतिक प्रशिक्षण और मूल्य शिक्षा को शामिल करना:** व्यक्तिगत मूल्यों के प्रभाव को समझना **लोक प्रशासन में नैतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को उजागर करता है।**

नोट :

- **उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA)** में भावी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में नैतिकता मॉड्यूल शामिल हैं। ये मॉड्यूल ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे मूल्यों पर विशेष ध्यान देते हुए, अधिकारियों को उनके कार्यकाल में नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये सशक्त बनाते हैं।

- **पारदर्शी और सहायक कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करना:** कार्यस्थल संस्कृति जैसे परिस्थितिजन्य कारक, यदि अच्छी तरह से प्रबंधित किये जाएँ तो नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - **सख्त जवाबदेही के साथ पारदर्शी वातावरण को** बढ़ावा देकर, सार्वजनिक संगठन पक्षपात और भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक प्रथाओं को कम कर सकते हैं।
  - **उदाहरण: भारत में** मनाया जाने वाला **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और लोक सेवकों को अपने दैनिक कार्यों में नैतिकता तथा ईमानदारी को अपनाने के लिये प्रेरित करता है। यह कार्यक्रम नैतिक आचरण, ज़िम्मेदारी और निष्पक्षता के महत्त्व को उजागर करता है, ताकि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके एवं जनता का विश्वास बना रहे।
- **सशक्त कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय स्थापित करना:** कानूनी ढाँचे **अनैतिक व्यवहार को रोक सकते हैं।**
  - **उदाहरण: सूचना का** अधिकार **अधिनियम (RTI)** नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुँच प्रदान करके **सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता को बढ़ावा देने** में सहायक रहा है, जिससे भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगा है।
- **नैतिक नेतृत्व और रोल मॉडलिंग का विकास:** नैतिक नेतृत्व किसी **संगठन के मूल्यों और संस्कृति को प्रभावित करता है।**
  - **जो नेता नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, वे आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं तथा** पूरे संगठन में नैतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
  - **उदाहरण:** पूर्व प्रधानमंत्री **लाल बहादुर शास्त्री ने ईमानदारी और सादगी की मिसाल कायम की।**
- **सार्वजनिक जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना:** जब लोक सेवक यह समझते हैं कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो **उनके नैतिक रूप से कार्य करने की अधिक संभावना होती है।**
  - **उदाहरण: सरकारी विभागों में नागरिक चार्टर** सेवा वितरण के मानकों को निर्धारित करता है, जिससे नागरिकों को अधिकारियों के प्रति जवाबदेही तय करने का अवसर मिलता है। यह पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देता है, साथ ही प्रशासन में नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करता है। इन मानकों के माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों को जान सकते हैं और सेवा के स्तर में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

इन निर्धारकों को समझते हुए, **सार्वजनिक सेवा ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है।** नैतिकता प्रशिक्षण, पारदर्शी कार्य वातावरण, सशक्त कानूनी ढाँचा, नैतिक नेतृत्व और सार्वजनिक जवाबदेही के माध्यम से **सार्वजनिक सेवा को सशक्त किया जा सकता है, जो बेहतर शासन तथा सार्वजनिक कल्याण की दिशा में सहायक होता है।**

प्रश्न : "लोक सेवा में निष्पक्षता के लिये अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना आवश्यक है।" क्या आप सहमत हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- इस बात पर तर्क दीजिये कि निष्पक्षता के लिये पूर्वाग्रह को स्वीकार करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?
- लोक सेवा में पक्षपात को प्रबंधित करने और कम करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक सेवा में निष्पक्षता का मतलब है **साक्ष्य, निष्पक्षता** और **निष्पक्षता के आधार पर निर्णय** लेना, **व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या पक्षपातों से रहित** होना। अपने पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना, उन्हें दूर करने और न्यायसंगत शासन सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। **अगर पक्षपात को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह निर्णय को विकृत कर सकता है,** जिससे **अनुचित परिणाम** सामने आ सकते हैं।

मुख्य भाग:

पूर्वाग्रह को स्वीकार करना- निष्पक्षता के लिये महत्त्वपूर्ण:

- **अचेतन पूर्वाग्रह निर्णयों को प्रभावित करते हैं:** व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, जो प्राय: अचेतन होते हैं, प्रभावित कर सकते हैं कि लोक सेवक **डेटा की व्याख्या किस प्रकार** करते हैं, **मुद्दों का आकलन कैसे** करते हैं या **विविध समुदायों के साथ कैसे समन्वय** करते हैं।
  - इन पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता वास्तव में निष्पक्ष और संतुलित निर्णय लेने के लिये आवश्यक है।
- **पारदर्शिता और विश्वास:** पूर्वाग्रहों को स्वीकार करके, लोक सेवक **पारदर्शिता** बढ़ाते हैं, **जनता और सहकर्मियों के बीच विश्वास को बढ़ावा** देते हैं। यह खुलापन नैतिक मानकों तथा जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नोट :

- **महानगरीय क्षेत्रों के प्रति पूर्वाग्रह का अभिनिर्धारण करने से आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जैसी पहल शुरू हुई**, जिससे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान हुआ।

- **बेहतर नीति-निर्माण:** व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का अभिनिर्धारण करने से **अधिक समावेशी नीति-निर्माण** होता है, क्योंकि अधिकारी विभिन्न दृष्टिकोणों एवं विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं पर विचार करते हैं।
- **लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना:** पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को स्वीकार करने से **'बेटी, बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** जैसी योजनाएँ शुरू की गईं, जिससे हरियाणा में बालिकाओं की जीवन दर और शिक्षा में सुधार हुआ।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा:** जातिगत पूर्वाग्रह से निपटने वाले न्यायालय, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने **मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023** में एक **प्रावधान जोड़ने** का आदेश दिया, ताकि कारागारों में सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई जा सके। यह न्याय प्रदान करने में निष्पक्षता को दर्शाता है।

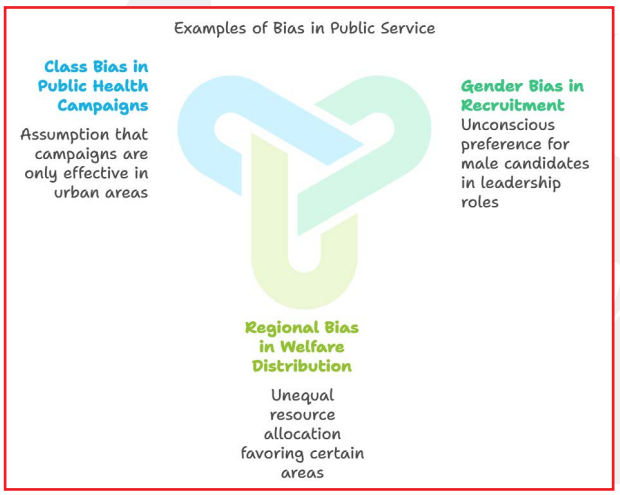

लोक सेवा में पूर्वाग्रह को प्रबंधित करने और कम करने के कदम:

- **अंतर्निहित पूर्वाग्रह प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यशालाएँ:** अंतर्निहित पूर्वाग्रहों पर **नियमित कार्यशालाएँ** लोक सेवकों को सामान्य पूर्वाग्रहों (जैसे- लिंग, जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति) के संदर्भ में शिक्षित कर सकती हैं। इस तरह के प्रशिक्षण से **जागरूकता बढ़ाने, सहानुभूति को प्रोत्साहित करने** और इन **पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिये रणनीतियाँ** प्रदान करने में मदद मिलती है।
- **मानकीकृत, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना:** भर्ती या नीति मूल्यांकन जैसे निर्णयों के लिये **एक समान, डेटा-संचालित प्रक्रियाएँ और मानदंड स्थापित करने से** व्यक्तिपरक निर्णय को कम किया जा सकता है।
- **विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना:** विभिन्न पृष्ठभूमियों (लिंग, क्षेत्र, जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति) के **लोगों के साथ टीम बनाने से** व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को संतुलित करने में मदद मिलती है।
  - विविध दृष्टिकोण समग्र विचार-विमर्श के लिये सहायक होते हैं तथा निर्णय लेने में संभावित कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
- **अनाम समीक्षा तंत्र:** भर्ती या संसाधन आवंटन जैसी स्थितियों में, **जानकारी को अनामित/अज्ञातनाम करने** (जैसे- नाम, क्षेत्र और जनांकिकी को हटाना) **से** पहचान या पृष्ठभूमि से संबंधित पूर्वाग्रहों को रोका जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निर्णय केवल योग्यता या आवश्यकता के आधार पर लिये जाएँ।
- **जवाबदेही तंत्र स्थापित करना:** नियमित ऑडिट और निर्णयों की समीक्षा करने वाली निगरानी संस्थाएँ पक्षपात के पैटर्न का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। इन ऑडिट से मिलने वाली प्रतिक्रियाएँ सुधार का मार्गदर्शन कर सकती हैं और लोक सेवकों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा दे सकती हैं।

निष्कर्ष:

लोक सेवा में **पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना** कमज़ोरी नहीं बल्कि **ताकत** है, क्योंकि यह निष्पक्षता, समावेशिता और विश्वास की नींव रखता है। निष्पक्षता तभी प्राप्त की जा सकती है जब लोक सेवक सचेत रूप से अपनी प्रवृत्तियों को पहचान कर उनका समाधान करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक कल्याण के अनुरूप हों।

प्रश्न : "लोक सेवा में नैतिक आचरण के लिये विवेक एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त मार्गदर्शक है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विवेक को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- लोक सेवा में विवेक की भूमिका बताइये।
- केवल विवेक पर निर्भर रहने की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विवेक, जोकि **सही और गलत के संदर्भ में व्यक्ति की आंतरिक समझ** है, नैतिक निर्णय लेने के लिये आवश्यक है, विशेष रूप से लोक सेवा में।

नोट :

- यह **ईमानदारी और आत्म-अनुशासन को प्रेरित** करता है। हालाँकि व्यक्तिपरक पूर्वाग्रहों, सामाजिक अनुकूलन और स्थापित कानूनों तथा नैतिक दिशा-निर्देशों के साथ संघर्ष के कारण केवल विवेक अपर्याप्त हो सकता है।

मुख्य भाग:

लोक सेवा में विवेक की भूमिका:

- **सत्यनिष्ठा के लिये नैतिक दिशा-निर्देश:** विवेक लोक सेवकों को **चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी नैतिक रूप से सही निर्णय** लेने के लिये प्रेरित करता है।
  - उदाहरण के लिये, **सत्येंद्र दुबे जैसे मुखबिर, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को उजागर किया**, ने **दृढ़ विवेक से कार्य किया** तथा साहस और ईमानदारी का परिचय दिया।
- **सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना:** एक सुविकसित विवेक अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने में मदद करता है, जिससे शासन में जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है।
  - **आर्मस्ट्रांग पाम** जैसे लोक सेवकों ने, जिन्होंने **व्यक्तिगत धन और सामुदायिक सहायता से मणिपुर में सड़क का निर्माण कराया,** लोगों की सेवा करने की ईमानदार प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया।

केवल विवेक पर निर्भर रहने की चुनौतियाँ:

- **व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह:** विवेक **व्यक्तिगत अनुभवों, संस्कृति और समाजीकरण से प्रभावित** होता है, जिसके कारण **नैतिक निर्णयों में परिवर्तनशीलता** आती है।
  - उदाहरण के लिये, **कुछ सामाजिक समूहों के प्रति पूर्वाग्रह** अनजाने में ही किसी लोक सेवक के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे **अनुचित व्यवहार की संभावना** बढ़ जाती है।
- **संस्थागत मानदंडों के साथ टकराव:** विवेक से प्रेरित निर्णय कभी-कभी नियमों या कानूनों के साथ असंगत हो सकता है, जिससे नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **एक अधिकारी दया के कारण झुग्गीवासियों को बेदखल करने से बचना चाह सकता है,** लेकिन कानूनी आदेशों के अनुसार ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ व्यक्तिगत मूल्य कानून को लागू करने के कर्त्तव्यों के साथ संघर्ष कर सकते हैं।
- **असंगत नैतिक मानक:** एक व्यक्ति जिसे नैतिक मानता है, वह दूसरे व्यक्ति को अनुचित लग सकता है।
  - इस तरह की **संगतता की कमी लोक सेवा में निष्पक्षता को कमज़ोर कर सकती है।** स्पष्ट संस्थागत संरचना के बिना, एक अधिकारी का विवेक-आधारित निर्णय दूसरे के निर्णय के विपरीत हो सकता है, जिससे अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।

नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने के लिये विवेक की सराहना करने वाले संस्थागत फ्रेमवर्क:

- **आचार संहिता और विनियमन: सिविल सेवा आचरण नियम और सूचना का अधिकार अधिनियम** जैसे फ्रेमवर्क एक समान नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सार्वजनिक अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सुसंगत मानकों का पालन करें।
- **प्रशिक्षण और नैतिक रूपरेखा:** नैतिकता पर औपचारिक प्रशिक्षण लोक सेवकों को व्यक्तिगत विवेक को व्यावसायिक मानकों के साथ संरेखित करने में मदद करता है।
  - उदाहरण के लिये, लाल **बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,** नैतिकता प्रशिक्षण आयोजित करती है जो मूल मूल्यों को स्थापित करती है तथा केवल व्यक्तिपरक विवेक पर निर्भरता को कम करती है।
- **जवाबदेही के लिये संस्थागत तंत्र: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल** जैसे निकाय जवाबदेही प्रदान करते हैं तथा सत्ता के दुरुपयोग को रोकते हैं, जिस पर व्यक्तिगत विवेक ध्यान नहीं दे सकता।

निष्कर्ष:

यद्यपि **विवेक लोक सेवा में नैतिक व्यवहार का एक महत्त्वपूर्ण घटक** है, **केवल इस पर निर्भर रहना अपर्याप्त** है। एक व्यापक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत नैतिकता को संस्थागत **नैतिक फ्रेमवर्क, प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र के साथ जोड़ता है,** निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक प्रगति के लिये आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों के सामंजस्य पर ज़ोर दिया। आधुनिक समय की नैतिक दुविधाओं से निपटने में उनके दर्शन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों के सामंजस्य पर स्वामी विवेकानंद के बल को उजागर करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- स्वामी विवेकानंद के दर्शन को आधुनिक नैतिक दुविधाओं के लिये प्रासंगिक बताते हुए उत्तर दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

19वीं सदी के आध्यात्मिक नेता और सुधारक **स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक एवं भौतिक मूल्यों के सामंजस्य पर बल** देने के साथ ही व्यक्तिगत व सामाजिक विकास के लिये संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया।

- उनके दर्शन **नैतिक आचरण, आध्यात्मिक विकास और भौतिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं** तथा मूल्यों, स्वार्थ एवं सामाजिक दायित्वों के बीच संघर्ष से जुड़ी आधुनिक नैतिक दुविधाओं का समाधान ढूँढने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

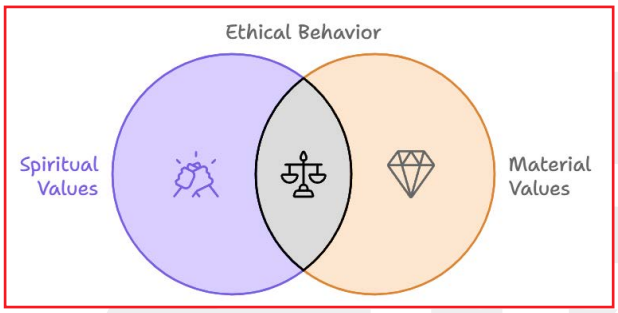

मुख्य भाग:

आधुनिक नैतिक दुविधाओं में स्वामी विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिकता

- **स्व-हित और सामूहिक कल्याण में संतुलन**
  - **नैतिक दुविधा:** भौतिक संपदा की खोज **प्राय: व्यापक सामाजिक भलाई के साथ टकराव में रहती है,** जैसा कि पर्यावरणीय क्षरण जैसे मुद्दों में देखा जाता है।
  - **दर्शन की प्रासंगिकता:** विवेकानंद ने **निस्वार्थता और सेवा पर ज़ोर दिया तथा** सामाजिक कल्याण के साथ व्यक्तिगत समृद्धि पर भी बल दिया।
    - उदाहरण के लिये, संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने से लाभ की भावना और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बना रहता है।
- **शासन और नेतृत्व में संघर्षों का समाधान**
  - **नैतिक दुविधा: भ्रष्टाचार, पक्षपात** और शासन में जवाबदेही की कमी जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है।
  - **दर्शन की प्रासंगिकता: ईमानदारी और आध्यात्मिक अनुशासन पर विवेकानंद का बल नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है।**
    - उनकी शिक्षाएँ लोक सेवकों के लिये व्यक्तिगत लाभ के बजाय **धर्म (कर्त्तव्य) के आधार पर निर्णय लेने की प्रेरणा** देती हैं।
- **सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना**
  - **नैतिक दुविधा:** धन और संसाधनों तक पहुँच में असमानताएँ निष्पक्षता एवं समानता के बारे में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।
  - **दर्शन की प्रासंगिकता:** स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और समानता के माध्यम से उत्थान का समर्थन किया।
    - **दरिद्र नारायण** (पूजा के रूप में गरीबों की सेवा करना) का उनका विचार असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों एवं कार्यों को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार में नैतिकता**
  - **नैतिक दुविधा: डेटा गोपनीयता, AI का दुरुपयोग और डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने** जैसे मुद्दे चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  - **दर्शन की प्रासंगिकता:** नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रगति को सामंजस्य स्थापित करने की विवेकानंद की दृष्टि, कमज़ोरियों का शोषण करने के बजाय मानवता की सेवा करने वाली **प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग का आह्वान** करती है।
- **व्यक्तिगत जीवन में नैतिक सापेक्षवाद से निपटना**
  - **नैतिक दुविधा:** आधुनिक समाज को प्राय: **जीवनशैली विकल्पों और उपभोक्तावाद जैसे मुद्दों में नैतिक अस्पष्टता का सामना** करना पड़ता है।
  - **दर्शन की प्रासंगिकता: आत्म-नियंत्रण, आत्म-जागरूकता और आध्यात्मिक आधार पर बल देकर,** विवेकानंद मूल्य-आधारित व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिये एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो आंतरिक शांति एवं सामाजिक सद्भाव के साथ संरेखित होते हैं।
    - उन्होंने यह भी कहा कि, **"जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता है, उसे जहर समझकर अस्वीकार कर दीजिये।"**

निष्कर्ष:

स्वामी विवेकानंद का दर्शन आधुनिक नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करता है। **आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करके,** व्यक्ति तथा समाज आधुनिक जीवन की जटिलताओं को **ईमानदारी, समावेशिता एवं सामूहिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके हल** कर सकते हैं।

नोट :

प्रश्न : "प्रशासनिक नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर विचार कीजिये। विश्लेषण कीजिये कि "भावनात्मक आत्म-नियमन और सामाजिक जागरूकता कैसे प्रभावी रूप से प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं।" (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सार्वजनिक नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व बताइये।
- प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने में भावनात्मक आत्म-नियमन की भूमिका पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने में सामाजिक जागरूकता की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) **स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने एवं प्रबंधित करने की क्षमता** है, जो सार्वजनिक नेतृत्व के लिये एक महत्त्वपूर्ण कौशल है।

- जब प्रशासनिक मुद्दों जैसे कि हितधारक सहयोग, सार्वजनिक विश्वास की कमी और संघर्ष समाधान की बात आती है, तो भावनात्मक आत्म-नियंत्रण के दो प्रमुख घटक— **भावनात्मक आत्म-नियमन** और **सामाजिक जागरूकता** बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

मुख्य भाग:

सार्वजनिक नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व

- **बेहतर निर्णय लेने की क्षमता:** उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोक सेवक अपने निर्णयों के भावनात्मक प्रभाव का आकलन कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष हैं।
  - **उदाहरण:** एक ज़िला कलेक्टर रसद संबंधी आवश्यकताओं और जनता की चिंता दोनों को दूर करते हुए **आपदा राहत प्रयासों को संचालित करता है।**
- **संघर्ष समाधान:** EI लोक सेवकों को विविध दृष्टिकोणों को समझने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के माध्यम से विवादों को प्रभावी ढंग से मध्यस्थता करने में सक्षम बनाता है।
  - **उदाहरण:** नीति कार्यान्वयन में अंतर्विभागीय संघर्षों का समाधान करना।
- **सार्वजनिक विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण:** सहानुभूति और वास्तविक संचार लोक सेवकों एवं नागरिकों के बीच विश्वास का निर्माण करता है।
  - **उदाहरण:** स्वास्थ्य संकट से पारदर्शी तरीके से निपटना, **जैसा कि राजेंद्र भट्ट** जैसे कई लोक सेवकों में देखा गया, जिन्होंने कोविड-19 महामारी का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया।
- **टीमों और हितधारकों को प्रेरित करना:** EI सहयोग को बढ़ावा देता है, टीम को प्रेरित करता है और संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।
  - **उदाहरण:** सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रेरित करने वाला एक लोक सेवक।

प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने में भावनात्मक आत्म-नियमन की भूमिका

- **संकट प्रबंधन:** स्व-नियमन दबाव में आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है तथा संकट के दौरान विचारशील प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, जैसे: सांप्रदायिक दंगों के दौरान स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिये शांत दृष्टिकोण अपनाना।
- **सार्वजनिक आलोचना से निपटना:** आत्म-नियमन वाले लोक सेवक आलोचना या सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद धैर्य बनाए रखते हैं और रचनात्मक समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **नैतिक व्यवहार को कायम रखना:** स्व-नियमन भ्रष्टाचार या पक्षपात की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने में सहायक है जो शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देता है, जैसे **निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये लॉबिंग दबाव का सामना करना।**

प्रशासनिक चुनौतियों को कम करने में सामाजिक जागरूकता की भूमिका

- **सार्वजनिक आवश्यकताओं को समझना:** सामाजिक जागरूकता **लोक सेवकों को हितधारकों की भावनात्मक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझने में मदद करती है,** जिसके परिणामस्वरूप जन-केंद्रित नीतियाँ बनती हैं।
- **विविध हितधारकों को साथ लेकर चलना:** सामाजिक गतिशीलता के बारे में जागरूकता **नागरिकों, मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों और राजनीतिक अभिकर्त्ताओं के साथ प्रभावी जुड़ाव** सुनिश्चित करती है।
- **संघर्ष निवारण:** समूह की भावनाओं और अंतर्निहित तनावों को पहचान कर, **लोक सेवक विवादों का प्रभावी ढंग से मध्यस्थता कर सकते हैं।**

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावी सार्वजनिक नेतृत्व की आधारशिला है, **विशेष रूप से शासन की जटिल, बहुआयामी चुनौतियों के प्रबंधन में।** भावनात्मक आत्म-नियमन **संतुलित, नैतिक और संयमित**

नोट :

निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है, जबकि सामाजिक जागरूकता **सहानुभूति एवं समावेशिता को बढ़ावा देती है।** साथ में, ये विशेषताएँ लोक सेवकों को विश्वास को प्रेरित करने, संघर्षों को हल करने और लोगों को केंद्रित नीतियों को लागू करने में सक्षम बनाती हैं।

प्रश्न : शक्ति, ज्ञान और करुणा के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिये। संस्थागत आख्यान किस प्रकार नैतिक जुड़ाव की संभावनाओं को आकार देते हैं और उनकी सीमाएँ तय करते हैं, मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शक्ति, ज्ञान और करुणा के बीच अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- शक्ति, ज्ञान और करुणा के बीच संबंध पर मुख्य तर्क दीजिये।
- संस्थागत आख्यानों की भूमिका पर गहन विचार कीजिये।
- नैतिक जुड़ाव में चुनौतियों और सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- संस्थागत आख्यानों को नैतिक संलग्नता के साथ संतुलित करने के तरीके बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

शक्ति, ज्ञान और करुणा के बीच का अंतर्संबंध समाज के सैद्धांतिक एवं नैतिक ढाँचे को परिभाषित करता है। शक्ति इस बात को प्रभावित करती है कि ज्ञान किस प्रकार सृजन और प्रसारित किया जाता है, जबकि करुणा इसके नैतिक अनुप्रयोग को आयाम देती है। संस्थाएँ, आख्यानों के भंडार के रूप में, नैतिक जुड़ाव को सक्षम या बाधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य भाग:

शक्ति, ज्ञान और करुणा के बीच संबंध:

- **शक्ति और ज्ञान:** ज्ञान को प्राय: सत्तासीन लोगों द्वारा आकार दिया जाता है तथा ऐसे आख्यान गढ़े जाते हैं जो उनके अधिकार को बनाए रखते हैं।
  - उदाहरण के लिये, औपनिवेशिक शक्तियों ने ऐसी ज्ञान प्रणालियों का निर्माण किया जो **'सभ्यता मिशनों' के माध्यम से साम्राज्यवाद को उचित ठहराती थीं।**
- **ज्ञान और करुणा:** करुणा ज्ञान को **स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की विशिष्टता** है। ज्ञान के नैतिक अनुप्रयोगों के लिये सहानुभूति और नैतिक तर्क की आवश्यकता होती है।
  - पोलियो जैसी बीमारियों के लिये टीकों का निर्माण **यह दर्शाता है कि ज्ञान के करुणामय उपयोग से किस प्रकार** सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का समाधान किया जा सकता है।
- **शक्ति और करुणा:** करुणा के बिना शक्ति **शोषण या उत्पीड़न का कारण** बन सकती है। इसके विपरीत, **करुणामय नेतृत्व** शक्ति को **समानता के लिये एक उपागम** बना सकता है।
  - नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका में सुलह को बढ़ावा देने के लिये **अपनी राजनीतिक शक्ति का दयालुतापूर्वक उपयोग किया।**

संस्थागत आख्यानों की भूमिका:

संस्थाएँ नैतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले प्रमुख आख्यानों का निर्माण और प्रचार करती हैं। हालाँकि, ये आख्यान वास्तविक नैतिक जुड़ाव को सक्षम तथा सीमित दोनों कर सकते हैं।

- **नैतिक सहभागिता को सक्षम बनाना:** संस्थाएँ सामूहिक नैतिक कार्यों के लिये रूपरेखा प्रदान करती हैं, जैसे- कानून, नीतियाँ और शिक्षा प्रणाली।
  - **उदाहरण:** संयुक्त **राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा** वैश्विक नैतिक मानकों को बढ़ावा देती है।
- **नैतिक संलग्नता को बाधित करना:** संस्थागत आख्यान अक्सर शक्तिशाली लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हैं तथा वैकल्पिक आवाज़ों या नैतिक विचारों को हाशिए पर डाल देते हैं।
  - **उदाहरण: पूंजीवादी आख्यानों से प्रभावित** वैश्विक आर्थिक प्रणाली, लाभ-संचालित विकास के पक्ष में अक्सर पर्यावरणीय नैतिकता को दरकिनार कर देती है।

नैतिक सहभागिता में चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **नौकरशाही बाधाएँ:** संस्थागत प्रक्रियाएँ कठोर हो सकती हैं, **जिससे व्यक्तिगत नैतिक कार्यों पर रोक लग सकती है।**
- **चयनात्मक ज्ञान उत्पादन:** संस्थाएँ **असुविधाजनक सच्चाइयों को दबा सकती हैं, जिससे करुणा-प्रेरित सुधारों की गुंजाइश सीमित हो सकती है।**
  - **उदाहरण: तंबाकू उद्योग ने** ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिये अनुसंधान को वित्तपोषित किया है।
- **असमानताओं का सामान्यीकरण:** संस्थागत आख्यान **असमानता को सामान्य बना सकते हैं तथा अन्याय को कायम रख सकते हैं।**
  - **उदाहरण: भारत में** जाति **व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और संस्थागत आख्यानों द्वारा मज़बूत की गई,** जिसने सामाजिक समानता के साथ नैतिक जुड़ाव को सीमित कर दिया।

नोट :

संस्थागत आख्यानों को नैतिक संलग्नता के साथ संतुलित करना:

वास्तविक नैतिक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिये, संस्थागत आख्यानों में सुधार किया जाना चाहिये ताकि उनमें करुणा और विविध दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके:

- **समावेशी ज्ञान प्रणालियाँ:** ज्ञान सृजन में स्वदेशी और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को प्रोत्साहित करने से **पर्यावरण नीतियों में पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को एकीकृत करने जैसे शक्ति असंतुलन को दूर किया जा सकता है।**
- **दयालु नेतृत्व:** संस्थाओं के नेताओं को अनैतिक मानदंडों को चुनौती देने के लिये सहानुभूति और नैतिक साहस का परिचय देना चाहिये।
  - **संकट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व की सराहना की गई, जिसमें** राजनीतिक लाभ की अपेक्षा करुणा पर अधिक ज़ोर दिया गया।

निष्कर्ष:

सत्ता, ज्ञान और करुणा का परस्पर प्रभाव **समाज के नैतिक पथ को आयाम** देता है। जबकि **संस्थागत आख्यान** सामूहिक नैतिक ढाँचे को सक्षम कर सकते हैं, वे **प्राय: सत्तारूढ़ लोगों के पूर्वाग्रहों** को दर्शाते हैं, जिससे **वास्तविक जुड़ाव सीमित** हो जाता है। **समावेशिता और करुणा** के माध्यम से इन **आख्यानों को सुधारना** विविधतापूर्ण एवं परस्पर जुड़े हुए **संसार में नैतिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक** है।

प्रश्न : आधुनिक शासन प्रणालियों में सामाजिक सद्भाव और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने में कन्फ्यूशियस नैतिकता किस प्रकार प्रासंगिक है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कन्फ्यूशियस नैतिकता को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- कन्फ्यूशियस नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत बताइये।
- सामाजिक सद्भाव और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता बताइये।
- इसके आधुनिक अनुप्रयोग में चुनौतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- आधुनिक शासन के साथ कन्फ्यूशियस नैतिकता को संतुलित करने के तरीके बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कन्फ्यूशियस नैतिकता **सद्गुण, पितृभक्ति, अखंडता** और **परोपकारी शासन** जैसे मूल्यों पर बल देती है। **551-479 ईसा पूर्व** विकसित ये सिद्धांत नैतिकता, पदानुक्रम और सामुदायिक ज़िम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक शासन प्रणालियों में **सामाजिक सद्भाव एवं प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने** में प्रासंगिक बने हुए हैं।

मुख्य भाग:

कन्फ्यूशियस नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत:

- **रेन (परोपकार):** पारस्परिक और सामाजिक संबंधों में सहानुभूति एवं करुणा को प्रोत्साहित करता है।
- **ली (संस्कार/उचित आचरण):** उचित व्यवहार और परंपरा के प्रति सम्मान का समर्थन करते हुए व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- **जिओ (पुत्र-पितृ भक्ति):** सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव के रूप में परिवार के प्रति सम्मान और देखभाल पर बल दिया जाता है।
- **यी (धार्मिकता):** व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नैतिक रूप से सही कार्य करने पर ज़ोर दिया जाता है।

सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में प्रासंगिकता:

- **नैतिक नींव को मज़बूत करना:** कन्फ्यूशियस नैतिकता **नागरिकों को ज़िम्मेदारी से कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करती है,** जिससे समाज में विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है।
  - यह पारस्परिक सम्मान और समुदाय-केंद्रित व्यवहार को आयाम देता है तथा सामाजिक वैमनस्य को कम करता है।
- **पारस्परिक सम्मान और पदानुक्रमिक सद्भाव को बढ़ावा देना:** भूमिकाओं और कर्त्तव्यों पर कन्फ्यूशियस का ज़ोर यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति **परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र के प्रति ज़िम्मेदारियों** को पूरा करें।
- **संवाद के माध्यम से संघर्ष समाधान:** कन्फ्यूशियसवाद **शांतिपूर्ण विवाद समाधान और आम सहमति बनाने पर ज़ोर देता है,** जो बहु-हितधारक शासन के लिये आवश्यक है।
  - उदाहरण: कन्फ्यूशियस-प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक मध्यस्थता प्राय: प्रतिकूल दृष्टिकोण से बचती है।

प्रशासनिक दक्षता में प्रासंगिकता:

- **नैतिक नेतृत्व:** कन्फ्यूशियस सिद्धांत **दबाव की अपेक्षा सद्गुणी नेतृत्व को प्राथमिकता** देते हैं तथा **विश्वास एवं औचित्य को प्रेरित करते हैं।**
- **नौकरशाही में योग्यतावाद:** कन्फ्यूशियस विचारधारा **भाई-भतीजावाद के बजाय योग्यता के आधार पर योग्य अधिकारियों के चयन** पर ज़ोर देती है।
- **सामूहिक भलाई पर ध्यान:** कन्फ्यूशियसवाद से प्रेरित प्रशासनिक नीतियाँ व्यक्तिगत हितों की तुलना में **समाज की भलाई को प्राथमिकता** देती हैं।

आधुनिक अनुप्रयोग में चुनौतियाँ:

- **कठोरता का जोखिम:** पदानुक्रम और परंपरा का अत्यधिक पालन **तेज़ी से बदलते वैश्विक संदर्भों में अनुकूलनशीलता में बाधा** उत्पन्न कर सकता है।

नोट :

- **उदाहरण:** पदानुक्रम पर अत्यधिक ज़ोर शासन में नवाचार को कम कर सकता है।

- **अधिनायकवाद/सत्तावाद की संभावना:** सत्ता के प्रति कन्फ्यूशियस का सम्मान कभी-कभी **सद्भाव बनाए रखने की आड़ में दमनकारी शासन को उचित** ठहरा सकता है।
  - आलोचकों का तर्क है कि कन्फ्यूशियसवाद का उपयोग चुनिंदा रूप से कुछ राजनीतिक प्रणालियों में केंद्रीकृत नियंत्रण को वैध बनाने के लिये किया गया है।

आधुनिक शासन के साथ कन्फ्यूशियस नैतिकता का संतुलन:

- **कन्फ्यूशियस और लोकतांत्रिक मूल्यों का संयोजन:** कन्फ्यूशियस नैतिकता को लोकतांत्रिक शासन के साथ एकीकृत करने से **सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य संतुलन** सुनिश्चित होता है।
  - **उदाहरण: दक्षिण कोरिया** पदानुक्रम के प्रति कन्फ्यूशियस सम्मान को लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ मिश्रित करता है।
- **समकालीन संदर्भों के लिये सिद्धांतों को अनुकूलित करना:** कन्फ्यूशियस मूल्यों की आधुनिक व्याख्याएँ, जैसे **'सार्वभौमिक परोपकार'**, **पर्यावरणीय क्षरण** और **असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान** कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

कन्फ्यूशियस नैतिकता **योग्यता, नैतिक नेतृत्व और सामुदायिक सामंजस्य को बढ़ावा** देकर सामाजिक सद्भाव एवं प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिये स्थायी सिद्धांत प्रदान करती है। जबकि कुछ पहलुओं को लोकतांत्रिक और बहुलवादी शासन मॉडल में फिट होने के लिये अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, उनके मूल मूल्य न्यायसंगत एवं सामंजस्यपूर्ण समाजों को आयाम देने में अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

निबंध

1. प्रकृति का ज्ञान वनों से होकर प्रवाहित होता है; उन्हें खोना, स्वयं का एक हिस्सा खोने जैसा है।
2. शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है।
3. परिवर्तन का मूल सतही नहीं, बल्कि धरातल से होता है।
4. पर्यावरणीय संतुलन के बिना आर्थिक विकास, भविष्य के संसाधनों पर लिया गया ऋण है।
5. संवहनीयता से तात्पर्य कम नुकसान करना नहीं है, बल्कि अधिक बेहतर करना है।
6. विज्ञान, यदि विवेक से रहित हो, तो आत्मा के पतन का कारण बनता है।
7. संवेदनशीलता ही नवप्रवर्तन, सृजनशीलता और परिवर्तन की आधारशीला है।
8. नैतिक विश्व का आयाम विस्तृत है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति हमेशा न्याय के पक्ष में होती है।
9. जीवित रहने वाली प्रजातियाँ सबसे शक्तिशाली या सबसे बुद्धिमान नहीं होतीं, बल्कि वह प्रजाति जीवित रहती है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है।
10. गरीबी एक क्रांति को जन्म देती है और अपराध का कारण बन सकती है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :